इकाई-5

शहरीकरण/नगरीकरण *(Urbanization)*

****(इस टॉपिक का उल्लेख मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-1 के विषय संख्या 7 के अंतर्गत 'शहरीकरण' के रूप में किया गया है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में इसका संबंध भाग-3 से है।)*

सामान्य अर्थों में शहरीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें ग्रामीण लोग शहरों में निवास करने लगते हैं तथा कृषि-कार्यों को छोड़कर अन्य व्यवसाय अपनाने लगते हैं। इस प्रक्रिया में ग्रामीण अधिवासों का नगरीय अधिवासों में रूपांतरण होता है जिससे नगरों का विकास एवं प्रसार होता है।

हालाँकि शहरीकरण की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग-अलग संदर्भों में परिभाषित किया है। जैसे एक अर्थशास्त्री के लिए शहरीकरण का अर्थ कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना है। एक जनसंख्याशास्त्री की दृष्टि से जब ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरी आबादी में समानुपातिक वृद्धि होती है तो वह इसे शहरीकरण कहता है। इसी प्रकार समाजशास्त्री के नज़रिए से ग्रामीण समाज का शहरी समाज में बदलना ही शहरीकरण है। वह लोक संस्कृति को शहरी संस्कृति में बदलने को शहरीकरण मानता है। भूगोल के क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण का शहरी पर्यावरण में बदलना तथा नये शहरों की उत्पत्ति और पुराने नगरों का फैलाव शहरीकरण है। शहरीकरण की इन सभी परिभाषाओं को अगर मिला कर देखें तो कहा जा सकता है कि शहरीकरण ग्रामीण अधिवासों से नगरों के रूप में कायांतरण की एक समुचित विधि है जिससे व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, भूमि उपयोग, समाज एवं संस्कृति, जीवन और रहन-सहन के स्तर तथा अन्य मानव मूल्यों में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन क्रमशः स्पष्ट होने लगते हैं।

भारत में शहरीकरण *(Urbanization in India)*

भारत में शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के युग से ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों के रूप में देखने को मिलता है। माना जाता है कि शहरीकरण का दूसरा दौर बुद्ध और महावीर के समय तथा तीसरा दौर मध्ययुग से शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आगमन के बाद शहरीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई।

प्राचीन नगरों की बात की जाए तो भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नगर है। प्रयाग (इलाहाबाद), पाटलिपुत्र (पटना), मदुरै, कुरुक्षेत्र आदि प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। इसी तरह मौजूदा कई नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्त्वपूर्ण हैं। पश्चिम देशों से आये नये शासकों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। शुरुआती दौर में तटीय क्षेत्रों में दमन, गोआ, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पत्तन विकसित हुए। ब्रिटिश सरकार ने तीन शहरों बम्बई, मद्रास और कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक केंद्रों व ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों का विकास किया। इनमें शिमला, डलहौजी, नैनीताल आदि प्रमुख हैं। आधुनिक उद्योगों के विकास के साथ भी अनेक नगरों का जन्म हुआ, जैसे- जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम आदि। आजादी के बाद अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों के रूप में अस्तित्व में आए। इनमें मुख्यतः विभिन्न राज्यों की राजधानियाँ सम्मिलित हैं। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर सहायक नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे- दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और गुड़गाँव इत्यादि।

भारत में नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। नगरीय जनसंख्या जो 1901 में 2 करोड़ 56 लाख थी, वह 1951 में बढ़कर 6 करोड़ 24 लाख हो गई। इस प्रकार 1901 से 1951 के बीच नगरीय जनसंख्या में 3 करोड़ 68 लाख की वृद्धि हुई जबकि 1951 से 1981 के बीच शहरी जनसंख्या में 9 करोड़ 71 लाख की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार 1981-1991 के बीच नगरीय जनसंख्या में 5 करोड़ 77 लाख की वृद्धि हुई। इससे यह निष्कर्ष अवश्य निकाला जा सकता है कि औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार नगरीय जनसंख्या 28 करोड़ 53 लाख थी जो कुल जनसंख्या की 27.8 प्रतिशत है। यद्यपि वैश्विक तुलना में यह आँकड़ा कमजोर ही साबित होता है। विश्व के विकसित देशों से भारत के शहरीकरण की तुलना करने पर पता चलता है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया और स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा बहुत पीछे है। 1991 में संयुक्त राज्य अमरीका में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 76 प्रतिशत, रूस में 74 प्रतिशत, जापान में 77 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया में 35 प्रतिशत तथा इंग्लैंड में 90 प्रतिशत थी। इसकी तुलना में 1991 में भारत की नगरीय जनसंख्या 25.7 प्रतिशत और 2001 में 27.8 प्रतिशत थी।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright- Drishti The Vision Foundation

भारत के अलग-अलग राज्यों के संदर्भ में यदि शहरीकरण के विकास की दृष्टि से विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों में शहरीकरण की मात्रा और गति एक जैसी नहीं थी। 1981 और 1991 के बीच जहाँ उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर थी, वहीं पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से नीची रही। प्रति व्यक्ति अधिक आय वाले राज्यों में महाराष्ट्र और हरियाणा ऐसे राज्य थे, जिनमें नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी।

1951 से 1991 की अवधि में बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर प्रायः अधिक रही है, परंतु ओडिशा और बिहार में 1981 से 1991 के बीच शहरीकरण की गति कुछ धीमी पड़ गई थी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में 1951-61 के दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से नीचे थी, लेकिन बाद में इन राज्यों में शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। औद्योगिक दृष्टि से विकसित पुराने राज्यों में 1951-61 के दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर ऊँची थी, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों में शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही।

भारत में शहरीकरण के कारण *(Causes of Urbanization in India)*

भारत में शहरीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है-

पहला, प्रतिकर्ष कारक अथवा पुश फैक्टर (Push Factor) जिसमें लोग गरीबी, बेरोजगारी और गाँवों के निम्न रहन-सहन स्तर से त्रस्त होकर शहर की ओर भागते हैं। दूसरा, खिंचाव संबधी कारक अथवा पुल फैक्टर (Pull Factor) जिसमें लोग बेहतर सुविधा और बेहतर जीवन-स्तर की लालसा में शहर की ओर खींचे चले आते हैं। हालाँकि गाँवों से शहरों की ओर प्रवासन में दोनों कारकों का अलग-अलग अनुपात में मिला-जुला योगदान होता है लेकिन भारत के संदर्भ में पुश फैक्टर (Push Factor) का प्रभाव अधिक है।

जनसंख्या में हो रही बेतहाशा वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का आकार दिनों-दिन छोटा होता जा रहा है और अब उनके पास इतनी भूमि भी नहीं बची है कि वे परिवार का ठीक-ढंग से भरण-पोषण कर सकें। साथ ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार की अनुपलब्धता भी उन्हें परेशान करती है। ऐसी स्थिति में असहाय किसान या तो गरीबी में गुजर-बसर करने के लिए विवश होते हैं या वे रोज़गार की तलाश में शहर की ओर गमन करते हैं ताकि अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। इस ग्रामीण-शहरी प्रवसन के लिए जाति-प्रथा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। निम्न जाति के सदस्य यदि आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उन्हें ग्रामीण समाज में प्रताड़ित किया जा है। ऐसे समुदाय के लोग गाँवों में रहने की बजाय शहरों की ओर गमन को ही बेहतर मानते हैं। इस तरह ये प्रवासन पुश फैक्टर (Push Factor) के कारण होते हैं जिसमें ग्रामीण समाज में अवसरों और संसाधनों का अभाव होता है तथा वे शहर की ओर पलायन करते हैं।

पूल फैक्टर (Pull Factor) का भी शहरीकरण में अहम योगदान है। शहरों में लगातार होने वाले औद्योगिक विकास के कारण अतिरिक्त कार्य व रोज़गार सृजन की प्रक्रिया चलती रहती है जिससे यह रोजगार हेतु आकर्षण के केंद्र के रूप में कार्य करता है। लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर खींचे चले आते हैं। शहरों में शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर है जिससे शहरों के रहन-सहन का स्तर ग्रामीण रहन-सहन की तुलना में काफी ऊँचा है। रहन-सहन के इस ऊँचे स्तर को प्राप्त करने के लिए लोग शहर की ओर गमन करते हैं।

इसके अलावा यातायात साधनों का विस्तार, शहरी जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि तथा नगरीय क्षेत्रों के पुनर्वर्गीकरण ने भी शहरीकरण को बढ़ावा दिया है। देश के विभाजन के समय पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के लोगों ने देश के विभिन्न नगरों में शरण लिया जिससे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। उस वक्त विस्थापित हुए लोगों एवं बेघर बना दिए गए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए नये नगरों की स्थापना की गई जिससे नगरीकरण को बढ़ावा मिला।

शहरीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव *(Impact of Urbanization on India Society)*

शहरीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज में अनेक परिवर्तनों को जन्म दिया है। जाति, विवाह, परिवार, ग्रामीण समुदाय, महिलाएँ आदि पर शहरीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारतीय समाज पर शहरीकरण के प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत बताया जा सकता है:

जाति-प्रथा पर प्रभाव *(Impact on Caste System)*

शहरीकरण का भारत में जाति प्रथा पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। अब व्यक्ति की पहचान उनकी जाति के स्थान पर उनके गुणों के आधार पर की जाने लगी है। परम्परागत जातीय संस्तरण में भी लचीलापन आया है। उन जातियों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि

Copyright– Drishti The Vision Foundation

हुई है जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हैं और जिन्हें राजनीतिक सत्ता प्राप्त है, भले ही वे परम्परागत जातीय संस्तरण में नीचले स्तर से संबंधित हों।

परिवार पर प्रभाव *(Impact on Family)*

परम्परागत भारतीय परिवार संयुक्त परिवार के तौर पर था जिसमें सभी सदस्य एक साथ एक ही घर में निवास करते थे तथा संपत्ति पर उनका सामूहिक स्वामित्व हुआ करता था। लेकिन शहरीकरण के प्रभाव के कारण परम्परागत संयुक्त परिवार विघटित होने लगे और उनमें व्यक्तिवाद की भावना पनपी। नगरों में एकाकी परिवार की अवधारणा सामने आयी जिसमें केवल पति पत्नी और बच्चे ही रहते हैं। हालाँकि संयुक्त परिवार का विघटन पूरी तरह से नहीं हुआ है लेकिन परम्परागत संयुक्त परिवारों की संरचना एवं कार्यों में आधारभूत परिवर्तन आया है।

विवाह पर प्रभाव *(Impact on Marriage)*

शहरीकरण के कारण परम्परागत विवाह पद्धति में भी परिवर्तन आया है। अब वर एवं वधू के चयन में परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों के स्थान पर स्वयं लड़के व लड़कियों की राय को महत्व दिया जाने लगा है। अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुर्नविवाह, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज आदि का प्रचलन बढ़ा है। अब विवाह का उद्देश्य धार्मिक कार्यों की पूर्ति न होकर संतान की उत्पत्ति एवं भौतिक सुख माना जाने लगा है। शहरीकरण का ही यह प्रभाव है कि अब पति पत्नी एक दूसरे को मित्र और साथी मानने लगे हैं। गौरतलब है कि परम्परागत विवाह प्रथा में पत्नी अपने पति को परमेश्वर मानती थी और स्वयं को पति के अधीनस्थ समझती थी।

ग्रामीण समुदायों पर प्रभाव *(Impact on Rural Communities)*

नगरीकरण का ही परिणाम है कि गाँव के लोग अपने कृषि व पशु उत्पाद, जैसे- दूध, घी, सब्जी एवं फसलों को शहरों में बेचने आते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। इसी का परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है। अब गाँवों में भी नगरीय संस्कृति पनपने लगी है, जैसे- ग्रामीण लोगों में नगरीय फैशन, खान-पान, वेश-भूषा, मनोरंजन आदि में शहरी प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है।

लोगों के राजनीतिक जागरुकता पर प्रभाव *(Impact on Political Awareness of People)*

चूँकि नगरों में ही लगभग सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय होते हैं और उनकी राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र भी शहर ही होता है, अतः नगरों के माध्यम से ही ग्रामीण लोगों तक राजनीतिक गतिविधियां व सरकारी कामकाज से संबंधित नीतियों को पहुँचाया जाता है। सरकार पर दबाव डालने के लिए विभिन्न दबाव समूह एवं राजनितिक दल नगरों में ही धरना, घेराव, तालाबंदी, हड़ताल आदि प्रारंभ करते हैं। इस तरह नगरीकरण के कारण लोगों में राजनीतिक जागरुकता पैदा हुई है तथा वे राजनीतिक मूल्यों से परिचित भी हुए हैं।

स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर प्रभाव *(Impact on Social Status of Women)*

शहरों के विकास के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन आया है। अब वे समुचित शिक्षा प्राप्त कर स्वयं धनार्जन करने लगी हैं जिससे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। अब उन्हें लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समकक्ष समझा जाता है। शहरीकरण का ही परिणाम है कि बाल विवाह में कमी आयी है तथा विधवा पुर्नविवाह के कारण स्त्रियों की परिवारिक स्थिति में भी सुधार आया है।

धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव *(Impact on Religious Sphere)*

शहर में रहने वाले लोग हर बात का मूल्यांकन तर्क एवं विज्ञान के आधार पर करते हैं। धार्मिक आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास आदि शहरों में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। पुरोहितों, पुजारियों, पण्डों, पादरियों आदि के ढोंग शहरों में नहीं चल पाते क्योंकि वहाँ लोग भाग्य में कम तथा श्रम पर अधिक भरोसा रखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि शहरों में धार्मिक आस्था नहीं पायी जाती हैं। शहरों में भी लोग धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म के नाम पर आडंबर पर विश्वास नहीं करते।

अभिवृत्तियों पर प्रभाव *(Impact on Attitude)*

शहरीकरण के कारण लोगों के अभिवृत्तियों में भी परिवर्तन आया है। वे सादगी के स्थान पर नये-नये फैशन, तड़क-भड़क और चमकीले रहन-सहन को वरीयता देते हैं। एकान्त के बदले अत्याधुनिक चलचित्र देखना, संगीत सुनना, मनोरंजन करना आदि उनकी जीवन शैली का एक अंग बन गया है।

Copyright - Drishti The Vision Foundation

शहरीकरण की समस्याएँ (*Problems of Urbanization*)

बढ़ते हुए शहरीकरण ने भारत में अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। गन्दी बस्तियों, अस्वच्छता, पर्यावरण प्रदूषण, जल, विद्युत, आवास, यातायात आदि से संबंधित समस्याओं ने शहरीकरण के सामने प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। इन समस्याओं को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत बताया जा सकता है:

बढ़ता प्रदूषण

शहरों में विकास-चक्र के तेजी से घूमने और प्रवासन के कारण बढ़ती जनसंख्या के दबाव से प्रदूषण बढ़ रहा है। इससे शहरों में गंदे जल का निकास और ठोस कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया पर असर पड़ा और नालियों और नालों की सफाई ठीक से नहीं हो सकी। नगरों की स्थापना की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें पेड़ों का कटाव होता है और पानी की खपत ज्यादा होती है। इसका असर हमें भूमि प्रदूषण के बढ़ते ख़तरों के रूप में देखने को मिलता है। प्रदूषण के चलते शहरों में हर साल लाखों लोग समय से पहले मर जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अगर शहरों पर बढ़ रहे बोझ और प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो एक करोड़ से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों पर भविष्य में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा काफी बढ़ जाएगा। अभी जो शहरीकरण का स्तर है, उसमें भी जल-मल निकासी, गंदे पानी के शोधन, पार्किंग, पेयजल, आवास, अस्पताल आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में भावी शहरीकरण अपने साथ समस्याओं का अंबार लेकर आएगा। शहर के लिए सड़क, बिजली, मकान और दफ्तर चाहिए। इन सबके लिए या तो खेती की जमीन का या फिर जंगल की जमीन का प्रयोग हो रहा है। इसके कारण पेड़, जंगली जानवरों, पारंपरिक जल स्रोतों आदि पर बुरा असर पड़ा है। यह वह नुकसान है जिसका हर्जाना संभव नहीं है। शहरीकरण के कारण बढ़ रहे वाहनों के ईंधन से शहरों को दूषित वायु की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। शहर को ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, इसका आशय हुआ कि इससे ज्यादा कोयला जलेगा और ज्यादा परमाणु संयंत्र लगेंगे। अनियोजित कारखानों की स्थापना का ही परिणाम है कि कई नदियाँ अब जहरीली हो चुकी हैं। शहरीकरण के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान का मूल कारण अनियोजित शहरीकरण है।

कम होती सुविधाएँ

शहरों पर प्रतिदिन आबादी का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें उस अनुपात में सुविधा नहीं मिल पाती। इसका असर पहले से रह रहे लोगों को मिल रही सुविधाओं पर पड़ता है और उनकी सुविधाओं में कमी आ जाती है। लोगों का यह भी मानना है कि बेहतर जिंदगी की चाह में लोग शहरों की ओर भागते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें अच्छा जीवन नसीब नहीं होता। वे पानी, जमीन और प्राकृतिक पर्यावरण की सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विकासशील देशों में करीब 90 करोड़ की आबादी झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है जिसके वर्ष 2020 तक दो अरब तक हो जाने का अनुमान है। पानी और साफ हवा जैसे प्राकृतिक संसाधनों की गैर मौजूदगी उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ बढ़ाती है।

आवास की समस्या

भारत में शहरीकरण के कारण आवास की समस्या बहुत विकराल हो गई है। हर साल काफी लोग घर विहीन होते हैं। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या का पाँचवा भाग झुग्गी-झोपड़ी में रहता है। भारत में बंगलुरु में 10 प्रतिशत, कानपुर में 17 प्रतिशत, मुंबई में 38 प्रतिशत तथा कोलकाता में 42 प्रतिशत लोगों के सामने आवास की कठिन समस्या है। भारत में आवास के बारे में एक विडम्बना यह भी है कि यहाँ एक तरफ तो आलीशान मकान हैं जबकि दूसरी तरफ काफी बड़ी आबादी ऐसे मकानों में रहती है जहाँ साफ हवा और रोशनी जैसी मूलभूत सुविधाएँ तक नहीं पहुँच पातीं। एक अनुमान के अनुसार यहाँ हर साल लगभग 27 लाख लोग गाँव छोड़कर शहरों की ओर रोजगार की तलाश में आते हैं। रोजगार की तलाश में महानगर में आये इन लोगों और उनके परिवार के लिए रातोंरात आवास नहीं बनाये जा सकते। महानगरों की स्थिति तो और भी दयनीय होती जा रही है। आवास समस्या का एक पक्ष यह है कि कार्य करने की जगह और निवास स्थान की दूरी बढ़ती जा रही है।

जलनिकासी की समस्या

दिल्ली, कोलकता, पटना जैसे नगरों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होना शहर में जल भराव का स्थायी कारण कहा जाता है। मुंबई में मीठी नदी और बंगलुरु में पारंपरिक तालाबों के मूल स्वरूप में अवांछित छेड़छाड़ को बाढ़ का कारक माना जाता है। शहरीकरण के कारण जल संग्रहण के स्रोत अवरुद्ध हुए हैं। परिणामत: थोड़ी ही बारिश में नगर में पानी भरने लगता है। महानगरों में भूमिगत सीवर का अनुचित रख-रखाव जल भराव का सबसे बड़ा कारण है। पॉलीथिन, घर से निकलने वाले रसायन और नष्ट न होने वाले कचरे की बढ़ती मात्रा, कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे सीवरों की क्षमता प्रभावित हुई है।

Copyright Drishti The Vision Foundation

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ह्रास

शहरों की ओर प्रवास ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ रहा है, साथ ही ग्रामीण व कुटीर उद्योग धन्धों का ह्रास हो रहा है। शहरीकरण के कारण ग्रामीण विकास को प्राथमिकता नहीं मिल रही है। सरकार की योजनाओं का मुख्य लाभ शहरों को मिलता है, गाँवों को नहीं। यही कारण है कि आज भी भारत के गाँवों में स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिजली और पेयजल इत्यादि की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। ग्रामों के उत्पाद हाथ से तैयार होते हैं जबकि शहरों में खपत की मात्रा अधिक होने से उत्पादों को मशीन की मदद से बनाया जाता है और उनका उत्पादन औद्योगिक स्तर पर होता है। इसका असर ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले उत्पाद पर पड़ता है। इसके अलावा शहरों से अधिक हो सकने वाली आय के आकर्षण के कारण हाथ के काम में दक्ष व्यक्ति भी शहर आ जाते हैं जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है।

खाद्यान्न संकट

महानगरों में बढ़ती भीड़ से आस-पास की कृषि भूमि रिहाइशी इलाकों में बदलती जा रही है। विकसित देश ऊँची उत्पादकता, कम आबादी, औद्योगिकरण, मशीनीकृत खेती आदि माध्यमों से शहरों में बसी जनसंख्या को रोजी-रोटी मुहैया कराने में सफल हुए, लेकिन भारत और उसके जैसे विकासशील देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। इन देशों में उत्पादक जनसंख्या के प्रवासन से गाँवों में बुजुर्ग व महिलाओं की संख्या बढ़ी है जिससे कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यही कारण है कि खाद्यान्न पैदा करने वाले परिवार अन्न को अब खरीदकर खा रहे हैं। इसके अलावा शहरों में होने वाले आयोजनों, बड़ी संख्या में खुले होटलों आदि के कारण खाद्यान्नों की बर्बादी अधिक होती है। इसका असर खाद्य उपलब्धता और महँगाई पर पड़ता है।

अपराध और तनाव

शहरीकरण के कारण मलिन बस्तियों का विस्तार होता है। अध्ययन बताते हैं कि ये मलिन बस्तियाँ एक सीमा तक अपराधों और हिंसा जैसी प्रवृत्तियों को उभारने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। माना जाता है कि मलिन बस्तियों का ढाँचा इस प्रकार होता है कि वहाँ आपराधिक प्रवृत्तियाँ पनपने के ज़्यादा अवसर होते हैं। इसके अलावा अवसरों की सीमितता के कारण विभिन्न दबाव समूह संसाधनों पर अपने अधिकार की बात करते हैं जिससे क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद को हवा मिलती है और सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी होती है। महानगरों में कम समय और कम जगह के दबाव के कारण लोगों में मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है। कार खड़ी करने की जगह को लेकर आपसी तनाव और झगड़े आम हो चले हैं। शहरों में रोडरेजिंग की घटनाएँ भी प्रकाश में आ रही हैं। शहरों में हमें संगठित अपराध की समस्या भी देखने को मिलती है।

नगरीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है और इससे नगरीय समस्याएँ भी भयावह रूप धारण कर रही हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि नगरीय समस्याओं से निपटने के व्यापक प्रबंध किये जाएँ, इससे संबंधित योजनाओं का निर्माण किया जाय तथा ग्रामीण-नगरीय प्रवसन को रोकने के उपाय किये जाएँ।

शहरीकरण से संबंधित योजनाएँ

शहरीकरण से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
(Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission – JNNURM)

3 दिसम्बर, 2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन प्रारंभ किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत दो उप-मिशन हैं- शहरी गरीब के लिए बुनियादी सेवाएँ (Basic Services to Urban Poor – BSUP) तथा शहरी अवसंरचना और शासन (Urban Infrastructure and Governance – UIG) है। उप-मिशनों को चयनित 65 नगरों में लागू किया गया है। इस मिशन की अवधि 7 वर्ष (2005-12) तय की गई थी। अब इसे दो साल का विस्तार दे दिया गया है। यह योजना अब 31 मार्च, 2014 तक चलेगी। इसके अलावा इस योजना के दो अन्य घटक भी हैं- छोटे कस्बों और शहरों को छोटे और मध्यम नगरों की शहरी अवसंरचना विकास योजना (Urban Infrastructure Development Shceme for Small and Medium Town – UIDSSMT) तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (Integrated Housing and Slum Development Programme – IHSDP)।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना *(Swarna Jayanti Shahri Rozgar Yojana – SJSRY)*

स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन अथवा मजदूरी रोजगार की व्यवस्था के जरिए शहरी बेरोजगारों व अल्प-बेरोजगारों को लाभकारी रोजगार दिलाने के उद्देश्य से एक दिसम्बर, 1997 को भारत सरकार ने स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना नामक एक

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright– Drishti The Vision Foundation

नवीन शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना में गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएँ (Urban Basic Services for the Poor – UBSP), नेहरू रोजगार योजना (Nehru Rojgar Yojana – NRY) तथा प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme – PMIUPEP) नामक पिछली तीन शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं को मिला लिया गया था।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प बेरोजगार गरीबों को उनकी निरन्तर सहायता करने के साथ मजदूरी रोजगार शुरू कर उन्हें स्व-रोजगार उद्यमों (व्यक्तिगत अथवा समूह) की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना तथा लाभदायक रोजगार प्रदान कर शहरी गरीबी उन्मूलन पर कार्रवाई करना।
- क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सहयोग करना ताकि शहरी गरीब रोजगार के अवसरों तक पहुँच बनाने अथवा स्व-रोजगार खोलने में समर्थ हो सकें; तथा
- आस-पड़ोस के समूहों, आस-पड़ोस की समितियों, सामुदायिक विकास समिति आदि जैसी समुचित स्व-व्यवस्थित सामुदायिक पद्धतियों के माध्यम से शहरी गरीबी के मुद्दों को हल करने के लिए समुदाय को सशक्त बनाना।

योजना के पाँच बड़े घटक हैं जिनके नाम हैं-

(i) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (Urban Self Employment Programme – USEP)
(ii) शहरी महिला स्व-मददगार कार्यक्रम (Urban Women Self Help Programme – UWSP)
(iii) शहरी गरीबों में रोजगार प्रोन्नति के लिए दक्षता प्रशिक्षण (Skill Training for Employment Promotion among Urban Poor – STEP-UP)
(iv) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (Urban Wage Employment Programme)
(v) शहरी स्थानीय विकास नेटवर्क (Urban Community Development Network)

शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (Urban Self Employment Programme – USEP)

- यह कार्यक्रम शहरी गरीब लाभार्थियों को सहायता देने पर केन्द्रित है।
- यह कार्यक्रम छोटे कारोबार केन्द्र तथा बाजारों को स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा, जिनकी देखभाल लाभप्राप्तकर्ता अन्य सहयोगियों की मदद से स्वयं करेंगे।
- यह कार्यक्रम योजना आयोग द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली शहरी आबादी को लक्ष्य के रूप में रखेगा।
- स्वरोजगार के लिए परियोजना लागत पर सब्सिडी दी जायेगी।

शहरी महिला स्व-मददगार कार्यक्रम (Urban Women Self Help Programme – UWSP)

- महिला स्व-मददगार समूह में महिलाओं की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए।
- कार्यक्रम का लक्ष्य सहकारी ग्रामीण बैंक से जुड़कर लाभकारी समूह उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी गरीब महिलाओं को सहायता पहुँचाना है।
- समूह उद्यम स्थापित करने के लिए समूह 3,00,000/- रुपये अथवा परियोजना लागत के 35% की राशि या 60,000/- रुपये प्रति समूह सदस्य, जो भी कम हो, की मदद पाने का हकदार होगा। बकाया राशि ऋण तथा मार्जिन मनी के रूप में जुटानी होगी।
- शहरी गरीब महिलाओं द्वारा बनाई गई थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी को रिवॉल्विंग फंड सहायता भी दी जायेगी।
- इन समूहों को सदस्यों के हित के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

शहरी गरीबों में रोजगार प्रोन्नति के लिए दक्षता प्रशिक्षण
(Skill Training for Employment Promotion Among Urban Poor – STEPUP)

यह कार्यक्रम शहरी गरीबों को बेहतर रोजगार पाने के साथ-साथ अपना रोजगार चलाने के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि हेतु दक्षता बढ़ाने के लिए उन्हें सहायता देने पर केन्द्रित है।

- स्टेप-अप कार्यक्रम योजना आयोग द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली शहरी आबादी को लक्ष्य के रूप में रखेगा। इस कार्यक्रम के तहत महिला लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या 30% से कम नहीं होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को उनके शहर/कस्बे की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की संख्या के

Copyright Drishti The Vision Foundation

अनुपात में अवश्य लाभान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत विकलांगों के लिए 3% की विशेष व्यवस्था का प्रावधान है।

- स्टेप-अप कार्यक्रम शहरी गरीबों को स्थानीय दक्षताओं एवं स्थानीय हथकरघा के साथ-साथ अनेक प्रकार की सेवाओं, कारोबार एवं उत्पादन गतिविधियों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम मान्यताप्राप्त एजेन्सियों के साथ मिलकर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर चलाए जाते हैं।

शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (Urban Wage Employment Programme)

यह कार्यक्रम शहरी स्थानीय निकायों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण कार्यक्रम में उपयोग करते हुए उसे मजदूरी रोजगार दिलाने के लिए बना है।

- ये परिसंपत्तियाँ समुदाय केन्द्र, बरसाती जल निकासी, सड़कें, रैन-बसेरे, मिड-डे-मील योजना के तहत प्राइमरी स्कूलों में रसोई घर तथा सामुदायिक संगठनों द्वारा स्वयं निर्धारित ठोस कचरा प्रबंधन सुविधाएँ व पार्क जैसी अन्य सामुदायिक आवश्यकताएँ हो सकती है।
- यह कार्यक्रम 1991 की जनगणना के अनुसार केवल 05 लाख तक की आबादी वाले शहरों/कस्बों पर ही लागू होगा।

शहरी स्थानीय विकास नेटवर्क (Urban Community Development Network)

यह कार्यक्रम सुदृढ़ स्थानीय विकास प्रदान करने के लिए आस-पड़ोस समूह, आस-पड़ोस समितियों तथा समुदाय विकास समितियों जैसे सामुदायिक संगठनों को सहायता देगा और उनकी प्रोन्नति करेगा।

- लाभार्थियों का पता लगाने, आवेदन पत्र तैयार करने, वसूली की निगरानी तथा इस कार्यक्रम के लिए सामान्य तौर पर अन्य प्रकार की सहायता देने के लिए सीडीएस इसका केन्द्र बिन्दु होगा। सीडीएस उस क्षेत्र विशेष के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं की पहचान भी करेगा।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में परिवर्तन

इस योजना में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं-

- विशेष श्रेणी के राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिए केन्द्र एवं राज्यों के लिए फंड पद्धति 75:25 से 90:10 संशोधित कर दी गई है।
- इस योजना के शहरी स्वयं रोजगार कार्यक्रम घटक के अंतर्गत लाभार्थी के लिए नौवीं कक्षा से आगे पढ़ाई न करने के सीमित शिक्षा मानदण्ड को हटा दिया गया है एवं अब सहायता के पात्रता के प्रयोजन से कोई न्यूनतम या अधिकतम शैक्षिक योग्यता स्तर को निर्धारित नहीं किया गया है।
- स्व-रोजगार (वैयक्तिगत श्रेणी) के लिए परियोजना लागत सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपये कर दी गई है एवं अनुदान सहायता को परियोजना लागत की पिछले 15% से (7500 रुपये अधिकतम की शर्त पर) 25% (50 हजार रुपये अधिकतम की शर्त पर) तक बढ़ा दिया गया है।
- शहरी गरीब महिला द्वारा गठित समूह उद्यम के लिए अनुदान को तीन लाख रुपये या 60 हजार रुपये प्रतिसमूह सदस्य या परियोजना लागत को 35%, जो भी कम हो, तक कर दिया गया है। किसी एक महिला समूह के लिए अपेक्षित न्यूनतम संख्या को 10 से कम कर 5 कर दिया गया है।
- शहरी गरीब घटक के कौशल प्रशिक्षण को भी पुनर्गठित कर दिया गया है। शहरी गरीब को सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) पद्धति पर विशेष रूप से-प्रदत्त, आईआईटी, एनआईटी, पॉलिटेक्नीक, आईटीआई एवं अन्य एजेन्सियों से गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रति प्रशिक्षु उच्चतम सीमा औसतन व्यय को 26 सौ रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है।

शहरी गरीबों को आवास हेतु ब्याज सहायता योजना

(Interest Subsidy Scheme for Housing the Urban Poor – ISHUP)

योजना का मुख्य उद्देश्य ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section) एवं एलआईजी (Low Income Group) परिवारों को नए मकानों की खरीद एवं निर्माण हेतु किफायती आवास ऋण प्राप्त करने योग्य बनाना है। ऋण नए मकानों के निर्माण के लिए

Copyright- Drishti The Vision Foundation

उपलब्ध होगा। ऋण वापसी अदायगी अवधि सामान्यत: 15 से 20 वर्ष स्वीकार्य होगी। ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी के लिए 5% प्रतिवर्ष की सब्सिडी दी जाएगी जो ऋण की पूरी अवधि के लिए 1 लाख रुपये की अधिकतम ऋण के लिए मान्य होगी।

राजीव आवास योजना (*Rajiv Awas Yojna*)

मलिन बस्ती (Slum) मुक्त भारत के उद्देश्य को ध्यान में रखकर नई योजना 'राजीव आवास योजना (Rajive Awas Yojna) 2 जून, 2011 को शुरू की गई।

यह योजना उन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो मलिन बस्ती (Slum) विकास, किफायती आवासीय स्टॉक के निर्माण, आश्रय और बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक सेवाओं के प्रावधान के लिए मलिन बस्तियों के लोगों को अधिकार देने के इच्छुक हैं। इस योजना के अंतर्गत सृजित सम्पत्तियों के प्रचालन और रखाव आदि पर पचास प्रतिशत (50%) केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा। उत्तर-पूर्वी एवं विशेष श्रेणी राज्यों के लिए केन्द्र की भागीदारी 90% तक होगी।

योजना का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य विद्यमान शहरी विकास व्यवस्था में नीति में बुनियादी परिवर्तन और सुधार करना है ताकि शहरों को समग्र और साम्ययुक्त बनाया जा सके।

एकीकृत कम लागत सफाई योजना (*Integrated Low Cost Sanitation Scheme – ILCSS*)

'एकीकृत कम लागत सफाई' योजना का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत शुष्क शौचालयों को जलशील शौचालयों में परिवर्तन करते हुए मैला वाहकों को सदियों पुरानी सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा से मुक्ति दिलवाना है।

"आईएलसीएसएस" को प्रारंभ में 1980-81 में गृह मंत्रालय द्वारा तथा बाद में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आरम्भ किया गया। इस योजना के तहत 28 लाख से अधिक शौचालयों के निर्माण परिवर्तन में सहायता प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (*National Urban Transport Policy*)

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति का दृष्टिकोण है- नगर में रहने वाले लोगों को महत्त्व देना तथा सभी के लाभ और कल्याण को प्राथमिकता देना। नगरों को आर्थिक विकास का इंजन बनने में समर्थ बनाना और शहरों को नगर के रूप में विकसित करना।

इस नीति के लक्ष्य हैं-

(i) नगर निवासियों की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर सुरक्षित, वहनीय, तीव्र, सहज, भरोसेमंद और धारणीय सुविधा प्रदान करना। इसके लिए नगरीय योजना स्तर पर नगरीय परिवहन को समाहित करना।

(ii) एकीकृत भूमि उपयोग पर बल देना तथा सभी शहरों में परिवहन योजनाओं को अपनाना। इससे यात्रा दूरी तो कम होगी ही, साथ ही नगरीय जनसंख्या (विशेषकर सीमांत भाग) को जीविकोपार्जन, शिक्षा और अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

(iii) सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग और मोटर रहित परिवहन साधनों के उपयोग पर अधिक बल दिया जाना। इसके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।

(iv) गुणवत्ता आधारित विभिन्न मॉडल वाले सार्वजनिक परिवहन साधनों पर बल दिया जाना जो एकीकृत हो और जिसके जरिये अवरोध रहित यात्रा को अपनाया जा सके।

(v) एक प्रभावी विनियामकीय और बाध्यकारी तंत्र स्थापित किया जाना जो परिवहन सेवा ऑपरेटरों को एक समान स्तर में रखे और परिवहन उपयोगकर्त्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।

(vi) परिवहन प्रणालियों की योजना और प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना। यातायात प्रबंधन के लिए बेहतर परिवहन प्रणालियों को अपनाया जाना।

(vii) सड़क सुरक्षा और दुर्घटना अनुक्रिया पर बल दिया जाना।

(viii) स्वच्छ तकनीकों के उपयोग को प्राथमिकता।

(ix) यथासंभव निजी क्षेत्रों का सहयोग लिया जाना।

राष्ट्रीय नगरीय स्वच्छता नीति (*National Urban Sanitation Polity*)

राष्ट्रीय नगरीय स्वच्छता नीति के निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए हैं-

(i) जागरूकता निर्माण और व्यावहारिक स्तर पर परिवर्तन।

(ii) 'खुले में शौच' मुक्त नगर तथा सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद स्वच्छता सुविधाओं पर बल। इसके लिए समुदाय नियोजित और प्रबंधित शौचालयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

(iii) राष्ट्रीय, राज्य, नगर और स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ करना ताकि स्वच्छता प्रावधान को प्राथमिकता मिले।

(iv) मानव अपशिष्ट और तरल अपशिष्टों का 100% निपटान किया जाना। इसके लिए पुनर्चक्रण और उपचारित अपशिष्ट जल का पुनर्उपयोग किया जाएगा।

राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति 2007

(National Urban Housing and Habitat Policy 2007)

शहरी क्षेत्रों के बदलते सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और आवासों की बढ़ती मांग व संबंधित बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए साल 2007 में राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति तैयार की गई। इस नीति के अन्तर्गत "सभी के लिए वहनीय आवास" विशेष रूप से शहरी गरीबों के लिए, के लक्ष्य को पाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को विभिन्न प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है। आवासों की भारी कमी तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के पास बजट की कमी के कारण इस नीति में निजी क्षेत्र, कॉरपोरेट क्षेत्र, श्रमिक आवास के लिए औद्योगिक क्षेत्र और कर्मचारियों के आवास के लिए सेवा/संस्थागत क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति की कार्य योजना में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य शहरी आवास व सहवर्ती राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहन व सहायता की बात की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, बैंकों व आवास वित्त कंपनियों, सार्वजनिक/अशासकीय एजेंसियों के लिए विशेष भूमिकाएँ निर्धारित की हैं। इन एजेंसियों के कार्यों को संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है:

केन्द्र सरकार की भूमिका

- 'सुविधा दाता' एवं 'सामर्थ्यकारी' के रूप में कार्य करना।
- संबंधित सरकारों को राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति समयबद्ध आधार पर अपनाने व क्रियान्वित करने के लिए परामर्श देना और मार्ग निर्देश करना,
- आवास क्षेत्र के विकास और ठोस आधार पर पारिस्थितिकी पर्यावास को विकसित करने से संबंधित उचित विकेन्द्रीकरण द्वारा देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना,
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वित्त प्रणाली विकसित करना,
- जलापूर्ति, नालों, सफाई, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति तथा परिवहन सुविधाओं से संबंधित पर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजनाओं को बढ़ावा देना।
- भौतिक, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के प्रावधान के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य आवास संवर्धन मॉड्यूलों और मानकों को विकसित करना,
- आवास और शहरी बुनियादी सुविधाओं के संवर्धन के लिए वित्त मंत्रालय से सहयोग करके उपयुक्त वित्तीय रियायतें देना जिसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान रखा जाए।

राज्य सरकारों की भूमिका

- राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति तैयार करना,
- स्लम विकास परियोजनाओं और संगठित टाउनशिप विकास परियोजनाओं के संबंध में शहरी भूमि बोर्डों/अशासकीय एजेंसियों/निजी क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र/स्वयं सेवी संगठनों से सहयोग करके सुविधादाता व सामर्थ्यकारी के रूप में कार्य करना।
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा बड़ी आवासीय एवं पर्यावास विकास परियोजनाओं के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना,
- समुचित मात्रा में जलापूर्ति, नालों, सीवरेज, सफाई, व्यशन, विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपलब्धता के प्रावधान से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन रणनीतियाँ तैयार करना,
- भवन निर्माण सामग्री के स्थानीय उत्पादन और उपलब्धता हेतु विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा व प्रोत्साहन देना,
- मास्टर प्लान तैयार व अद्यतन करना और साथ ही क्षेत्रीय योजनाएँ, महानगरीय योजनाएँ, जिला योजनाएँ और राज्य स्तरीय क्षेत्रीय योजना से संबंधित एजेंसियों के माध्यम से प्लान तैयार व अद्यतन करना जिससे शहरी गरीबों के लिए भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए।
- आवासीय तथा बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं के लिए सुविचारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना,
- सहकारी ग्रुप आवास समितियों, कर्मचारी संगठनों, श्रमिक आवास संवर्धन संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय

Copyright– Drishti The Vision Foundation

आधारित संगठनों को आवास के लिए सूक्ष्म वित्त और आवास विकास से संबंधित मामलों में शहरी स्थानीय निकायों/अशासकीय एजेंसियों से भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना,

- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकायों, बैंकों/सूक्ष्म वित्त संबंधी संस्थानों तथा भावी लाभार्थियों के बीच साझेदारी से स्थानीय गंदी बस्तियों का उन्नयन करना।

बैंकों और आवास वित्त संस्थानों की भूमिका

- आर्थिक दृष्टि से कमजोर और निम्न आय वर्गों का अधिक ध्यान रखते हुए अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना,
- नए-नए वित्तीय उपायों को बढ़ावा देना, जैसे- बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण बाजार और सेकेण्डरी बंधक बाजार का विकास करना।
- आवास ऋणों को आय अनुसार प्रसार/मजबूत करने के उपाय करना ताकि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लाभार्थियों की संख्या बढ़े।
- ऋण मूल्यांकन मानदंडों के संबंध में अधिक लचीली और नवीन प्रणालियाँ अपनाना।
- वित्तीय उत्पादों को विकसित करना जिससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों ओर निम्न आय वर्ग के लाभार्थी बीमा सुविधा लेने के लिए प्रोत्साहित हों।
- स्लम सुधार एवं उन्नयन कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण हेतु अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना।
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर और निम्न आय वर्गों को लक्षित करते हुए आवास वित्त की नई-नई योजनाएँ तैयार करना, जिनके लिए सरकार से पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी मिले।
- बचतें करने और आवास वित्त क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों और स्व-सहायता समूहों को विकसित करना।

शहरी फेरीवालों की राष्ट्रीय नीति, 2009
(National Policy on Urban Street Venders, 2009)

हाल ही में शहरी फेरीवालों की राष्ट्रीय नीति, 2004 में व्यापक रूप से संशोधन किया गया है। इस संशोधित शहरी फेरीवालों की राष्ट्रीय नीति, 2009 का लक्ष्य शहरी फेरीवालों के लिए एक ऐसा माहौल बनाना है, जिसमें वे बिना किसी प्रताड़ना के अपना कार्य कर सकें, पटरी पर भीड़-भाड़ रोकने के लिए विनियमन तंत्र उपलब्ध हो सके तथा सड़कों पर यातायात का सुगम प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति का लक्ष्य है कि शहरी फेरीवालों को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर समुचित मान्यता मिले और उन्हें शहरों एवं कस्बों में गरीबी उपशमन की एक राष्ट्रीय पहल के हिस्से के रूप में समझा जाए।

शहरी फेरीवालों की राष्ट्रीय नीति, 2009: महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ

अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में शहरी स्थानीय निकाय के नगरीय आयुक्त/प्रमुख कार्यकारी अधिकारी को सम्मिलित करते हुए कस्बा विक्रेता समिति का गठन होगा, जिसमें स्थानीय प्राधिकरण; योजना प्राधिकरण एवं पुलिस प्राधिकरण; फेरीवालों की संस्थाएँ, रैजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एवं समुदाय आधारित संगठन; एनजीओ के रूप में अन्य नागरिक समिति संगठन, व्यावसायिक समूहों के प्रतिनिधि, व्यापार एवं वाणिज्य के प्रतिनिधि, अनुसूचित बैंकों के प्रतिनिधि एवं प्रमुख नागरिक शामिल होगें।

यह निम्नलिखित कार्य करेगी-

- शहरी स्ट्रीट विक्रेता हेतु सर्वे करवाएगी;
- पटरी विक्रेता का पंजीकरण किया जाएगा एवं उनको पहचान पत्र जारी किए जाएगें;
- प्रत्येक विक्रेता जोन की अधिकतम क्षमता का निर्धारण एवं मूल्यांकन करना;
- विक्रेता गतिविधियों की निगरानी करना;
- पटरी विक्रेताओं की भावना का ख्याल रखना, कस्बा विक्रेता समिति के माध्यम से राजस्व की वसूली करना।
- यह समिति पटरी विक्रेता या पटरी विक्रेताओं एवं तीसरी पार्टी "हस्तक्षेप के प्रथम बिन्दु के रूप में" के बीच उठने वाले विवादों के समाधान एवं शिकायतों के निपटारे लिए जवाबदेह होगी।
- विशेष शहरों/कस्बों में "अनुबंधन मुक्त फेरीवाला क्षेत्र", "अनुबंधित फेरीवाला क्षेत्र" तथा "गैर बिक्री क्षेत्र" निधारित करना गैर-विक्रेता जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में चलती-फिरती पटरी की अनुमति दी जाए।

Copyright - Drishti The Vision Foundation

- सभी नए स्थानीय प्लानों में पटरीवालों के लिए जगह का आरक्षण तथा इसे क्रियान्वित करना।
- समिति के माध्यम से विनिमयन बनाना एवं ऐसे विक्रेताओं के पंजीकरण की शर्त पर किसी भी शहर/कस्बे में सामान बेचने की अनुमति केवल उन्हीं विक्रेताओं को दी जाए जिनका पंजीकरण हो एवं पंजीकरण के लिए कोई भी अंतिम तिथि न हो।
- विक्रेता कोड संख्या, विक्रेता का नामिती; श्रेणी (स्टेशनरी/मोबाईल) आदि जैसे संशोधित विवरण सहित पहचान पत्र जारी करना तथा पंजीकरण करना।
- सक्षम व्यावसायिक संस्थानों/एजेन्सियों द्वारा पटरी विक्रेताओं एवं उनकी जगहों का व्यापाक फोटोग्राफिक सर्वे करवाया जाए तथा कम्प्यूटरीकृत सूचना सिस्टम का रख-रखाव किया जाए।
- जहाँ जगह की ज़्यादा मांग है, वहाँ रोस्टर आधारित जगह के लिए टाइम शेयरिंग मॉडल प्रस्तुत कर दिया गया है।
- विक्रेता स्टॉल/स्थानों के आवंटन में विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ एससी/एसटी के आरक्षण की व्यवस्था करना।
- स्टेशनरी विक्रेता को अन्य दस वर्षों के आगामी विस्तार सहित 10 वर्ष की समय सीमा देना।
- चूँकि पटरी विक्रेता छोटे उद्यमी होते हैं, अत: उन्हें उधार, थोड़ा-वित्त, बीमा तथा वोकेशनल शिक्षा इत्यादि उपलब्ध कराई जाए, समिति इस संबंध में पटरीवालों में सूचना प्रसार करे।

फेरीवालों पर मॉडल विधेयक: फेरीवालों का जीवन-यापन संरक्षण एवं रेग्यूलेशन बिल, 2009
(Street Vendors (Protection of livlihood and Regulation of Street Vending Bill 2009)

- सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में कस्बा विक्रेता समिति (Town Vendor Committee – TVC) का गठन करेगी। यदि आवश्यकता महसूस की जाती है, तो वार्ड विक्रेता समितियों का भी गठन किया जा सकता है।
- स्थानीय प्राधिकरण द्वारा टीवीसी के कर्मचारियों एवं कार्यालय स्थान की व्यवस्था की जाएगी।
- टीवीसी के गैर-कार्यालयी सदस्य का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए नियत किया जाएगा। सरकार द्वारा उनके आगामी नामांकन को समाप्त किया जा सकता है।
- यह टीवीसी प्रतिबंध मुक्त विक्रेता जोन, प्रतिबंधित विक्रेता जोन या विक्रेता रहित जोन के लिए जगह की पहचान करने, पटरी के लिए विशेष क्षेत्रों की क्षमता का निर्धारण करने, विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी करने एवं पंजीकरण की अनुमति देने, विक्रेता गतिविधियों आदि का अनुवीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- प्रत्येक फेरीवाला से निर्धारित फीस चुकाने पर टीवीसी में पंजीकरण करवाने की अपेक्षा की जाएगी। एक व्यक्ति का पंजीकरण केवल एक विक्रय स्थान के लिए ही किया जाएगा। पंजीकरण को आवधिक रूप से नवीकृत किया जाएगा।
- स्थानीय प्राधिकरण टीवीसी की गतिविधियों के पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण के अलावा पटरी विक्रय के लिए आवश्यक उपविधिकों को नमूनाबद्ध किया जाएगा। फेरीवालों को विक्रय ज़ोन में नागरिक सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। टीवीसी के परामर्श से स्थानीय प्राधिकरण द्वारा फेरी वालों से ली जाने वाली फ़ीस/उगाही को नियमबद्ध किया जाएगा।
- मास्टर प्लान/विकास प्लान, जोन प्लान आदि में विक्रय जोन हेतु पर्याप्त स्थान चिह्नित करने की ज़िम्मेदारी योजना प्राधिकरण की होगी
- विक्रय की शर्तों एवं निबंधनों के उल्लंघन से संबंधित अपराधों के लिए टीवीसी द्वारा विक्रेताओं पर दो सौ रुपये से लेकर पाँच सौ रुपये तक का समुचित दंड लगाया जाएगा।

रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) विधेयक - 2012
(Real Estate (Regulation and Development Bill – 2012)

रियल एस्टेट सेक्टर में निष्पक्ष व्यवहार तथा जवाबदेही मानकों को लागू करने तथा विवादों के तीव्र निपटान के लिए न्याय निर्णय व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) विधेयक 2012 का प्रारूप तैयार किया है।

इस विधेयक का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर और आवासीय लेन-देन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही संस्थापित कर रियल एस्टेट सेक्टर में सामान्य लोगों का विश्वास पुन: स्थापित करना है। विधयेक में कार्य दक्षता, व्यवसायीकरण तथा मानकीकरण के द्वारा विनियमित और व्यवस्थित वृद्धि को प्रोन्नत करना अपेक्षित है। इस विधेयक की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

Copyright - Drishti The Vision Foundation

- प्रत्येक राज्य में, क्षेत्र की व्यवस्थित और नियोजित वृद्धि को सुविधाजन्य बनाने के लिए निर्दिष्ट कार्यो, शक्तियों तथा जिम्मेदारियों के साथ 'रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण' की स्थापना करेगी।
- डेवलपर्स/बिल्डरों, जो किसी भी अचल सम्पत्ति को बेचना चाहते हैं, उन्हें रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण के साथ अनिवार्यत: पंजीकरण करना होगा।
- अनिवार्य भुगतानों तथा करारनामा के तहत सहमत अन्य प्रभारों और किसी विलम्ब की दशा में ब्याज का भुगतान करने के दायित्व आवंटियों का होगा।
- प्राधिकरण को रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में समन्वयकारी कार्य करने तथा एक पारदर्शी, कुशल एवं प्रतियोगी रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रगति और विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना; प्रोन्नतकर्ताओं तथा खरीददारों के बीच विवादों को निपटाने के लिए विवाद निपटान का समधान तंत्र भी स्थापित करना।
- प्राधिकरणों में इस क्षेत्र का समुचित ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले कम से कम दो सदस्य और एक अध्यक्ष का होना।
- विवादों की न्यायिक सुनवाई तथा प्राधिकरण के आदेशों से अपीलों की सुनवाई के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा "रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल" की स्थापना करना। ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश करेंगे और 4 न्यायिक एवं कम से कम 4 प्रशासनिक/तकनीकी सदस्य होंगे।
- ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के पास ट्रिब्यूनल की शक्तियां का इस्तेमाल करने के लिए बेंच गठित करने की शक्ति होगी।
- इस अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मामलों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए केन्द्रीय परामर्श परिषद की स्थापना की व्यवस्था। परिषद का कार्य नीति के मुख्य प्रश्नों पर सिफारिश देना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना तथा रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रगति एवं विकास करना होगा।

शहरीकरण से संबंधित कुछ संस्थाएँ

1. **आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड - हुडको (Housing and Urban Development Corporation Ltd. – HUDCO):** भारत सरकार द्वारा एक पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) का गठन 25 अप्रैल, 1970 को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया गया। इसकी स्थापना आवास की कमी की समस्याओं से निपटने, मलिन बस्तियों की बढ़ती संख्या और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक पहल के रूप में किया गया। हुडको को निर्माण और आवास की कमी के उन्मूलन तथा शहरी केन्द्रों के व्यवस्थित विकास और गति को तेज करने का काम सौंपा गया।

   हुडको के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं–

   1. आवासीय प्रयोजनों और देश में शहरी विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए घरों के निर्माण हेतु दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना।
   2. पूरी तरह या आंशिक रूप से नए या उपग्रह नगर की स्थापना के लिए वित्त की सुविधाएँ देना।
   3. डिबेंचरों और बांड की सदस्यता के लिए राज्य बोर्डों, सुधार न्यासों आदि के अधिकारियों, विशेष रूप से वित्तपोषण, आवास और शहरी कार्यक्रमों के उद्देश्य के लिए कार्य करना।
   4. निर्माण सामग्री के औद्योगिक उद्यमों की स्थापना में सहायता करना।
   5. भारत और विदेशों में स्थापना, सहायता, सहयोग और डिज़ाइन तथा आवास एवं शहरी विकास कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों की योजना बनाने की परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान करना।

   हुडको को "अग्रणी ज्ञान केन्द्रों और आवास की सुविधाओं से युक्त एक आवासीय प्रबंधन संगठन" की संज्ञा देते हुए उसका मिशन "जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सतत् पर्यावास के विकास को बढ़ावा देना" तय किया गया है।

2. **राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग (National Urban Commission):** देश के पहले राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग का गठन प्रसिद्ध वास्तुविद् चार्ल्स कोरिया की अध्यक्षता में अक्टूबर 1985 में किया गया। आयोग ने सन् 1988 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग को तीव्रगति से हो रहे शहरीकरण का प्रबंधन करने के लिए एक कार्ययोजना के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने और प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्रों की पहचान करने का काम सौंपा गया। आयोग ने ऐसे 329 केंद्रों की पहचान की जिनका आर्थिक और भौतिक आकार शहरों के ढाँचे में ढाला जा सकता था। इन्हें आर्थिक संवेग का उत्पादन केंद्र (Generators of Economic Momentum – GEM) कहा गया। इन केंद्रों को 49 विशेष प्राथमिक शहरीकरण क्षेत्र (Spatial Priority Urbanization Regions – SPRU) में रखा गया। आयोग का स्पष्ट मत था कि देश के विकास की प्रक्रिया में शहरीकरण एक अहम अभिकर्ता (Agent) है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

3. **राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank):** राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई, 1988 को की गई। नई दिल्ली स्थित इस बैंक की संपूर्ण चुकता पूंजी भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रदान की है और इस बैंक के कार्य और कारोबार का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देश और प्रबंधन, अधिनियम के तहत, निदेशक मंडल के अधीन है। इस बैंक की प्रस्तावना में कहा गया है कि राष्ट्रीय आवास बैंक "स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थानों के संवर्धन हेतु एक प्रमुख एजेंसी के तौर पर कार्य संचालन करेगा तथा ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य प्रासंगिक विषयों के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा। बैंक का दृष्टिकोण "आवास वित्त बाजार में स्थायित्व सहित सघन विस्तार का संवर्धन" रखते हुए उसका मिशन "जनसंख्या के सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न और मध्यम आय आवास पर ध्यान देने सहित बाजार संभावनाओं को तलाशना और उसका संवर्धन" करना रखा गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक के उद्देश्य:

1. जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए एक सुदृढ़, स्वास्थ्य, व्यावहार्य तथा लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली का संवर्धन और समेकन।
2. विभिन्न आय समूहों तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए पर्याप्त तौर पर सेवा करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों का एक नेटवर्क विकसित करना।
3. क्षेत्र हेतु संसाधनों का संवर्धन और उनका आवास हेतु शृंखलाकरण।
4. आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
5. अधिनियम से प्राप्त विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकार के तौर पर आवास वित्त कंपनियों के क्रियाकलापों का विनियमन।
6. आवास हेतु भवन निर्माण योग्यभूमि और भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति में वृद्धि को भी प्रोत्साहन देना तथा देश में आवास इकाइयों का उन्नयन।
7. आवास हेतु भूमि के पूर्तिकर्ताओं और सुविधा प्रदाताओं के तौर पर सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहन देना।

4. **भारत पर्यावास केंद्र (India Habitat Centre):** इस केंद्र को स्थापना 1993 में की गई थी। इस भवन के निर्माण को लेकर हडको का विचार यह था कि भारत में शहरीकरण से जुड़ी संस्थाओं को एक छत के नीचे स्थापित किया जाए। इस भवन का स्थापत्य इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया कि यह भारत में सरकारी कार्यालयों की परम्परागत छवि को बदल दे। करीब नौ एकड़ में बने इस विशाल भवन में कई प्रकार के संगठनों को जगह दी गई है। इनमें एसोसिएशन आफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफ्रैक्चर्स, ऑल इंडिया ब्रिक एंड टाइल्स मैन्यूफैक्चर्स, ऑल इंडिया हाउसिंग डेवलपमेंट एसोसिएशन, सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल आफ आर्किटेक्चर्स, राष्ट्रीय आवास बैंक, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन आदि प्रमुख हैं।

5. **दिल्ली नगर कला आयोग (Delhi Urban Art Commission):** दिल्ली नगर कला आयोग की स्थापना वर्ष 1973 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार को दिल्ली भर में शहरी और पर्यावरणीय डिजाइन की सौंदर्यबोधक गुणवत्ता के परिरक्षण, विकास और रखरखाव के बारे में सलाह देने तथा विभिन्न स्थानीय निकायों को ऐसे निर्माण कार्यों या इंजीनियरिंग क्रियाकलापों की परियोजना या विकास प्रस्ताव के बारे में परामर्श और मार्गदर्शन देने के लिए की गई थी, जो आस-पास की रूपरेखा या सौंदर्यबोधक विशेषता या निकाय के दायरे में प्रदत्त किसी सार्वजनिक सुविधा पर असर डालती हो या जिसके असर डालने की संभावना हो।

6. **शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Urban Affairs – NIUA):** इस संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य शहरी विकास और प्रबंधन के मामलों में शोध, प्रशिक्षण और संबंधित सूचना के प्रसार के क्षेत्रों में कार्य करना है। सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत इस स्वायत्त संस्थान को शहरी विकास मंत्रालय, संबंधित प्राधिकरणों और राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त है। एक परिषद द्वारा संचालित यह संस्थान शहरीकरण के मसलों पर अध्ययनों को बढ़ावा देने, शहरी समस्याओं पर उच्च स्तरीय अध्ययनों के केंद्र, शहरी विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के आयामों सहित सामाजिक, प्रशासनिक और वित्तीय मसलों का मूल्यांकन, शहरी मामलों में विशेषज्ञता उपलब्ध कराने आदि का कार्य भी करता है।

7. **निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (Building Material and Technology Promotion Council):** सन् 1990-91 में गठित इस परिषद की स्थापना प्रयोगशाला विकास एवं वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्रियों और निर्माण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र एवं अनुप्रयोगों के मध्य अंतर को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्था प्रदर्शन निर्माण, क्षमता भवन, कौशल विकास; प्रशिक्षण, प्रदर्शनियों और अन्य प्रकार के प्रकाशनों की मदद से नवीन एवं पर्यावरण हितैषी भवन निर्माण सामग्रियों के उपयोग को प्रोन्नत करने के लिए प्रयासरत है।

8. **हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड (Hindustan Prefeb Limited):** आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत सन्

Copyright– Drishti The Vision Foundation

1948 में सरकारी आवास फैक्ट्री का गठन किया गया था। सन् 1975 में इनका नाम बदलकर हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड कर दिया गया। यह कंपनी स्लमवासियों एवं शहरी गरीबों के लिए व्यापक आवास एवं अवसंरचनात्मक कार्य; संस्थानिक भवन और रिहायशी परिसर, अस्पताल भवन, सीवरेज शोधन संयंत्र, आंतरिक सज्जा एवं फर्नीचर, खेल परिसर, कैम्पस विकास, रीयल्टी परामर्श, प्रिफैब कंक्रीट एवं प्रीइंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चर, गुणवत्ता निरीक्षण और आपदा पुनर्वास परियोजनाओं के लिए कार्य करती है। यह कंपनी बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में अपनी परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है।

9. **राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (National Building Organization – NBO):** यह संगठन आवास और भवन निर्माण गतिविधियों से संबंधित सांख्यिकीय सूचनाओं के एकत्रीकरण, तालिकाकरण और प्रसार के लिए देश में एक शीर्षस्थ संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। इसका पुनर्गठन 2006 में किया गया था। इस संगठन को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के घटक शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम और राजीव आवास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के मूल्यांकन, स्वीकृति, निगरानी और समीक्षा के कार्यों में समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। इस संगठन ने आवास स्टार्ट अप इंडेक्स योजना चलाई है। इस सूचकांक का आकलन और प्रकाशन अधिकांश विकसित देशों में व्यावसायिक उतार चढ़ाव को दर्ज करने के लिए किया जाता है।

10. **भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ लिमिटेड (National Cooperative Housing Federation of India):** यह समस्त सहकारी आवास सेक्टर का एक राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में आवास सहकारिता की गतिविधियों को बढ़ावा देना, मार्गदर्शन करना और समन्वय करना है। यह संगठन सहकारिताओं के साथ-साथ शीर्ष सहकारी आवास के तकनीकी और अन्य पहलुओं तथा संगठन व प्रबंधन, वित्त, लागत, प्रभावी निर्माण सामग्री, व निर्माण शिल्प, कानूनी मामले, लेखा-बही रखने आदि के प्रशिक्षण के अलावा आवासीय गतिविधियों से जुड़ी सहकारिताओं के सभी संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थानों के लाभ एवं उपयोग के लिए सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्र करता है।

11. **ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (Human Settlement Management Institute – HSMI):** इस संस्थान की स्थापना हुडको ने 1985 में की थी। यह संस्थान हुडको के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग के रूप में कार्य करता है। यह संस्थान हुडको की ऋण एजेंसियों, स्थानीय निकाओं, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र के आवास वित्त संस्थानों आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को क्षमता एवं कौशल प्रदान करने के कार्य में अग्रणी है। संस्थान को कार्यक्षेत्रों में आवास, अवसंरचना, नगरीय पर्यावरण, नगरीय गरीबी, नगरीय वित्त, नगरीय गवर्नेंस और मानवीय बस्ती की क्षमता निर्माण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करना शामिल है।

12. **नेशनल रियल डेवलपमेंट काउंसिल (National Real Estate Development Council – NAREDCO):** इस परिषद की स्थापना 1998 में एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गई। यह परिषद एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जहाँ सरकार, उद्योग और निजी लोग या संस्थाएं इस क्षेत्र की समस्याओं और नए अवसरों को लेकर आपस में खुले तौर विचार कर सकते हैं। इसका परिणाम मुद्दों के त्वरित हल के रूप में सामने आता है। इस परिषद के गठन का एक अन्य उद्देश्य रियल स्टेट बिजनेस में पारदर्शिता और नैतिकता का विकास करना और असंगठित भारतीय रियल स्टेट क्षेत्र को परिपक्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करना है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

28/7/13

इकाई-6

भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव
(Effects of Globalization on Indian Society)

****(इस टॉपिक का संबंध मुख्य-परीक्षा के प्रश्नपत्र-1 के विषय संख्या 8 से है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में इसका संबंध भाग-3 से है।)*

भूमंडलीकरण वस्तुत: एक प्रक्रिया को इंगित करता है जिसमें व्यापार के वैश्विक नेटवर्क (Global Network of Trade), संचार, आव्रजन (Immigration) और परिवहन के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं, समाजों एवं संस्कृतियों का एकीकरण हो गया है।

अभी हाल तक भूमंडलीकरण को मुख्यत: विश्व के आर्थिक पक्षों- व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह आदि तक केंद्रित कर देखा जाता था, लेकिन अब इसे व्यापक संदर्भों में देखा जा रहा है। इसके अन्तर्गत संस्कृति, मीडिया, तकनीक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों और यहाँ तक कि जैविक गतिविधियों, जैसे- जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों को भी शामिल किया गया है।

आज भूमंडलीकरण के प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं है। किसी न किसी रूप में इसका प्रभाव सभी देशों पर दिखाई पड़ता है। भारतीय लोगों के जीवन, संस्कृति, रुचि, फैशन, प्राथमिकता इत्यादि पर भी भूमंडलीकरण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। एक तरफ इसने आर्थिक विकास को गति और प्रौद्योगिकी का विस्तार कर लोगों के जीवन-स्तर को सुधारने में मदद किया है तो दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति और परंपरा में सेंध लगाकर हम पर विदेशी संस्कृतियों को थोपने का प्रयास किया है। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के प्रभाव को नीचे दिये गए विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है:

भारतीय अर्थव्यवस्था पर भूमंडलीकरण का प्रभाव
(Effects of Globalisation on Indian Economy)

भूमंडलीकरण के द्वारा भारत जैसे विकासशील देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संभव होने से पूंजी की समस्या का समाधान संभव होता जा रहा है तथा ऋणग्रस्तता भी नहीं बढ़ रही है। इससे भारत की विदेशी मुद्रा उपलब्धता की समस्या भी कुछ सीमा तक हल हुई है। भारत के आयात बिलों का भुगतान करने में अब ज्यादा आसानी होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ तकनीकी का हस्तांतरण भी होता है, जिससे भारत में उत्पादन क्षमता एवं संवृद्धि दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। विदेशी कंपनियाँ धन के साथ तकनीक का भी निवेश करती हैं। तकनीक की मदद से कम संसाधनों के प्रयोग से अधिक उत्पादन किया जाना संभव होता है। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और इसके कारण सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ जाता है।

भूमंडलीकरण के कारण भारत जैसे विकासशील देश के उत्पादों के लिए बाजार की उपलब्धता बढ़ गई है। भारत के उत्पाद अब विश्व में कई जगह उपलब्ध होते हैं। साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाली उपभोग की वस्तुएँ भारतीय नागरिकों को कम कीमत पर उपलब्ध हो रही हैं। भूमंडलीकरण से उत्पादन लागत में कमी होती है जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कमी होती है। अत: इस प्रक्रिया से सबसे अधिक लाभ उपभोक्ता वर्ग को हो रहा है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में प्रतिबंधों की समाप्ति सुनिश्चित होती है, जिससे एकाधिकारी प्रवृत्ति हतोत्साहित हो रही है। भूमंडलीकरण के द्वारा अर्थव्यवस्था खुलने से विभिन्न देशों के निवासियों के मध्य आपसी समन्वय बढ़ा है, इससे सामाजिक विकास के प्रचालों, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है।

एक क्षेत्र जिसमें भूमंडलीकरण भारत के लिए उपयोगी नहीं है वह है-रोजगार पैदा करना। यद्यपि इसने अत्यधिक कुशल कारीगरों को अधिक कमाई के अवसर प्रदान किए परंतु भूमंडलीकरण व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा करने में असफल रहा। अभी कृषि को, जो भारत की रीढ़ है, भूमंडलीकरण का लाभ मिलना शेष है। भारत के अनेक भू-भागों को विश्व के अन्य भागों में उपलब्ध भिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी का कुशलता से प्रयोग कर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। विकसित देशों में खेती के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को अपनाने के लिए भारतीय कृषकों को शिक्षित करना है। भूमंडलीकरण द्वारा अभी भारत के लाखों घरों में सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवानी है।

भारत के संदर्भ मे भूमंडलीकरण का एक दूसरा पहलू भी है। भूमंडलीकरण की वजह से हमारे देश में कुटीर व लघु उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं, स्वावलंबन घट रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमारी स्वदेशी कंपनियाँ विदेशी कंपनियों के पैसे व ताकत के आगे आत्मसमर्पण कर रही हैं। आज देश में बड़े कारखानों की बढ़ती संख्या ने स्वरोजगारियों को मजदूर बना दिया है और हमारे गाँवों की आबादी रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रही है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

किसानों के लिए भूमंडलीकरण सेज नामक एक और मुसीबत लेकर आया है। सेज (Special Economic Zone) जिसे हम 21वीं सदी के उपनिवेश अथवा "देशी जमीन पर विदेशी टापू" कह सकते हैं के नाम पर गाँव के गाँव उजाड़े जा रहे हैं। विदेशी निवेशकों को किसानों की उपजाऊ जमीनें कौड़ी के भाव दी जा रही हैं जिससे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। भूमिहीनों व मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और किसानों के लिए खेती आज घाटे का सौदा बन गई है। कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या का रास्ता अपना रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है।

भारतीय संस्कृति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव
(Effects of Globalisation on Indian Culture)

वर्तमान में भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का समग्र प्रभाव देखा जा सकता है। आजकल भारत में किसी भी विषय को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक समझा जाता है कि उसे किसी पश्चिमी देश द्वारा मान्यता मिले। यह देखा जाता है कि प्रगति, तर्क और विज्ञान के आधार पर पश्चिमी समाज और संस्कृति के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति सर्वव्याप्त है। उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में ही शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में अपने संबोधन के दौरान वैश्वीकरण के संकट को चिह्नित किया था। उनका कहना था कि वैश्वीकरण जैसी स्थिति में विश्व से आध्यात्मिकता, धर्म के प्रति आदर-सम्मान, आदर्श का लोप हो जाएगा और देवी-देवता के स्थान पर लालसा और विलासिता का महत्त्व बढ़ जाएगा। धोखाधड़ी, बल और प्रतिस्पर्द्धा को प्राथमिकता मिलेगी और व्यक्ति की आत्मा का कोई मोल नहीं रहेगा।

वस्तुतः वर्तमान में वैश्वीकरण के लगातार प्रभाव के कारण भारत में कुछ ऐसी ही स्थिति दृष्टिगत हो रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भारत में विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधुनिकीकरण की स्थिति ने लोगों में संकुचित भावना और पहचान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण के माध्यम से होने वाला सांस्कृतिक आधुनिकीकरण यदि समाज के प्रमुख सांस्कृतिक मूल्यों, इसकी भाषा, सामाजिक क्रियाकलाप और जीवन शैली को प्रोत्साहित नहीं करता है तो यह अर्थहीन सा माना जा सकता है। स्थानीय संस्कृतियों और समुदायों में निवास करने वाले लोगों के मध्य आत्म केन्द्रित भावना का विकास वैश्वीकरण के प्रभाव को इंगित करता है। भारत के समाजों और विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से विद्यमान सांस्कृतिक अन्तर्निर्भरता को दर्शाने वाले दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के संपर्क राष्ट्रीय पहचान को चुनौती देने के स्थान पर प्रभावी हुए हैं। व्यापक स्तर पर देखा जाए तो भारत की वेशभूषा, सृजनात्मक क्रियाकलाप, भाषागत प्राथमिकता, संगीत, पुरुष-स्त्री संबंध, बच्चे को गोद लेने की प्रवृत्ति, अत्याधुनिक क्रियाकलापों को वरीयता, सिनेमा के प्रति रुचि, सामाजिक रीति रिवाजों के प्रति विश्वास और नृत्य रूपों को वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है। यह भी द्रष्टव्य है कि भारत के युवाओं के बीच वैश्वीकरण का प्रभाव तो पड़ा ही है, यह प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में अधिक हावी है। भूमंडलीकरण पारिवारिक संरचना को भी बदलता है। अतीत में संयुक्त परिवार का चलन था। अब इसका स्थान एकाकी परिवार ने ले लिया है। हमारी खान-पान की आदतें, त्योहार, समारोह भी काफी बदल गए हैं। फास्ट-फूड रेस्तराओं की बढ़ती संख्या और कई अंतर्राष्ट्रीय त्योहार भूमंडलीकरण के प्रतीक हैं। भूमंडलीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे पहनावे में देखा जा सकता है। समुदायों के अपने संस्कार, परंपराएँ और मूल्य भी परिवर्तित हो रहे हैं। भूमंडलीकरण के कारण पाश्चात्य संस्कृति और परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति में पैर पसार रही है, जिसकी वजह से आज हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों में गिरावट आती जा रही है। आज पाश्चात्य संस्कृति हम पर इतनी प्रभावी होती जा रही है कि अभिवादन और अन्य सामान्य व्यवहार में पश्चिमी आचरण को प्रमुखता मिलने लगी है।

भूमंडलीकरण ने लोगों में ब्रांड को लेकर दौड़ और अनुपयोगी वस्तुओं के संग्रहण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। लोग विदेशी और महँगे ब्रांडों से युक्त सामान खरीदने के लिए आतुर दिखते हैं और वे उनका संबंध सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ने लगे हैं। उदाहरण के लिए कम दाम की कोई भी घड़ी वही समय बताती है जो कि बेहद महँगी और विदेशी घड़ी भी बताती है। लेकिन आज बाजार में महँगी घड़ियों के लिए एक पूर्ण विकसित बाजार बन गया है। लोग वस्तुओं को उनके काम से नहीं बल्कि उनके ब्रांड से पहचानते हैं। यहाँ तक कि कंपनियों के कामकाज में ब्रांड मेकिंग एक आवश्यक अंग बन गया है। अगर फोन एप्पल का होगा तो लोग समझते हैं कि इससे उनकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो रही है। इससे स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण के कारण मनुष्य अब अपने गुणों के द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा के अर्जन के बजाए भौतिक वस्तुओं के एकत्रीकरण पर जोर देने लगा है। साथ ही अब बाजार से तमाम ऐसी वस्तुएँ खरीदी जाने लगी हैं जिनके नहीं होने पर भी हमारे जीवन की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

Copyright - Drishti The Vision Foundation

भारतीय शिक्षा पर भूमंडलीकरण का प्रभाव
(Effects of Globalisation on Indian Education)

भूमंडलीकरण के कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है जिसके कारण नई-नई शैक्षिक तकनीकों का शिक्षा में समावेश किया जा रहा है। जहाँ पहले शिक्षा केवल व्याख्यान विधि के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर दी जाती थी, वहीं आज यह शिक्षा प्रोजेक्टर, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि आदि के आधार पर दी जाने लगी है जिससे आज शिक्षा के क्षेत्र में बिना बोझे के शिक्षा, निर्मितवाद, अभिसंज्ञानवाद आदि नये सम्प्रत्यय उभर रहे हैं। भूमंडलीकरण के कारण द्रुततर संप्रेषण यात्रा तथा सूचना प्रौद्योगिकी ने संसार को एक वैश्विक ग्राम का रूप दे दिया है। संसार में घटित हो रही घटनाओं और बढ़ रहे ज्ञान क्षेत्रों की जानकारी हम अपने कमरे में बैठकर प्राप्त कर रहे हैं जिससे शिक्षा का दायरा व्यापक हो रहा है। भूमंडलीकरण के कारण विभिन्न देशों के लोगों के बीच विचार विनिमय, समानता एवं परंपराओं के विनिमय को गति मिल रही है जिससे हमारी सोच एवं हमारा व्यवहार व्यापक हुआ है।

लेकिन, भूमंडलीकरण के कारण ही आज प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक धनाधीन होने के कारण शिक्षा व्यवसाय बन गया है। देश में प्रौद्योगिकी व प्रबंधन संस्थानों की संख्या बढ़ती जा रही है, इन संस्थानों से निकलने वाले युवा भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं जिससे प्रतिभा पलायन (Brain Drain) को प्रश्रय मिलता है। भूमंडलीकरण के कारण ही आज प्रतिभा पलायन की समस्या बनी हुई है।

भारतीय महिलाओं पर भूमंडलीकरण का प्रभाव
(Effects of Globalisation on Indian Women)

वैश्वीकरण के नए चरण में भारतीय महिलाओं के जीवन में भी आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। उन्हें शिक्षा और रोजगार मिलने से वे वित्तीय और सामाजिक स्तर पर सशक्त हुई हैं। महिलाएँ अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं और माता-पिता/अभिभावक भी अपनी बेटी को घर से बाहर दूसरे शहर और यहाँ तक कि दूसरे देशों में शिक्षा प्राप्ति और नौकरी करने को भेजने के प्रति अब संशय भावना को समाप्त करने लगे हैं। वैश्वीकरण के कारण काम के स्तर पर महिला-पुरुष प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और कुछ नौकरियों में तो महिलाओं ने अपनी पहचान बनायी है। ये उच्च पदों पर पहुंच रही हैं और उच्च वेतन भी प्राप्त कर रही हैं।

अब महिलाओं की वेश भूषा में भी परिवर्तन आया है। साड़ी के साथ-साथ अब सलवार-कमीज और पाश्चात्य संस्कृति की वेशभूषा भी देखी जा रही है। अब इन्हें न केवल कार्य शैली के स्तर पर बल्कि भारतीय समाज में भी स्वीकार किया जाने लगा है। पुनः विवाह के स्तर पर जाति प्रथा से विलग अन्तरक्षेत्रीय और अन्तरमहाद्वीपीय स्वीकृति के साथ विवाह हो रहे हैं।

इन सबके अतिरिक्त वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। उदाहरणतः यह देखा जा रहा है कि महिलाएँ अपने परिवार के प्रति कम सहनशील होने लगी हैं। पति-पत्नी अपने स्वाभिमान के कारण तलाक जैसे कदम उठाना सहज मानने लगे हैं। अब यह देखा जा रहा है कि कार्य क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण महिलाएं घर पर अधिक समय नहीं दे पा रही हैं। आज एक तरफ जहाँ विश्व-मानवीय मूल्य, एवं अधिकारों की बात करता है वहीं पर्यटन और यौन-मनोरंजन के नाम पर देह-व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्त्री की पहचान उसके मूल्यों से नहीं शरीर की कीमत से आँकी जा रही है। यौन भिन्नता और अभिव्यक्ति स्त्री की निजी जरूरत के रूप में स्थापित होती जा रही है। बाजार स्त्री का वस्तुकरण करता जा रहा है। आज स्त्री बाजार द्वारा संचालित होती-सी नजर आती है। पितृसत्ता के जाल से निकलती हुई स्त्री भूमंडलीय उपभोक्तावादी ब्रांड संस्कृति में फँसती जा रही है। स्त्री की भूमिकाओं की पुनः परिभाषा भूमंडलीय समाज की सबसे बड़ी जरूरत है।

भारतीय मजदूर संगठनों पर भूमंडलीकरण का प्रभाव
(Effects of Globalisation on Indian Labour Organisation)

भूमंडलीकरण के फलस्वरूप तेज हुई आर्थिक गतिविधियाँ और प्रतिस्पर्धी व्यवस्था का प्रभाव मजदूर व उनके संगठनों पर भी पड़ा है। सरकारी एकाधिकार वाले क्षेत्रों में, श्रम के लिए सहानुभूति पूर्ण और संरक्षणवादी वातावरण में काम कर रहे मजदूर संगठनों के लिए राज्य का विद्रोही तेवर और प्रतिस्पर्धा तथा मुनाफे पर आधारित नीतियों का एक के बाद एक लादते जाना अप्रत्याशित था। सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों के शेयरों का विनिवेशीकरण, सरकारी और अर्धसरकारी प्रतिष्ठानों का निजीकरण, जबरिया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लादना, पेंशन लाभों पर आक्रमण, छटनी, नई भर्ती पर रोक आदि ने ट्रेड यूनियनों को अपने वर्तमान लाभों को बचाने के संघर्षों में ही इतना उलझा दिया कि पहले से उसकी अवेहलना के शिकार असंगठित क्षेत्र के तरफ ध्यान जाने के बावजूद कोई ठोस कदम उठाना उसके लिए मुश्किल हो गया।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright - Drishti The Vision Foundation

बाजारवाद के नए परिदृश्य में मजदूर संगठनों का पुराने परंपरागत तरीकों से रणनीतियाँ बनाना और काम करना मजदूरों और कर्मचारियों को बांधकर रखने और उनके हितों की पूरी तरह रक्षा करने में समर्थ नहीं हो रहा है। नये उभरे आईटी, कॉल सेंटर या रिटेल के क्षेत्रों के नीलवसन वाले कामगार (Blue Collar Worker) पुरातनपंथी तरीकों से हड़ताल पर नहीं जा सकते क्योंकि उनकी सेवा शर्तें सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों के समान सुरक्षा नहीं देती हैं। मजदूर आंदोलन को और अधिक विस्तारित होकर उन्हें अपने में समाहित करना होगा क्योंकि ये मजदूर ही हैं जिनके कन्धों के ऊपर से गुजरकर भूमंडलीकरण समाज के अन्य तबकों के पास जा रहा है।

भारतीय सिनेमा पर भूमंडलीकरण का प्रभाव
(Effects of Globalisation on Indian Cinema)

संचार माध्यमों में विशिष्ट स्थान रखने वाले सिनेमा और साहित्य मात्र मनोरंजन का साधन न होकर वे जनमानस के वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व सामाजिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। भूमंडलीकरण के पश्चात् प्रदर्शित फिल्मों ने दर्शकों को विलासितापूर्ण जीवन के दिवास्वप्न दिखाकर बाजार में उपलब्ध सामानों के अधिकाधिक उपभोग के लिए प्रेरित किया है और लोगों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर करने का काम किया है। सिनेमा में आज पहले की अपेक्षा अधिक बोल्ड विषय पर फिल्म निर्माण हो रहा है। यथा-सहजीवन, समलैंगिकता, पुरुष (स्ट्रीपर्स) सेक्स और विवाहेतर संबंध एवं प्यार की नई परिभाषा गढ़ती फिल्में इत्यादि। यह सही है कि भूमंडलीकरण से पहले इन विषयों पर फिल्म निर्माण नहीं होता था परंतु 1992 के पश्चात् हिंदी सिनेमा में कथ्य और शिल्प के स्तरों पर प्रयोगधर्मिता बढ़ी है।

आमतौर पर माध्यम पर नियंत्रण करने वालों के हित इसी में होते हैं कि उसके उपभोक्ता अपनी अभिरुचियों का विकास ऐसी दिशा में न करें, जो उनके हितों में बाधक हो। इसलिए वह ऐसे कार्यक्रमों की प्रस्तुति को अधिक प्रोत्साहित करता है, जो तत्कालीन रूप से प्रेक्षक को आनंद प्रदान करने वाले हों, जो उसके जीवन संबंधी मूल्यों को कम से कम आहत करें और जो उसे दुनिया के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से सोचने का मौका न दें। भारत में भूमंडलीकरण के कारण न सिर्फ अमरीकी और अन्य पश्चिमी देशों की संस्कृति, जीवन-शैली, कार्य-शैली का प्रचार-प्रसार हुआ, वरन् उनकी जीवनशैली से उपजी समस्याओं का भी तेजी से प्रसार हुआ। हालांकि सिनेमा भूमंडलीकरण के श्वेत पक्ष को ज्यादा तीव्रता से प्रेरकारी करता दिखाई देता है और उसके श्याम पक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी करता हुआ दिखाई देता है। इसकी तुलना में साहित्य में भूमंडलीकरण के बाद उपजी समस्याओं पर ज्यादा सामग्री उपलब्ध है।

सन् 1991 के पश्चात् भारत में जिस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश एवं उनके द्वारा निवेश बढ़ा, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य पर पड़ा। विदेशी कंपनियों ने अपने प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय सिनेमा एवं विज्ञापन जगत का हाथ थामा, जिसकी परिणति आज चौबीसों घंटे चलने वाले टेलीविजन प्रसारण पर स्पष्ट देखी जा सकती है। सिनेमा में अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश ने इसे प्रभावित किया। वस्तुतः भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज में अप्रवासी भारतीयों की छवि को बदला और इसमें सिनेमा ने निर्णायक भूमिका निभाई। पूंजी का अतिशय प्रदर्शन एवं बाजार की प्रतिष्ठा, इन दोनों को सिनेमा ने अभिव्यक्त कर जन-मानस को प्रभावित किया। रही-सही कमी टेलीविजन ने पूरी कर दी। भूमंडलीकरण के बाद सिनेमा में अप्रवासी भारतीयों के इर्द-गिर्द कहानियों को रचकर कई महत्त्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण किया गया। यथा-परदेश, दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, आ अब लौट चलें, कल हो न हो, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा न कहना, स्वदेश इत्यादि। इनके माध्यम से सिनेमा में व्याप्त उनकी पूर्व छवियों को तोड़ा गया और दर्शकों को यह संदेश दिया गया कि अप्रवासी होकर भी वे अपने मूल्यों एवं संस्कृति को नहीं भूले हैं।

भूमंडलीकरण के बाद भारतीय मध्य वर्ग के जीवन में बनावटी रंग-ढंग, चमक-दमक और कृत्रिमता ने व्यापक रूप से घुसपैठ की है, जिसका प्रतिबिम्ब हिन्दी सिनेमा में प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। आज भारतीय मध्य वर्ग, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मैकडॉनल्ड, पिज्जा हट और फैशनेबल वस्त्रों की चकाचौंध में ऐसा खोया है कि वह ढाई-तीन घंटे की फिल्म में पूरी दुनिया घूम लेना चाहता है। हिन्दी फिल्मकार उसकी इस नब्ज को पहचानता है। इसलिए कई फिल्मों के गीत से पेरिस, न्यूयॉर्क और मॉरीशस के दर्शन हो जाते हैं।

भूमंडलीकरण के पश्चात् भारतीय समाज में एक प्रकार का खुलापन आया है। यह खुलापन आचार-विचार, व्यवहार एवं जीवन शैली हर स्तर पर देखा जा सकता है। इस खुलेपन की संवाहक हैं फिल्में, विज्ञापन, इंटरनेट इत्यादि। हिन्दी सिनेमा में यह खुलापन कथ्य से लेकर शिल्प तक हर स्तरों पर देखा जा सकता है। आज की फिल्मों में भव्यता, विदेशी लोकेशंस, अत्याधुनिक वाहनों एवं उपकरणों का प्रदर्शन और उत्तेजक दृश्यों की भरमार देखी जा सकती है। फिल्में अब पूर्व की अपेक्षा रंगों, शेड्स और स्पेशल

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright - Drishti The Vision Foundation

इफेक्ट्स के साथ दिखाई देती हैं। वस्तुतः आज फिल्म निर्माण, फिल्म उद्योग में परिवर्तित हो चुका है और हर कीमत पर अपने सामान का मूल्य वसूलना चाहता है। इसलिए आज फिल्म निर्माण के कई उद्योगपति एवं बैंक अपना धन लगाकर दोगुना लाभ अर्जित करना चाह रहे हैं। इसके लिए फिल्मों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाता है। आज हिंदी फिल्मों का दर्शक-वर्ग भारत में ही नहीं, वरन विदेशों में एक बड़ा अप्रवासी भारतीय समुदाय है। आज फिल्में घाटे का सौदा नहीं रही, इसलिए कई बड़ी कंपनियाँ, बैंक और व्यवसायी फिल्म निर्माण में उतर आए हैं। आज फिल्में कई ब्राण्ड्स का विज्ञापन कर दोगुना लाभ कमा रही हैं, इसलिए कई बार तो समूची फिल्म ही कोई विज्ञापन फिल्म प्रतीत होती है।

भारतीय भाषा पर भूमंडलीकरण का प्रभाव
(Effects of Globalisation on Indian Language)

भारत दुनियाभर के उत्पाद निर्माताओं के लिए एक बड़ा खरीदार और उपभोक्ता बाजार है। बेशक, हमारे पास भी अपने काफी उत्पाद हैं और हम भी उन्हें दुनियाभर के बाजार में उतार रहे हैं क्योंकि बाजार केवल खरीदने की ही नहीं, बेचने की भी जगह होता है। इस क्रय-विक्रय में संचार माध्यमों का केंद्रीय महत्त्व है, क्योंकि वे ही किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए उपभोक्ता के मन में ललक पैदा करते हैं। यह उत्पाद वस्तु से लेकर विचार तक कुछ भी हो सकता है। यही कारण है कि आज भूमंडलीकरण की भाषा का प्रसार हो रहा है तथा मातृबोलियाँ सिकुड़ और मर रही हैं। आज के भाषा संकट को इस रूप में देखा जा रहा है कि भारतीय भाषाओं के समक्ष उच्चरित रूप भर बचे रह जाने का खतरा उपस्थित है क्योंकि संप्रेषण का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम टी.वी. अपने विज्ञापनों से लेकर करोड़पति बनाने वाले अतिशय लोकप्रिय कार्यक्रमों तक में हिंदी में बोलता भर है मगर लिखता अंग्रेज़ी में ही है।

लेकिन इसी माध्यम के सहारे देश की भाषाएँ अखिल भारतीय ही नहीं बल्कि वैश्विक विस्तार के नए आयाम छू रही हैं। भूमंडलीकरण ने उन्हें अनेक चैनल ही उपलब्ध नहीं कराए हैं अपितु इंटरनेट और वेबसाइट के रूप में अंतर्राष्ट्रीयता के नए आयाम भी मुहैया कराए हैं। परिणामस्वरूप संचार माध्यमों की भाषा में भी नए शब्दों, वाक्यों, अभिव्यक्तियों और वाक्य संयोजन की विधियों का समावेश हुआ है। इन सबसे भारतीय भाषाओं के सामर्थ्य में वृद्धि हुई है। संचार माध्यम की भाषा के रूप में प्रयुक्त होने पर भारतीय भाषाएँ समस्त ज्ञान-विज्ञान और आधुनिक विषयों से सहज ही जुड़ गई हैं। वे अदालतनुमा कार्यक्रमों के रूप में सरकार और प्रशासन से प्रश्न पूछती हैं, विश्व जनमत का निर्माण करने के लिए बुद्धिजीवियों और जनता के विचारों के प्रकटीकरण और प्रसारण का आधार बनती हैं, सच्चाई का बयान करके समाज को अफवाहों से बचाती हैं, विकास योजनाओं के संबंध में जानकारी देती हैं, समाचारों का गहन विश्लेषण करती हैं तथा उपभोक्ता की भाषा में बाजार से चुनाव की सुविधा मुहैया कराती हैं। संचार माध्यमों के सहारे भाषाओं की संप्रेषण क्षमता का बहुमुखी विकास हो रहा है। राष्ट्रीय ही नहीं, विविध अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में हिंदी आज सब प्रकार के आधुनिक संदर्भों को व्यक्त करने के अपने सामर्थ्य को विश्व के समक्ष प्रमाणित कर रही है। अतः कहा जा सकता है कि वैश्विक संदर्भ में हिंदी की वास्तविक शक्ति को उभारने में संचार माध्यमों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एक तरफ साहित्य लेखन की भाषा आज भी संस्कृतनिष्ठ बनी हुई है तो दूसरी तरफ संचार माध्यम की भाषाओं ने जनभाषाओं का रूप धारण करके व्यापक जन स्वीकृति प्राप्त की है। समाचार विश्लेषण तक में मिश्रित भाषाओं का प्रयोग इसका प्रमुख उदाहरण है। इसी प्रकार पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, पारिवारिक, जासूसी, वैज्ञानिक और हास्यप्रधान अनेक प्रकार के धारावाहिकों का प्रदर्शन विभिन्न चैनलों पर जिस भाषा में किया जा रहा है, वे एकरूपी और एकरस नहीं हैं बल्कि विषय के अनुरूप उसमें अनेक प्रकार के व्यावहारिक भाषा रूप उसे जनस्वीकृत स्वरूप प्रदान कर रहा है। एक वाक्य में कहा जा सकता है कि संचार माध्यमों के कारण भारतीय भाषाएँ बड़ी तेजी से तत्समता से सरलीकरण की ओर जा रही हैं।

भाषाओं के इस वैश्विक विस्तार का बड़ा श्रेय भूमंडलीकरण और संचार माध्यमों के विस्तार को जाता है। संचार माध्यमों ने भाषाओं के जिस विविधतापूर्ण नए रूप का विकास किया है, उसने भाषासमृद्ध समाज के साथ-साथ भाषावंचित समाज के सदस्यों को भी वैश्विक संदर्भों से जोड़ने का काम किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पैठ बनाने के लिए भारतीय भाषाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी कारण से भूमंडलीकरण की अन्य कितने भी कारणों से निंदा की जा सकती हो लेकिन यह मानना होगा कि उसने भारतीय भाषाओं के लिए अनुकूल चुनौती प्रस्तुत की।

भूमंडलीकरण ने आर्थिक उदारीकरण, सूचना क्रांति तथा जीवनशैली के वैश्वीकरण की जो स्थितियाँ भारत की जनता के सामने रखीं, इसमें संदेह नहीं कि उनमें पड़कर भाषाओं के अभिव्यक्ति कौशल का विकास ही हुआ। अभिव्यक्ति कौशल के विकास का अर्थ भाषा का विकास ही है। यहाँ यह भी जोड़ा जा सकता है कि बाजारीकरण के साथ विकसित होती हुई भारतीय भाषाओं की अभिव्यक्ति क्षमता भारतीयता के साथ जुड़ी हुई है। यदि इसका माध्यम अंग्रेज़ी हुई होती तो अंग्रेज़ियत का प्रचार होता। लेकिन आज

Copyright- Drishti The Vision Foundation

प्रचार माध्यम भारतीय परिवार और भाषिक सामाजिक संरचना की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय है कि हिंदी का यह नया रूप बाजार सापेक्ष होते हुए भी संस्कृति निरपेक्ष नहीं है। विज्ञापनों से लेकर धारावाहिकों तक के विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि संचार माध्यमों की भाषाएँ अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ियत की छाया से मुक्त है और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। अनुवाद को इसकी सीमा माना जा सकता है। भारतीय भाषाओं ने बाजारवाद के खिलाफ उसी के एक अस्त्र के सहारे बड़ी जीत हासिल कर ली है। अंग्रेज़ी भले ही विश्व भाषा हो, भारत में वह डेढ़-दो प्रतिशत की ही भाषा है। इसलिए भारत के बाजार की भाषाएँ भारतीय भाषाएँ ही हो सकती हैं, अंग्रेज़ी नहीं। भारत रूपी इस बड़े बाजार में सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग मध्य और निचले पायदान के समाज का है जिसकी समझ और आस्था अंग्रेज़ी की अपेक्षा अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा से अधिक प्रभावित होती है।

भारतीय पर्यावरण पर भूमंडलीकरण का प्रभाव
(Effects of Globalisation on Indian Environment)

पर्यावरण पर वैश्वीकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव यह है कि संसाधनों के उपयोग और जागरूकता में वृद्धि हुई है तथा वैश्वीकरण के प्रभावस्वरूप हरित तकनीक (प्रौद्योगिकी) का सृजन करने वाले शोध चल रहे हैं। वैश्वीकरण ने विकास, शिक्षा में प्रगति और आय के जरिए वृद्धि को प्रोत्साहित कर संसाधनों के उपयोग में प्रगति और पर्यावरण की रक्षा में सहायक भूमिका निभायी है। वैश्वीकरण के ही प्रभावस्वरूप बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेशन हरित तकनीक के रूप में शोध संचालित कर रहे हैं और ऐसे तकनीक निर्मित कर रहे हैं जो पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को कम कर सकें। भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप भारत अपनी पर्यावरण हितैषी बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने में सहमत हुआ है। देश में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, समूहों और एन.जी.ओ. ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। विकसित देश वैश्वीकरण की आड़ में न केवल अपनी बात हम पर थोप रहे हैं, अपितु वे अपने शोध के लिए भी यहाँ के नागरिकों व परिस्थितियों को चुन रहे हैं, साथ ही उन्होंने देश को अनेक प्रकार के गैर-जरूरी वस्तुओं का कूड़ाघर बना दिया है। पर्यावरण पर निगरानी रखने वाली संस्था ई.पी.ए. (इनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी) की जानकारी के बावजूद अमरीका अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जहरीले कचरे को भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर जैसे देशों में भेजकर निपटा रहा है। इस ई-कचरे में कैडमियम, पारा व अन्य जहरीले तत्त्व शामिल हैं। लेड से बने हुए मॉनिटर और कैथोड रे ट्यूबयुक्त टीवी सेटों को भारत जैसे देशों में भेजकर निपटाया जा रहा है। इस ई-कचरे के कारण भारत व अन्य विकासशील देशों के नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान होने की संभावना बढ़ती जा रही है। जिन दवाइयों के प्रयोग के लिए वहाँ की सरकार उन्हें अनुमति नहीं देती, उनका प्रयोग वे यहाँ के नागरिकों पर करते हैं। भूमंडलीकरण के कारण हमारा पर्यावरण लगातार विषैला होता जा रहा है। विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध शोषण व दोहन किया जा रहा है। बड़े-बड़े मॉल एवं उद्योग धंधे बनाये जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। गंगा जैसी जीवनदायिनी नदियाँ भी वैश्वीकरण का शिकार हो रही हैं, जंगल उजड़ते जा रहे हैं और जानवर विलुप्त हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानव को जीने के लिए किसी अन्य चीज़ की नहीं, बल्कि पैसा और उद्योगों की ही जरूरत रह गई है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर दीर्घावधिक प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी। दूसरी ओर, आज भारत का उद्देश्य अव्यवस्थित सामाजिक-आर्थिक प्रकृति में सुधार करना है। इसके लिए अनेक लक्ष्यों, जैसे- स्व-धारणीय संवृद्धि, संवृद्धि की उच्च दर, समानता और न्याय तथा राज्य और राष्ट्र-निर्माण आदि का निर्धारण किया गया है। इन लक्ष्यों की परिपूर्ति वैश्वीकरण की अनुपस्थिति में संभव नहीं है। अत: वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright-- Drishti The Vision Foundation

भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव
(Effects of Globalization on Indian Society)

****(इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र-1 के विषय संख्या 8 से है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में इसका संबंध भाग-3 से है।)*

भूमण्डलीकरण उदारीकरण की चरम अवस्था है। सामान्य अर्थ में भूमंडलीकरण एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक व्यवस्था है, जिसमें बाजारी ताकतें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर देखा जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उपभोग तथा उपभोक्तावाद, राष्ट्र तथा राज्य की संप्रभुता का ह्रास, अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होना एवं सूचनाओं का बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए प्राप्त करना शामिल है।

इस वैश्विक ग्राम की अवधारणा में लगभग विश्व के 200 देश तथा 7 अरब जनसंख्या प्रभावित है, जिसमें लगभग 60% एशियाई, 13% अफ्रीकी, 12% यूरोपियन, 10% लैटिन अमेरिकी, 6.5% अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा तथा शेष 5-6% अन्य हैं।

परिधि
(Periphery)
वैसे देश, जो कच्चे माल/प्राथमिक उत्पादों के निर्यातक होते हैं- अफ्रीका, एशिया इत्यादि।
(कच्चा माल तथा बाजार है, परंतु पूंजी व तकनीक नहीं)

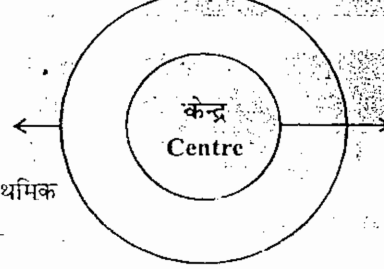

वैसे देश, जो अंतिम उत्पादों के निर्यातक होते हैं-
i.e.- Western Countries
(पूंजी व तकनीक हैं)
by: Emmanuel Wallesstein
(भूमंडलीकरण नवउपनिवेशवाद का नवीन तरीका है)

भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया 1990 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुई, जिसे आर्थिक सुधार के रूप में जाना जाता है। 1990 में, सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, जिसके कारण राजनैतिक प्रभुत्व के स्थान पर आर्थिक प्रभुत्व की अवधारणा प्रारंभ हुई। जब से यह अवधारणा प्रारंभ हुई, विश्व दो खेमों में विभाजित है; 1. जो भूमंडलीकरण का समर्थन करता है और दूसरा जो इसे शोषणकारी उपनिवेशवादी मानते हुए इसका विरोध करता है।

भूमंडलीकरण की पृष्ठभूमि 18वीं सदी में शुरू हुई। पश्चिम में उदारीकरण से जोड़कर इसे देखा जा सकता है, जिसके प्रणेता अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ थे। इनके अनुसार आर्थिक मामलों में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए तथा मांग एवं पूर्ति के आधार पर बाज़ार में उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का निर्धारण होना चाहिए।

वैश्विकरण में यही प्रक्रिया और विस्तृत रूप में स्वीकारी गई, जिसमें अहस्तक्षेप को मात्र एक देश या अर्थव्यवस्था तक सीमित न रख पूरे विश्व पर लागू किया गया।

भूमंडलीकरण के तीन पक्ष हैं- पहला, राजनैतिक क्षेत्र - जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ नियंत्रित करता है; दूसरा, आर्थिक क्षेत्र- जहाँ IMF, WTO, विश्व बैंक आदि नियंत्रित करते हैं तथा तीसरा, सामाजिक क्षेत्र- जहाँ UNICEF जैसी संस्थाएँ नियंत्रित करती हैं।

भूमंडलीकरण के विरोधियों में मुख्यत: Rawl Probisch, Gunder Frank तथा Wallerstein जैसे विद्वान हैं। इनका मत है कि भूमंडलीकरण उपनिवेशवाद का नया स्वरूप है, जिसमें पश्चिमी देश अपनी आर्थिक शक्ति एवं तकनीकी कौशल से अल्पविकसित देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, जिससे उनका प्रभुत्व इन पर दीर्घकाल तक बना रहे। ये विद्वान अल्पविकसित देशों को अपना बाज़ार खोलने के प्रति सचेत करते हैं।

भारत में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को दो दशक से अधिक हो चुके हैं जिसका आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव उभरकर आने लगे हैं, जो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सकारात्मक प्रभाव

1. **नव मध्यवर्ग का उदय:** शशि थरूर ने अपने लेख 'Who is This Meddle Class' में लिखा कि आज भारत में 35 करोड़ लोग मध्य वर्ग हैं, जो पूरे यूरोप की जनसंख्या से अधिक, पूरे अमेरिका की जनसंख्या से अधिक तथा चीन के पूरे मध्य वर्ग वर्ग के दोगुने से भी अधिक है। Nascom तथा Mackinsey के अनुसार, पूरी दुनिया के कुल B.P.O इंडस्ट्री का 46% व्यवसाय भारत में होता है। अमेरिका के I.T उद्योग में 25% कार्यशक्ति भारतीय है, जो मध्यवर्ग को एक नया आकार एवं नया दृष्टिकोण देती है।

2. **आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना:** भूमंडलीकरण शुद्ध अर्थवाद पर आधारित एक आर्थिक अवधारणा है, जिसमें तार्किकता, बौद्धिकता, धर्म निरपेक्षता आदि को बढ़ावा मिलता है। इससे भारतीय युवाओं की विशेषत: सोच एवं प्राथमिकता बदली है तथा नयी पीढ़ी धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग जैसे संकीर्ण विषयों से ऊपर उठकर आर्थिक विकास प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। शशि थरूर इसे आधुनिक भारत का आधार मानते हैं। इससे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति मिली है।

3. **समाज के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा:** भारत एक लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य है, जहाँ राज्य विशेषकर सुविधा वंचितों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन के अनुसार गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, अधोसंरचना की कमी आदि हमें विरासत में मिली। धनाभाव के कारण सरकारें चाहते हुए भी रोजगार-सृजन एवं गरीबी अपशमन की दिशा में कोई प्रभावशाली कार्य न कर सकी।

   1990 के पश्चात् निजीकरण एवं विदेशी निवेश के कारण सरकार को बड़ी मात्रा में करों के रूप मे धन प्राप्त हुआ, जिससे 'शिक्षा के अधिकार', स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था जैसी प्रभावशाली योजनाएँ बन सकीं। 'मनरेगा', 'प्रधानमंत्री सड़क योजना', 'इंदिरा आवास योजना' आदि इसके उदाहरण हैं।

4. **नए व्यवसाय आदि के उदय के कारण महिला सशक्तीकरण को मिल रहा बल:** भूमंडलीकरण ने सेवा क्षेत्र को अत्यंत महत्त्वपूर्ण बना दिया है, जिसके कारण महिलाओं के लिए सेवा क्षेत्र में कई नए अवसर खुले हैं, जिससे उनका आर्थिक सशक्तीकरण हुआ है तथा इसके कारण वे सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अधिक आत्मविश्वास के साथ सहभागी हैं। फैशन, B.P.O, टैक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि के क्षेत्र में महिलाएँ पुरुषों से बेहतर कार्य कर रही हैं, जिसमें 'वंदना लूथरा', शहनाज हुसैन आदि उल्लेखनीय है।

5. **भारतीय समाज की विजातीय संस्कृति से समजातीय संस्कृति की ओर अग्रसरता:** भारत एक वैविध्यपूर्ण समाज है, जहाँ धर्म, जाति, क्षेत्र, आयु आदि के आधार पर असंख्य परंपराएँ, प्रचलन, रीति-रिवाज, खान-पान, रहन-सहन आदि विद्यमान हैं। सूचना क्रांति के कारण वैश्विक शक्तियाँ क्षेत्रीय विविधताओं पर हावी होने लगी; जिसके कारण क्षेत्रीय अस्मिता संकट में पड़ गई। भाषाई एवं सामुदायिक प्रतीक नष्ट होने लगे तथा उसके स्थान पर एक समरूप भाषा, रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा विकसित होती जा रही है। इससे भारत का वैविध्यपूर्ण चरित्र बदल रहा है, क्षेत्रीय परंपराएँ नष्ट हो रही हैं और उनका स्थान वैश्विक संस्कृति लेने लगी है।

नकारात्मक प्रभाव

1. **समाज के सुविधा वंचितों तक इसके लाभ का न पहुँचना:** स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही राज्य सुविधा वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील रहा है तथा इसके लिए संरक्षात्मक भेदभाव (आरक्षण) की व्यवस्था की गई, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो तथा वितरण-मूलक न्याय सुनिश्चित हो सके। परंतु, आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों में उपलब्ध है, वहीं भूमंडलीकरण के इस युग में सरकारी नौकरियाँ कम से कम होती जा रही हैं। यहाँ तक कि सरकारी क्षेत्रों में भी कॉंट्रैक्ट, एडहॉक, आउट सोर्सिंग पर लोग रखे जाते हैं, जिससे वितरण-मूलक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता संदेहप्रद हो गई है। ज्ञान आयोग के पूर्व अध्यक्ष ऐन्द्र बेते के अनुसार, "निजीकरण के इस युग में सरकारी नौकरियाँ कहाँ हैं। आरक्षण दलितों के साथ धोखा है। इससे अमीर तथा गरीब के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है।"

2. **भूमंडलीकरण सांस्कृतिक आक्रमण का द्योतक है:** कई राष्ट्रवादी तथा संरक्षणवादी मानते हैं कि भूमंडलीकरण भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर एक वैश्विक संस्कृति, जो पश्चिमी मूल्यों की पोषक है, को भारतीय समाज पर आरोपित कर रही है, जिसे सामन्य भाषा में 'MCD संस्कृति' कहते हैं। धीरे-धीरे 'वैलेन्टाइन डे', 'मदर्स डे' आदि के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति अपने उत्पादों को भारत में बेच रही हैं, जिससे सांस्कृतिक विरासत नष्ट होती जा रही है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright– Drishti The Vision Foundation

3. **महिलाओं का अगरिमामय चित्रण:** भारतीय संस्कृति में महिलाओं की एक विशेष प्रतिष्ठा है तथा उन्हें माँ, बहन, पुत्री, पत्नी आदि के रूप में विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त है। भूमंलीकरण उनके मात्र सौंदर्य को पहचानता है तथा उन्हें बाजार में उत्पाद के रूप में प्रदर्शित करता है। सौन्दर्य प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं, जिसमें शारीरिक बनावट ही उनकी जीत या हार का आधार होती है।

   यही कारण है कि भारत में बड़ी संख्या में वैसी महिलाएँ, जो सौंदर्य के पश्चिमी मानदण्डों पर खरी नहीं उतरती, वे जीवन पर्यन्त हीनभावना से ग्रस्त रहती हैं।

4. **भूमण्डलीकरण अति प्रतिस्पर्द्धात्मक तथा असुरक्षित अवधारणा है:** इसमें किसी की भी नौकरी एवं जीविका सुरक्षित नहीं होती। भूमण्डलीकरण के कारण श्रमिक संगठन, श्रम कानून लगातार कमजोर हुए, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग असुरक्षित जीवन जीते हैं। भूमंडलीकरण 'हायर एण्ड फायर' के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति की उपयोगिता समाप्त होते ही उसे हाशिये पर डाल दिया जाता है। इसके कारण व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त रहता है तथा अपने जीवन को स्वतंत्र होकर नहीं जी पाता।

   वास्तव में, भूमण्डलीकरण के कारण ही एक 'बाबा संस्कृति' विकसित हुई है, जो व्यक्ति की असुरक्षा की भावना का लाभ उठाकर उन्हें अपने प्रभाव में ले रहे हैं तथा उन्हें मुक्ति आंदोलन (Redemptive Movement) से जोड़ते आ रहे हैं।

5. **लघु उद्योग अनौपचारिक क्षेत्रों एवं स्थानीय व्यवसायों पर पड़ता दुष्प्रभाव "Global is Killing Local":** MNCs तथा बड़ी कम्पनियों में तकनीकी एवं पूंजीगत श्रेष्ठता व शक्ति होने के कारण ये प्रतिस्पर्द्धा में, स्थानीय उद्योगों, व्यवसायों आदि को टिकने नहीं देते। इनका मुख्य उद्देश्य बाजार में वर्चस्व स्थापित करना होता है और इसके लिए ये स्थानीय व्यापार आदि को नष्ट कर देते हैं। चूंकि, स्थानीय व्यापारी असंगठित होते हैं, इसीलिए वे दबाव नहीं बना पाते और प्रतिस्पर्द्धा में अपने अप्रभावी संगठन के कारण नष्ट हो जाते हैं। मार्क्सवादियों के शब्दों में, "स्थानीय व्यापारी एवं पूंजीपति अन्ततः श्रमिक बनने के लिए बाध्य हो जाते हैं।"

6. **कृषक असंतोष एवं असुरक्षा:** दीपक नैय्यर ने अपने लेख 'भूमण्डलीकरण एवं विकास' में लिखा कि जहाँ एक तरफ भूमंडलीकरण के कारण कृषि उत्पादन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन वृहद उत्पादनों के लिए मांग की कमी आती जा रही है। किसान के उत्पादों हेतु बाजार नहीं है और जो किसान पहले 'बम्पर फसल' को देखकर खुश होता था, अब चिंतित रहता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या इसी भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। आज भूमंडलीकरण ने राज्य की स्वायत्तता ले ली है और सरकारें असहाय हैं तथा किसान परेशान। NSSO के अनुसार, भारत में कुल 89.35 लाख किसान परिवार हैं, जिसमें 43.2 लाख (46.8%) कृषक परिवार ऋणग्रस्त हैं। सबसे अधिक ऋणग्रस्तता क्रमशः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में हैं मात्र 2003 में 3,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

7. **जनजातियों पर प्रभाव:** परंपरागत रूप से जनजाति मुख्य धारा से कटकर स्वायत्त जीवन यापन करने वाले समुदाय हैं। बाजार ने इन्हें विवश किया है कि ये मुख्य धारा में आएँ। परंतु, मुख्य धारा से जुड़कर इन्हें लाभ की जगह मात्र हानि होती है। विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण, खनन की अनुमति, स्थानीय उत्पादों की नीलामी आदि के कारण जनजातिय स्वायत्तता नष्ट हो रही है, तथा वह लगातार मुख्य धारा में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमित भादुड़ी ने सही कहा है, "किसान जड़, जंगल, जमीन तीनों से हाथ धो रहा है और लोक कल्याणकारी राज्य WTO की नीतियों के दबाव में कुछ भी कर सकने में असफल है।"

भूमंडलीकरण को भारत में आए दो दशक से अधिक हो गए। कोई ऐसा वर्ग, समुदाय, क्षेत्र नहीं है, जो इसके प्रभाव से स्वतंत्र है। भारत ने इस आर्थिक उदारीकरण को कुछ दबावों में प्रारंभ किया था और जैसे-जैसे इसके प्रभाव समाज पर पड़ने लगे क्रमशः उदारता को बढ़ाया जाता रहा। यह प्रक्रिया अत्यंत विवादास्पद है तथा इसके समर्थन व विरोध में लामबंदी, तर्क जारी रहेंगे। जहाँ तक इसके प्रभावों का प्रश्न है, रोजगार सृजन, जीवन-शैली को बेहतर करने एवं नए अवसरों को सृजित करने में भूमंडलीकरण ने बड़ा योगदान किया है। परंतु, इसके साथ-साथ अगर इसके सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभावों का विश्लेषण किया जाए, तो निश्चित रूप से कई प्रभाव चिंताजनक हैं। विशेषतः सुविधा वंचितों के हितों को संरक्षित करने में यह प्रक्रिया कारगर नहीं रही है और विशेषकर अमेरिका में आई आर्थिक मंदी का प्रभाव, जो पूरे विश्व पर पड़ा है, उससे भी एक चिंता उभरी है कि क्या बड़ी व विदेशी कंपनियों को सभी नियंत्रणों से मुक्त कर दिया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सामाजिक सशक्तीकरण
(Social Empowerment)

****(इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र-1 के विषय संख्या 9 से है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में इसका संबंध भाग-3 से है।) इस टॉपिक में सामाजिक सशक्तीकरण के सिर्फ सैद्धांतिक पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। व्यावहारिक पक्षों के रूप में भारतीय समाज के कमज़ोर व वंचित वर्गों, जैसे- महिलाओं, विकलांगों, वृद्धों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, तृतीय लिंगियों (Third Genders) आदि के सशक्तीकरण से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और सरकार द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं पर अध्ययन सामग्री (Study Materials) 'सामाजिक न्याय तथा समाज कल्याण' (दृष्टि द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम का भाग-6) के अन्तर्गत दी जाएगी।*

सामाजिक सशक्तीकरण का अर्थ है- समाज में सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य प्रकार के अवसरों से वंचित समुदायों की सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक व आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना और उनका स्वयं पर विश्वास में बढ़ोत्तरी करना। दूसरे शब्दों में, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को आधारभूत अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया ही सामाजिक सशक्तीकरण है। भारत के संदर्भ में देखें तो समाज के कमज़ोर वर्गों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, कई धार्मिक समुदायों, तृतीय लिंगियों (Third Genders) आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

सामाजिक सशक्तीकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जा सकता है-

- स्वयं की निर्णय लेने की क्षमता।
- सूचनाओं और संसाधनों तक पहुँच ताकि उचित निर्णय लिये जा सकें।
- सामूहिक निर्णय प्रक्रिया में अपनी बात रख पाने की क्षमता।
- विकल्पों का बहुतायत होना।
- परिवर्तन के प्रति सकारात्मक सोच होना।
- स्वयं तथा समूह के विकास के लिए सीखने की क्षमता का होना।
- लोकतांत्रिक तरीकों से दूसरों की सोच में परिवर्तन लाने की क्षमता।
- विकास तथा परिवर्तन की प्रक्रियाओं में सतत् भागीदारी।
- कमियों से पार पाना तथा स्वयं की छवि का सकारात्मक विकास।

उपरोक्त घटकों का विश्लेषण करने पर सामाजिक सशक्तीकरण के कुछ प्रमुख तत्त्व (Elements) उभरकर सामने आते हैं जिनसे इन कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाकर इन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। ये प्रमुख तत्त्व हैं-

- सूचनाओं तक पहुँच (Access to Information)
- समावेशन और भागीदारी (Inclusion and Participation)
- जवाबदेही (Accountability)
- स्थानीय सांगठनिक क्षमता (Local Organizational Capacity)

सामाजिक सशक्तीकरण के तत्त्व *(Elements of Social Empowerment)*

सूचनाओं तक पहुँच *(Access to Information)*

सूचना शक्ति का सूचक है। सूचना से लैस नागरिक अवसरों का समुचित लाभ उठाने, सेवाओं तक बेहतर पहुँच बनाने, अधिकारों के प्रयोग करने, प्रभावी और बेहतर मोल भाव करने एवं सरकारी-गैरसरकारी संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करा पाने में सक्षम होते हैं। दूसरी ओर, प्रासंगिक, सामाजिक तथा आसानी से समझ आ सकने वाली सूचनाओं के अभाव में निर्धन लोगों के लिए प्रभावी कार्रवाई कर पाना असंभव है। सूचना-प्रसार से अभिप्राय केवल लिखे हुए शब्द या वाक्य से नहीं है, बल्कि सामूहिक विमर्श (Group Discussions), कविता (Poetry), किंवदंती, वाद-विवाद, नुक्कड़ नाटक, रेडियो कार्यक्रम, इंटरनेट, टेलीविजन कार्यक्रम आदि भी इसमें शामिल हैं। सूचना के अधिकार संबंधी कानून तथा प्रेस की स्वतंत्रता विशेषकर स्थानीय भाषा में प्रेस की स्वतंत्रता नागरिकों के उदय के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। इसके अंतर्गत भारत जैसे देश में जहाँ स्थानीय शासन को विकास की कुंजी माना जाता है, स्थानीय भाषा में सूचना तक समसामयिक पहुँच अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

कई परियोजनाओं तथा सुधार कार्यक्रमों, चाहे वे स्थानीय स्तर पर हों अथवा राष्ट्रीय-स्तर पर, सूचना के अभाव में लोगों तक इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। अत: आधारभूत सरकारी सेवाओं की जानकारी, निजी तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना महत्त्वपूर्ण है।

समावेशन और भागीदारी *(Inclusion and Participation)*

समावेशन का केंद्र है- "कौन" अर्थात् सशक्तीकरण के अंतर्गत कौन-कौन शामिल हैं? भागीदारी इन्हीं लोगों को शामिल करने के तौर-तरीकों तथा उनकी भूमिका से संबंधित है। चूँकि सीमित सार्वजनिक संसाधन स्थानीय जानकारियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, इसके लिए आवश्यक है कि वंचित और पारंपरिक रूप से बहिष्कृत अन्य वर्गों को प्राथमिकता निर्धारण और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। हालाँकि समावेशन की सुनिश्चितता तथा भागीदारी प्राय: ही नियमों में परिवर्तन की मांग करते हैं ताकि बुनियादी सेवाओं को मुहैय्या कराये जाने में भागीदारी के लिए स्थान बन सके और निर्णय प्रक्रिया में सबकी भागीदारी हो। भागीदारी बढ़ने पर प्राथमिकताओं के चयन में मतभेद स्वाभाविक है जिसे सुलझाने के लिए उपयुक्त संरचना होनी चाहिए। वैसे समाज में जहाँ बहिष्कार तथा संघर्ष गहरे पैठ बनाए हुए हैं, वहाँ कमज़ोर वर्गों को सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करा पाना जटिल प्रक्रिया है जो संसाधनों, सुगमता, सतत् निगरानी तथा प्रयोग की मांग करता है। ज्यादातर सरकारी संगठनों में केन्द्रीय निर्णय प्रक्रिया की ओर लौट पड़ने की आदत होती है जिसमें सार्वजनिक बैठकों का अंतहीन सिलसिला चलता है और नीति व संसाधनों पर कोई निर्णय नहीं होता। वंचित वर्गों के लिए भागीदारी तब एक और बोझ बन जाती है जब इससे कुछ भी मिलने की गुंजाइश नहीं होती। अत: भागीदारी इस तरह से होनी चाहिए कि वे समावेशी विकास का प्रतिफल दे सकें।

भागीदारी के कई रूप हो सकते हैं। स्थानीय स्तर पर भागीदारी निम्नलिखित हो सकती है-

- प्रत्यक्ष
- प्रतिनिधित्व रूप में जिसमें संगठनों और समूहों से सदस्य चुन कर भेजे जाते हैं।
- राजनीतिक, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से।
- सूचना-आधारित, जिसमें माध्यमों द्वारा आँकड़े जुटाए जाते हैं और स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट दी जाती है।
- प्रतिस्पर्धी बाज़ार तंत्र आधारित, जैसे प्रतिबंधों को हटाकर लोगों को यह विकल्प व स्वतंत्रता देना कि वे इच्छानुसार कुछ भी उत्पादित कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं और सेवाओं का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तरदायित्व *(Accountability)*

उत्तरदायित्व सरकारी कर्मचारी तथा निजी रोजगार प्रदाता व सेवा प्रदाताओं की उनकी नीति, कार्यों तथा धन के उपयोग के संदर्भ में जवाबदेही तय करने से संबंधित है। व्यापक रूप से फैला भ्रष्टाचार तथा निजी मुनाफे के लिए सरकारी पदों का दुरुपयोग सबसे ज्यादा कमजोर तबके को ही प्रभावित करता है क्योंकि यही वह वर्ग है जिसकी अधिकारियों तक पहुँच नगण्य है तथा जो सेवाओं के प्रयोग में तकरीबन अक्षम हैं और वे उन लोगों में शुमार हैं जिनके पास निजी सेवाओं का प्रयोग कर पाने के विकल्प बेहद सीमित हैं। जवाबदेही तय करने के तीन तंत्र हैं- राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सार्वजनिक। राजनीतिक दलों तथा प्रतिनिधियों की राजनीतिक जवाबदेही में वृद्धि चुनावों से तय होती है। प्रशासनिक जवाबदेही सरकारी संगठनों की आंतरिक जवाबदेही संरचना से तय होती है, जो क्षैतिज एवं उदग्र (Horizontal and Vertical) तथा आंतरिक व पारस्परिक होता है। सार्वजनिक या सामाजिक जवाबदेही तंत्र सरकारी संस्थाओं को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाता है। नागरिक व सामाजिक जवाबदेही राजनीतिक-प्रशासनिक जवाबदेही तंत्र को संपुष्ट कर सकती है।

सार्वजनिक कार्यों व परिणामों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही कई तरीकों से सुनिश्चित की जा सकती है। सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच बेहतर प्रशासन तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु ज़रूरी दबाव बनाती है, चाहे वह राष्ट्रीय व्यय की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए हो, बेहतर शिक्षा मुहैय्या कराने के लिए हो, सड़क-निर्माण के लिए आवंटित धन के समुचित उपयोग के लिए हो अथवा अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता और उनके वितरण को सुनिश्चित कराने के लिए हो आदि।

सार्वजनिक संसाधनों की प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही पारदर्शी राजस्व प्रबंधन एवं सेवा-विकल्पों के माध्यम से तय की जा सकती है। उदाहरण के लिए सामुदायिक स्तर पर गरीबों को किसी भी प्रदाता से तकनीकी सहायता प्राप्त करने हेतु सीधे धन मुहैय्या कराया जा सकता है बजाय इसके कि उन्हें केवल सरकारी सहायता स्वीकार करने हेतु बाध्य किया जाए। सीमाएँ तय कर व विभिन्न शर्तों माध्यम से राजस्व को अनुशासित किया जा सकता है। ठेकों की ज़िम्मेदारी ठेकेदारों के द्वारा किये गये कार्यों की गुणवत्ता के हिसाब से तय की जा सकती है। जब वंचित वर्ग प्रदाताओं की जवाबदेही तय करने में सक्षम हो जाए, तो नियंत्रण तथा शक्ति उनके हाथों में स्वत: हस्तांतरित हो जाती है।

स्थानीय सांगठनिक क्षमता *(Local Organizational Capacity)*

स्थानीय सांगठनिक क्षमता का संबंध व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन रूप में सामुदायिक हितों के लिए संसाधनों को जुटाने के सामर्थ्य से है। अधिकांशत: सामान्य व्यवस्था तक पहुँच से वंचित निर्धन वर्ग अपनी रोजमर्रे की समस्याओं के समाधान के लिए

Copyright- Drishti The Vision Foundation

एक दूसरे के सहयोग-सामर्थ्य की ओर मुड़ जाते हैं। यह जन-संस्थाएँ औपचारिक होती हैं जैसे कि आपस में एक दूसरे को चावल या पैसे उधार देने वाली महिलाओं का समूह होता है। इसके लिए कानूनी पंजीकरण कोई बाध्यता नहीं है। इन संगठनों के धन जुटाने तथा समस्याओं के समाधान की क्षमता उम्मीद से कहीं बढ़कर है।

किसी छोटे स्तर के संगठन की अपेक्षा सुव्यवस्थित संगठित समुदाय की मांग सुने जाने एवं उनकी पूर्ति किए जाने की अधिक संभावना रहती है। यह संभव तो लगता है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में निर्धनों की सदस्यता वाले संगठन बहुत प्रभावी हो सकें लेकिन इन संगठनों के संसाधन और तकनीकी ज्ञान सीमित होते हैं। इसके अतिरिक्त अक्सर ये संगठन अन्य समूहों से या नागरिक समाज या राज्य के संसाधनों से जुड़ नहीं पाते। अतः इन स्थानीय संगठनों की क्षमताओं में वृद्धि करना तथा प्रभावी विकास की कुंजी के रूप में इसे बदलना आवश्यक है क्योंकि यह सामान्यतः देखा गया है कि विभिन्न समूह एक-दूसरे से जुड़कर एक नेटवर्क या संगठन विकसित कर लेते हैं जो धीरे-धीरे क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े संगठन के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगते हैं। इस प्रकार वे सरकार के निर्णय निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने लगते हैं।

सामाजिक सशक्तीकरण की रूपरेखा (Social Empowerment Framework)

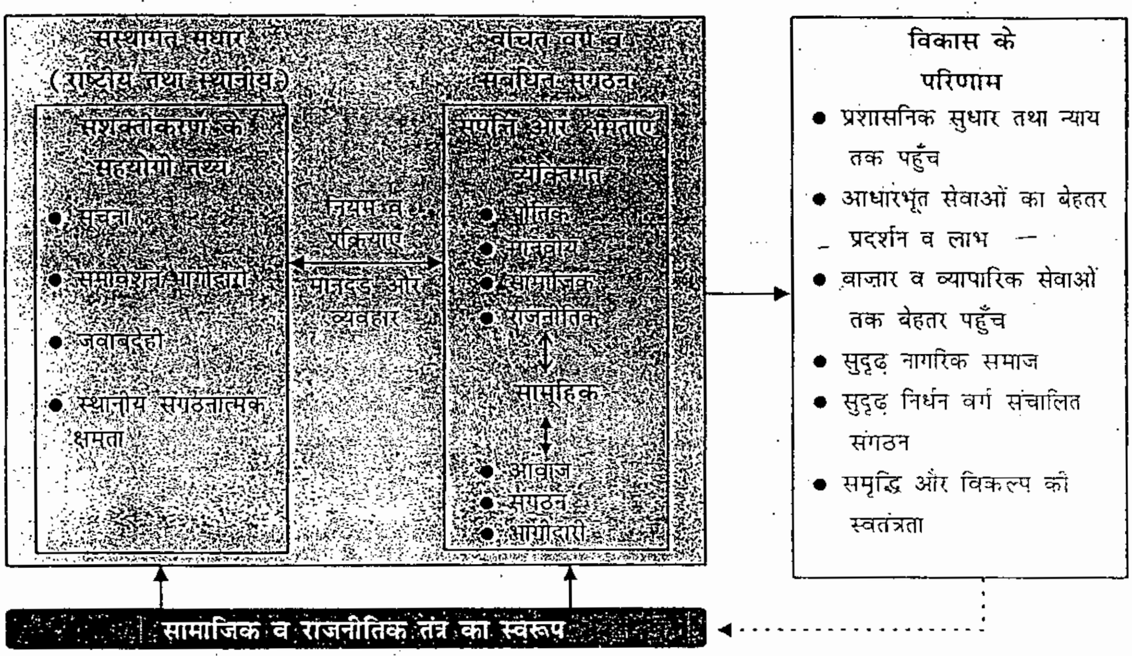

उपरोक्त रूपरेखा संस्थागत सुधारों, वंचित वर्गों एवं विकास के बेहतर परिणामों के बीच संबंधों को दर्शाता है। राज्य के सुधार कार्यक्रम वंचित वर्गों में निवेश की गति बढ़ाते हैं जो बेहतर विकास के रूप में सामने आता है, प्रशासन दुरुस्त होता है, सेवाओं का समावेशन और उनका प्रदर्शन निखरता है, बाज़ार तक उनकी पहुँच आसान होती है, वंचित वर्ग का संगठन और नागरिक समाज सशक्त होता है, संपत्ति की मात्रा बढ़ती है एवं विकल्प खुलते हैं।

संस्थागत सुधार राज्य और वंचित वर्ग व उनके संगठनों के आपसी संबंध में परिवर्तन लाने पर बल देता है। वंचित वर्गों के लिए निवेश इसका लक्ष्य है ताकि समाज में इनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, संवाद बढ़ाया जा सके एवं प्रशासन के मांग पक्ष को मजबूत किया जा सके। राज्यों के सुधार कार्यक्रम तथा संस्थागत तंत्र मूल्य तथा व्यवहार पर केंद्रित होने चाहिएँ जो सशक्तीकरण के चारों तत्वों को सुदृढ़ करें। सामान्य नियम-कानून में बदलाव सरकार के साथ वंचित वर्गों के संवाद को बढ़ाने पर केंद्रित होने चाहिएँ जिससे प्रशासनिक निगरानी संभव हो सके।

अतः, सुधार का लक्ष्य (क) वंचित वर्गों की सूचनाओं तक पहुँच बनाना, (ख) उनकी समावेशन और भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तंत्र का विकास करना, (ग) सामाजिक जवाबदेही संरचना का निर्माण करना, (घ) समस्याएँ दूर करने हेतु उनके संगठनों में निवेश करना होना चाहिए। वंचित वर्गों अथवा उनके प्रतिनिधियों की सीधी भागीदारी कुछ मायनों में व्यावहारिक नहीं है इसलिए माध्यमिक संस्थाओं- नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठनों, विश्वास-आधारित संगठनों आदि की भूमिका भी अपेक्षित है।

राष्ट्र की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तय करती है कि किस प्रकार के सुधार कार्यक्रम व्यावहारिक और प्रासंगिक हैं। फिर, कालांतर में लोगों की प्रतिक्रिया भी इस सामाजिक राजनीतिक तंत्र को प्रभावित करती है जो सशक्तीकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु संरचनात्मक व्यवस्था में बदलाव लाता है।

Copyright– Drishti The-Vision Foundation

इकाई – 8

साम्प्रदायिकता
(Communalism)

******(इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्र-1 के विषय संख्या 9 से है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में इसका संबंध भाग-3 से है।)***

साम्प्रदायिकता का अर्थ *(Meaning of Communalism)*

सामान्य अर्थों में सांप्रदायिकता किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उग्र भावना का द्योतक है जिसमें दूसरे धर्मों अथवा धार्मिक संप्रदायों के प्रति विरोध और घृणा का प्रदर्शन किया जाता है। इसके आधार के रूप में वह काल्पनिक या वास्तविक भय कार्य करता है जिसके अंतर्गत एक विशेष धार्मिक समूह इस आशंका से घिरा रहता है कि दूसरे धार्मिक समूह उसके विरोधी हैं और उसे नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सांप्रदायिकता के अन्तर्गत एक ऐसी मानसिकता कार्य करती है जिसमें विरोध, घृणा अथवा हिंसा के माध्यम से अन्य धार्मिक समूहों को दबाने का प्रयत्न किया जाता है। सांप्रदायिकता का धार्मिक कट्टरता के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है क्योंकि धार्मिक कट्टरता में होने वाली वृद्धि या कमी के साथ सांप्रदायिकता में भी वृद्धि या कमी होती रहती है। वर्तमान समय में सांप्रदायिकता की संकल्पना में राजनीतिक उद्देश्य भी सम्मिलित होते जा रहे हैं क्योंकि आज राजनीतिक स्वार्थों की परिपूर्ति हेतु इसका खुलकर उपयोग किया जा रहा है। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता एक ऐसी अभिवृत्ति है जिसके अंतर्गत एक विशेष धर्म अथवा संप्रदाय के अनुयायी अपने धार्मिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए स्वयं के समूह को अन्य धार्मिक समूहों के विरुद्ध संगठित करते हैं तथा आवश्यकता के अनुरूप उन्हें उग्र प्रदर्शनों एवं हिंसा के लिए उकसाते हैं।

यदि भारत के संदर्भ में देखें तो प्राचीन काल से ही यह विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, विचारधाराओं तथा परम्पराओं का देश रहा है। यहाँ न केवल विभिन्न धर्मों का विकास हुआ बल्कि एक धर्म के अंदर भी विभिन्न मतावलंबियों का निर्माण होता रहा। हालाँकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इन विभिन्न विचारधारा वाले समूहों ने यहाँ की संस्कृति को पुष्पित-पल्लवित करने में अहम योगदान दिया लेकिन धीरे-धीरे इन समूहों के बीच अलग-अलग आधारों पर पृथक्करण की भावना सबल होती गयी। इस भावना से ग्रस्त होकर प्रत्येक धार्मिक समूह स्वयं को एक अलग इकाई मानकर अपने हितों को प्राथमिकता देने लगा तथा ईर्ष्या, द्वेष, विरोध, संघर्ष और हिंसा के माध्यम से दूसरे धार्मिक समूहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करने लगा। धार्मिक पूर्वाग्रहों और धार्मिक अंधभक्ति की यही प्रवृत्ति सांप्रदायिकता है जो वर्तमान में भारतीय समाज के सामने एक भयावह समस्या के रूप में विद्यमान है।

साम्प्रदायिकता के विभिन्न चरण *(Different Phases of Communalism)*

प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र के अनुसार साम्प्रदायिकता के तीन चरण होते हैं और उनमें एक तारतम्यता देखा जा सकता है। इसके पहले चरण में एक ही धर्म के सभी अनुयायियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि हित एक समान होते हैं। इसमें समाज को जाति, वर्ण, वर्ग, भाषा, क्षेत्र आदि के स्थान पर देखने के बजाए धर्म के आधार पर देखा जाने लगता है। लोग धर्म पर आधारित समुदायों के सदस्यों के रूप में अपना सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का संचालन एवं सामूहिक हितों की सुरक्षा करने लगते हैं। किसी व्यक्ति, दल या आंदोलन में साम्प्रदायिक विचारधारा का जन्म पहले चरण में ही होता है। हालाँकि वे यह नहीं मानते कि धार्मिक समुदायों के हित अनिवार्य रूप से परस्पर विरोधी हो सकते हैं।

सांप्रदायिकता का दूसरा चरण इस विश्वास को अभिव्यक्त करता है कि भारत जैसे बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हित किसी दूसरे धर्म के लोगों से भिन्न हैं। इसे नरमपंथी या उदार सांप्रदायिकता भी कहा जाता है। इसमें विश्वास करने वालों की कुछ आस्था उदारवादी लोकतांत्रिक, मानवतावादी और राष्ट्रवादी मूल्यों में होती है। नरमपंथी साम्प्रदायिकता मानती है कि भारत का निर्माण ऐसे विभिन्न धार्मिक समुदायों से मिलकर हुआ है जिनके अपने अलग-अलग और विशेष हित हैं। इनमें कभी-कभी टकराव की नौबत भी आ जाती है। इसके बाद भी विभिन्न साम्प्रदायिक हितों को परस्पर समाहित किया जा सकता है और सामान्य राष्ट्रीय हितों से तालमेल बैठाया जा सकता है।

सांप्रदायिकता की विचारधारा अपने तीसरे चरण में तब प्रवेश करती है जब यह मान लिया जाता है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या समुदायों के हित एक दूसरे के विरोधी हैं। तीसरे चरण में सांप्रदायिकता स्पष्ट शब्दों में कहती है कि दो धर्मों के

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

Copyright- Drishti The Vision Foundation

लोगों के हित समान हो ही नहीं सकते और उनमें परस्पर विरोध होना स्वाभाविक है। इस तीसरे एवं अंतिम चरण में सांप्रदायिकता उग्र या हिंसक रूप में सामने आती है। उसके तौर-तरीके फासीवादी हो जाते हैं। उग्रवादी सांप्रदायिकता के मूल में भय या घृणा तथा भाषा, कर्म एवं आचरण के स्तर पर हिंसा समायी होती है। यह अपने विरोधियों को अपना दुश्मन समझती है और उनके खिलाफ युद्ध की भाषा बोलती है। इसमें इस प्रकार की घोषणाएँ होती हैं कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के अस्तित्व के लिए खतरा होती है।

भारत में सांप्रदायिकता के ये तीनों चरण अलग-अलग वक्त पर आए लेकिन वे एक दूसरे को प्रभावित करते रहे एवं उनमें एक प्रकार की निरंतरता बनी रही।

साम्प्रदायिकता के कारण *(Causes of Communalism)*

भारत में सांप्रदायिक समस्याओं के लिए किसी एक या दो कारणों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह अनेक कारकों का प्रतिफल है। सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों को निम्नांकित रूपों में देखा जा सकता है-

1. **ऐतिहासिक कारण-** भारत में सांप्रदायिकता की जड़ें अतीत की घटनाओं से संबंधित हैं। अतीत में देश के दो बड़े धार्मिक समूहों में जो सांप्रदायिक संघर्ष हुए, उनसे दोनों समूहों में अनेक पूर्वाग्रहों का विकास हुआ। मुस्लिम शासकों द्वारा हिन्दुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना, मुस्लिम लीग की माग पर भारत का विभाजन, भारत विभाजन के समय हुए दंगे और दुष्परिणाम आदि पूर्वाग्रही तत्त्व आज भी दोनों समूहों को एक-दूसरे को अविश्वास एवं शंका की दृष्टि से देखने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। फलतः उनमें सांप्रदायिक तनाव बना रहता है।
2. **मनोवैज्ञानिक कारण-** देश में विभिन्न धार्मिक समुदायों (विशेषकर हिंदू और मुसलमान) में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक-दूसरे के प्रति उदासीनता, घृणा, विरोध, भय, अविश्वास आदि की भावनाएँ पायी जाती हैं। एक धार्मिक समूह दूसरे समूहों की प्रगति को अपना शोषण का कारण मानकर उग्र एवं असंतुष्ट रहता है। उदाहरण के लिए मुस्लिम संप्रदाय अपने पिछड़ेपन को इस रूप में देखता है कि अतीत में मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं पर किए गये अत्याचारों का बदला आज उनके आर्थिक और सामाजिक शोषण के रूप में लिया जाता है। दूसरी ओर, हिन्दू वर्ग मुसलमानों की राष्ट्रीय निष्ठा पर अविश्वास व्यक्त करते हैं। यही स्थिति जब उग्र रूप धारण करती है तो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिलता है। गौरतलब है कि अकालियों और निरंकारियों के बीच उत्पन्न सांप्रदायिक संघर्ष भी संदेह और भय के मनोवैज्ञानिक दबावों के ही प्रतिफल थे।
3. **धार्मिक कारण-** विश्व का कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्मों के प्रति घृणा तथा हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाता। लेकिन विभिन्न धार्मिक नेता और प्रचारक अपने धर्म को सर्वोपरि बताकर दूसरे धर्मों को हेय दृष्टि से देखते हैं। अनेक स्वार्थी और ढोंगी प्रचारक अपने अनुयायियों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देते हैं और दूसरे धार्मिक समूहों से सावधान रहने की बात करते हैं। अशिक्षित एवं धार्मिक अंधविश्वास से ग्रस्त अनुयायी इन प्रचारकों के झाँसे में आकर अपना लहू बहाने को तैयार रहते हैं। किसी भी सांप्रदायिक दंगों का निष्पक्ष विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि छोटी-छोटी बातों को बड़े मुद्दों के रूप में उभारकर इसे दंगे का रूप दिया गया था। इस तरह धार्मिक कट्टरता सांप्रदायिक समस्याओं को जन्म देती है।
4. **अराजक तत्त्वों की भूमिका-** प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्त्व अवश्य विद्यमान होते हैं जिनका कार्य विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष व द्वेष की स्थिति पैदा कर अपना स्वार्थ साधना होता है। ऐसे लोग किसी विशेष त्योहार अथवा उत्सव के अवसर पर मनगढ़न्त और झूठे समाचार तथा अफवाह फैलाते हैं या स्वयं ही किसी त्योहार के आयोजन या जुलूस में बाधा उत्पन्न कर उन्हें दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध भड़का देते हैं। संघर्ष होने पर सर्वप्रथम इन्हीं अराजक तत्त्वों के द्वारा लूटपाट और हत्या आरंभ की जाती है जो बाद में सांप्रदायिक समस्या का रूप धारण कर लेती है।
5. **देश का विभाजन-** आजादी के आंदोलन के साथ द्विराष्ट्र सिद्धांत की परिणति के रूप में पाकिस्तान के उदय ने हिन्दू मुसलमान को भी बाँट कर रख दिया। धर्म के आधार पर राष्ट्र के निर्माण के समर्थकों ने यह प्रचारित किया कि भारत में हिन्दू और पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगें। इससे लोगों में संसाधनों के बँटवारे के प्रवृति ने जन्म लिया। विभाजन की मानसिकता के कारण नवस्वाधीन राष्ट्रों को एक दूसरे के दुश्मन के रूप में देखा गया जिसका एक स्वरूप हिन्दू और मुसलमान की दुश्मनी के रूप में देखा गया। देश विभाजन केवल भौगोलिक विभाजन नहीं था बल्कि यह विश्वास, समरसता एवं मनुष्यता का भी विभाजन साबित हुआ। देश का बँटवारा धर्म के आधार पर हुआ था इसलिए बँटवारे के बाद जो नफरत फैली वह धार्मिक स्वरूप वाली ही थी। हिन्दुओं के मन में यह धारणा बैठ रही थी कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दे दिया गया है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। इस तरह देश के विभाजन से भी सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिला।
6. **दोषपूर्ण शिक्षा-** सांप्रदायिकता को बढ़ाने और उसे अनुचित तार्किक आधार देने में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली की भी भूमिका रही है। देश में जो इतिहास लेखन हुआ है उसमें तथ्यों को इस प्रकार से रखा गया है जिससे धार्मिक संप्रदाओं में परस्पर

Copyright- Drishti The Vision Foundation

सौहार्द्र विकसित होने के बजाए घृणा का संचार हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ कि साम्प्रदायिक सोच ने गहरी पैठ बना ली। उदाहरण के लिए लोगों में यह बात अच्छी तरह घर कर गई है कि प्राचीन भारतीय इतिहास बहुत गौरवशाली और महानता का युग था। लोगों का यह भी मानना है कि प्राचीन स्वर्णिम काल के अंत की शुरुआत देश में इस्लामी सभ्यता के आगमन से होनी शुरु हो गई। इसकी शुरुआत ब्रिटिश उपनिवेशवादी लेखकों ने की थी ताकि किताबों के माध्यम से लोगों में मानसिक विभाजन करवा दिया जाए। कमजोर नीतियों के कारण यह दोषपूर्ण दृष्टिकोण आजादी के बाद भी जारी रहा। फलस्वरूप सांप्रदायिकता मिटने के बजाए और मजबूत होती चली गई। इतिहासकारों की गलती का परिणाम यह हुआ कि एक भारतीय राजा का शासन केवल इसलिए विदेशी करार दे दिया गया क्योंकि उसका धर्म इस्लाम था। दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों ने यह बताया कि मध्यकाल मुस्लिम शासकों का काल था और मुस्लिम शासक दरअसल राज करने के लिए ही थे। अंग्रेज़ों ने उनसे ही सत्ता छीनी थी इसलिए अब शासन पर उनका ही हक बनता है।

आजादी के कई साल बाद भी मध्यकालीन इतिहास को देखने-समझने के नजरिये में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया है। मध्यकालीन इतिहास आक्रांताओं का विवरण तो देता है लेकिन वह हमारी सांझी संस्कृति की चर्चा नहीं करता। वह उन सूफी संतों, लेखकों, कवियों और संगीतकारों के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताता जिन्होंने दोनों समुदायों के बीच संवाद के सेतु निर्मित करने में अहम भूमिका निभाई। बाबा फरीद, मोइनुद्दीन चिश्ती, मियाँ मीर, निजामउद्दीन औलिया, मिर्जा जानेजाँना, दाराशिकोह आदि हस्तियों की इतिहास की किताबों में चर्चा विस्तृत रूप से नहीं मिलती जिससे साझी संस्कृति की समृद्धता का पता चले। इसी तरह, आधुनिक इतिहास व स्वाधीनता संग्राम की पाठ्यपुस्तकों में भी अत्यंत पूर्वाग्रहपूर्ण विवरण है। स्वाधीनता संग्राम में अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका को पर्याप्त महत्त्व नहीं दिया गया है। मौलाना महमूदउल हसन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उबेदुल्ला सिन्धी, मौलाना हिफ़्ज़उर्रहमान जैसी शख्सियतों की चर्चा भी नहीं है जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और जिन्हें अंग्रेज शासकों ने माल्टा, अंडमान निकोबार आदि में निर्वासित किया।

7. **चुनावी राजनीति**-चुनावों के समय राजनीतिक दलों का साम्प्रदायिक झुकाव बेहद स्पष्ट हो जाता है। अगर राजनीतिक दलों द्वारा जारी प्रत्याशियों के नाम को देखा जाए तो यह पता चलता है कि अल्पसंख्यक बहुल आबादी क्षेत्र से उसी धर्म का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिया जाता है। पार्टियाँ इस बात का ध्यान रखती हैं कि जिस धर्म के लोगों का लोकसभा या विधानसभा सीट पर बाहुल्य है, सीट से टिकट भी उसी धर्म के लोगों को दिया जाए। इससे मतों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है। कई चुनावों में देखा गया है कि प्रत्याशी अक्सर भड़काऊ किस्म का भाषण देकर मतों के ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। प्रत्याशी स्वयं को एक विशेष धार्मिक झुकाव वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। वे धार्मिक स्थलों का दौरा करते हैं और धार्मिक व्यक्तियों से मुलाकात कर इन मुलाकातों को मीडिया के जरिए पेश करके खुद की छवि धार्मिक झुकाव वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे अक्सर अपनी वेश-भूषा और भाषा में बदलाव कर लेते हैं तथा गलत एवं भ्रामक बयान जारी करके मतों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। इससे धार्मिक समुदाओं में अलगाववाद की भावना पनपती है तथा सांप्रदायिकता को प्रश्रय मिलता है।

8. **दोषपूर्ण प्रशासन एवं पुलिस**-साम्प्रदायिक हिंसा के अध्ययन में यह बात कई बार सामने आई है कि कई जगहों पर प्रशासन और पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की और हिंसा की आग बढ़ती रही। यह कहा गया कि अगर पुलिस प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता तो जान माल का नुकसान टाला जा सकता था। कमजोर खुफिया व्यवस्था होने के कारण यह समय रहते यह पता नहीं चल पाता कि सांप्रदायिकता की आग को भड़काने में किन असामाजिक तत्त्वों का हाथ है ताकि समय रहते कार्रवाई करके अवांछनीय तत्त्वों की धरपकड़ हो सके। यह भी देखा गया है कि अगर ये तत्त्व पकड़ भी लिए जाएँ तो प्रशासनिक अधिकारियों पर उन्हें छोड़ने के लिए राजनीतिक और अन्य प्रभावी लोगों के द्वारा दबाव बनाया जाता है और अक्सर प्रशासन के लोग इन दबावों का सामना नहीं कर पाते और झुक जाते हैं। पुलिस की कमजोर कार्रवाई के कारण साम्प्रदायिक तत्त्व न्याय प्रणाली के अन्तर्गत नहीं आ पाते और जो आते हैं उनके खिलाफ मामले इतने लचर तरह से रखे जाते हैं कि न्याय प्रणाली अप्रभावी दिखने लगती है।

विभिन्न कारणों से कई पुलिसकर्मी भी कई तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहते हैं। पुलिस विभाग में प्रथा के रूप में यह विश्वास चला आ रहा है कि अल्पसंख्यक और समाज के अन्य कमजोर तबके जन्मजात अपराधी होते हैं। साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने में पुलिस की अहम भूमिका होती है और पुलिस के सहयोग के बगैर दंगों के दोषियों को सजा दिलवाना असंभव है। उत्तर प्रदेश काडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलपति श्री विभूति नारायण राय ने 'साम्प्रदायिक दंगों में पुलिस की भूमिका' विषय पर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद के निदेशक पद पर बने रहने के दौरान शोध किया और बताया कि पुलिस का घोर साम्प्रदायीकरण हो चुका है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

9. **कमजोर आर्थिक विकास**-आर्थिक विकास की न्यूनता भी सांप्रदायिकता को जन्म देती है। आर्थिक विकास की गति बेहतर हो तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक विकास की अधिक संभावनाएँ होती हैं और व्यक्ति उत्पादक गतिविधियों में ज्यादा संलग्न होने लगता है। विकास के अभाव के कारण गरीबी और बेरोजगारी जैसी स्थितियाँ पैदा होती हैं, जो आम-आदमी को बेचैन, कुंठाग्रस्त एवं आक्रामक बनाती हैं। यही बेचैनी सांप्रदायिक विचारों के साथ मिलकर सांप्रदायिकता को जन्म देती है।
10. **शिक्षा का अभाव**-आधुनिक शिक्षा का अभाव भी सांप्रदायिकता के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा का महत्त्व इस बात में है कि व्यक्ति केवल भावनात्मक निर्णय न लेकर तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन के जरिए निर्णय करे। आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को नये विचार देती है जिनसे वह अपने समूह के साथ-साथ दूसरे समूहों के सांस्कृतिक अस्तित्व को भी मान्यता देने लगता है। इस स्थिति को सांस्कृतिक सापेक्षता (Cultural Relativity) की स्थिति कहते हैं। यदि सभी व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से इस उच्च मानसिक स्तर तक पहुँच जाएँ तो सांप्रदायिकता का विचार जन्म नहीं ले सकता। संभवत: यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में सांप्रदायिकता उन्हीं देशों/समाजों में अधिक दिखाई देती है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं।
11. **अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना**-अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों में सांप्रदायिकता की भावना पैदा होने के कुछ विशेष कारण भी होते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा एक असुरक्षा की भावना से घिरा रहता है और इसलिए ऐसी स्थिति में अत्यधिक आक्रामक व्यवहार करता है। इसके विपरीत बहुसंख्यक समुदाय के सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय को एक विशेष दृष्टिकोण से परखते हैं और उनकी देशभक्ति पर प्राय: प्रश्नचिह्न लगाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ अल्पसंख्यकों द्वारा की जाने वाली नासमझ हरकतें पूरे वर्ग के प्रति बहुसंख्यक समुदाय के मन में गलत धारणाएं उत्पन्न करती हैं और इससे सांप्रदायिकता को बल मिलता है।
13. **संवाद का अभाव**-विभिन्न समुदायों में सांस्कृतिक संवाद का अभाव भी सांप्रदायिकता को पैदा करता है। संवाद और परिचय न होने के कारण एक-दूसरे के प्रति न केवल रहस्यात्मक स्थिति बनी रहती है बल्कि घृणित विचार भी एक-दूसरे के मन में बैठ जाते हैं। व्यक्ति प्राय: जीवन भर उन्हीं अपरिचित भावना से चिपका रहता है और अपनी ओर से यह समझने का प्रयास नहीं करता कि वास्तविकता क्या है। अपरिचय से पैदा होने वाली यही भावना दंगों में व्यक्त होती है।

साम्प्रदायिकता के दुष्परिणाम (*Ill-Effects of Communalism*)

साम्प्रदायिकता से राष्ट्र को जानमाल की ही क्षति नहीं होती वरन् राष्ट्रीय एकीकरण को भी आघात लगता है। आम नागरिकों को डर, भय व असुरक्षा की भावनाओं में रहने को विवश होना पड़ता है, जिससे एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में बाधा पहुँचती है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है-

1. **एकता व अखण्डता को खतरा**- किसी भी देश के लिए साम्प्रदायिकता एक खतरनाक स्थिति है जिससे देश की एकता व अखण्डता को आघात लगता है। यह देशद्रोही व एकता विरोधी के रूप में जन्म लेती है और जनमानस को भय व असुरक्षा की भावनाओं से भर देती है। लोग एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से देखने लग जाते हैं और आपसी भाईचारा खतरे में पड़ जाती है। साम्प्रदायिकता से देश एक छोटी-छोटी टोलियों में बँटता दिखाई देता है जिससे अन्य दुश्मन देशों को भी देश की एकता पर प्रहार करने का मौका मिल जाता है। साम्प्रदायिकता से उपजा संघर्ष एक ऐसे माहौल को जन्म देता है जहाँ लोग एक दूसरे को चरित्रहीन समझते हैं तथा एक दूसरे के धर्म पर कीचड़ उछालते हैं। साम्प्रदायिकता के कारण एक समूह दूसरे समूह के प्रति शंकालु होकर अपनी सारी ऊर्जा प्रतिशोध की भावनाओं में लगा देता है, जिससे बाहरी देशों से अपने राष्ट्र की रक्षा करने की कल्पना क्षीण पड़ जाती है।
2. **आपसी मतभेद या पारस्परिक तनाव**- साम्प्रदायिकता समाज के विभिन्न तबकों को उकसाकर सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर देती है। इससे समाज में खून-खराबे तक की नौबत आ जाती है। यह मारकाट भविष्य के भाईचारे को भी समाप्त कर देती है। कभी-कभार यह बड़े-बड़े हिस्सों को अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर साम्प्रदायिकता एक गंभीर समस्या बन जाती है।
3. **जन-धन की हानि**- साम्प्रदायिकता के कारण अपार जन-धन की हानि होती है। आज हम सब आर्थिक और सामाजिक नियोजन के द्वारा अपने देश को आगे बढ़ाने का सपना पाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर साम्प्रदायिकता के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान इसके सामने प्रश्नचिह्न खड़ा कर देता है। साम्प्रदायिकता के कारण सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को तोड़ना-फोड़ना व आग के हवाले कर देना आम बात हो गई है। ऐसे वक्त में कितने ही परिवारों को विस्थापित होने तक की नौबत आ जाती है। उनके साथ होने वाला अन्याय उन्हें इंसान से हैवान बना देती है। अगर आज तक के साम्प्रदायिक

Copyright– Drishti The Vision Foundation

हिंसा के कारण हुए आर्थिक नुकसानों का अनुमान लगाया जाय तो इससे कई विकासात्मक योजनाओं की भरपाई की जा सकती है।

4. **राजनीतिक अस्थिरता और अविश्वास-** साम्प्रदायिकता से न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, वरन् राजनीतिक उथल-पुथल व सरकार के प्रति जनता का विश्वास भी डगमगाने लगता है। साम्प्रदायिक संघर्षों से सरकार के प्रति जनाक्रोश भी पनपने लगता है। इससे अन्य विरोधी तत्वों को सरकार पर दुष्प्रचार करने का मौका मिल जाता है। साम्प्रदायिकता के कारण अनावश्यक व्यय करनी पड़ती है ताकि कानून और व्यवस्था ढीली न पड़ सके। साम्प्रदायिकता का ही असर है कि विभिन्न तबको के मांग राष्ट्रीय और सामाजिक न होकर साम्प्रदायिकता से प्रेरित होते हैं। समय-समय पर ये साम्प्रदायिक शक्तियाँ प्रदर्शन का भी सहारा लेती हैं और दल-बदल की घटनाएँ होती हैं। ये सभी दशाएँ देश में राजनीतिक उथल-पुथल करके साम्प्रदायिकता की समस्याओं को और जटिल बना देती है।
5. **औद्योगिक विकास में रुकावट-** साम्प्रदायिकता के कारण हमारे देश का औद्योगिक विकास धीमी है। साम्प्रदायिकता के कारण अनेक मिलों अथवा कारखानों के श्रमिक अनेक राजनैतिक दलों में बँटे हुए हैं। इससे कारखानों के श्रमिकों को स्थान परिवर्तन भी करना पड़ता है। साम्प्रदायिकता के कारण ही आज देश के कुटीर एवं लघु उद्योग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े हैं जिसके फलस्वरूप देश अनेक उपयोगी उत्पादों को जन्म नहीं दे पा रहा है।
6. **अराजक तत्वों की वृद्धि-** मौकापरस्त व संदिग्ध लोगों को मनमानी करने का मौका मिल जाता है। साम्प्रदायिक तनावों में जब आम आदमी के बीच पारस्परिक हिंसा बढ जाती है, ऐसे समय संदिग्ध लोगों को लूटपाट करने का मौका मिल जाता है। कभी-कभार यह लूटपाट, हिंसा व आगजनी नैतिक व्यवहार के रूप में भी दिखने लगते हैं। संदिग्ध तत्त्व इस समय इतने मजबूत बन जाते हैं कि इनके अधीन आदमी अन्य तरह के अपराध शुरू कर देते हैं जो स्थाई रूप से समाज के विकास के मार्ग में रोडा बन जाते हैं।
7. **सांस्कृतिक एकता में बाधक-** एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि लोग एक दूसरे की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हों। साम्प्रदायिकता के कारण ही आज भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम धूमिल पड़ जाते हैं। जब कभी साम्प्रदायिक तनावों में वृद्धि होती है तो वर्षों से हो रहे सांस्कृतिक विकास की गति अवरुद्ध जाती है और सद्भाव प्रायः लुप्त हो जाते हैं। इस तरह सांप्रदायिकता देश के विकास में एक बड़ी बाधा है।

साम्प्रदायिकता दूर करने के प्रयास (*Efforts to Overcome Communalism*)

सांप्रदायिकता की समस्या को दूर करने के लिए राज्य ने इस संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयास किये हैं-

- 1962 में पहली बार राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि सांप्रदायिक आधार पर राष्ट्रीय विखण्डन की समस्या को रोका जा सके। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली यह परिषद राष्ट्रीय चिंता तथा राष्ट्रीय एकता के मुद्दों पर अपनी बैठकों में चर्चा करती है तथा सरकार को सुझाव देती है। वर्ष 2010 में पुनर्गठित इस परिषद में राष्ट्रीय दलों के नेताओं सहित राष्ट्रीय आयोगों, मीडिया, व्यापार आदि क्षेत्रों के 147 लोग शामिल हैं।
- सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए राज्य ने कुछ पुरस्कारों की व्यवस्था की है जिसमें गृह मंत्रलय की ओर से दिया जाने वाला कबीर पुरस्कार प्रमुख है।
- चूँकि सांप्रदायिकता के नकारात्मक परिणाम अधिक मात्रा में अल्पसंख्यक वर्ग को उठाने पड़ते हैं इसलिए उनकी समस्याओं के समुचित निराकरण के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य को ही अध्यक्ष बनाया जाता है तथा यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति की समीक्षा एवं सुझाव केन्द्र सरकार को देता है।
- सेंट स्टेनिशलॉस बनाम उडीसा वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की है कि लोभ, भय तथा छल के आधार पर कराया गया धर्मान्तरण अवैध होगा। इस निर्णय के बाद बहुसंख्यक वर्ग में यह भावना कम हुई है कि उनके धर्म के लोगों की संख्या कम करने की कोशिश की जा रही है।

साम्प्रदायिकता एवं लक्षित हिंसा निवारण (न्याय एवं हानिपूर्ति की सुलभता विधेयक, 2011 (*Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2011*)

इस विधेयक का प्रारूप राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद ने तैयार किया है। इसके लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था। इसके प्रारूप को परिषद ने अपनी बैठक में अनुमोदित करके सरकार के पास भेज दिया है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

इस विधेयक में केंद्र और राज्य सरकारों को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वे अनुसूचित जातियों, जनजातियों, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रति सामूहिक हिंसा सहित लक्षित हिंसा को रोकने व नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करें। इस अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच पड़ताल में समान रूप से न्याय हासिल करने के लिए दुर्बल वर्गों को सहायता भी दी जायेगी। इसमें साम्प्रदायिकता एवं लक्षित हिंसा से प्रभावित सभी व्यक्तियों का पुनर्वास एवं प्रतिकर शामिल है।

इस विधेयक की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. साम्प्रदायिकता और लक्षित हिंसा की परिभाषा।
2. लोक सेवकों द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना करने पर दंडनीय कार्रवाई।
3. यदि संबंधित सरकार को अभियोजन की मंजूरी के लिए किये गये अनुरोध के आवेदन से 30 दिन के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जायेगा कि लोकसेवकों को अभियोजन की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यदि कोई लोकसेवक भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत आने वाले कतिपय अपराध करेगा तो फिर मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
4. निगरानी और शिकायत निवारण, साम्प्रदायिक सद्भाव, न्याय व क्षतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर प्राधिकरण प्रस्तावित किया गया है। हालाँकि प्राधिकरण की सिफारिशें राज्य सरकारों के लिए बाद्धकारी नहीं होंगी।
5. भारतीय दंड संहिता में वर्णित ऐसे अपराध जो साम्प्रदायिकता एवं लक्षित हिंसा के दौरान किये जाते हैं, उन्हें भी विधेयक के अंतर्गत किये गये अपराधों में गिना जायेगा। इनके लिए वही दंड होगा जो संहिता में वर्णित है।
6. विधेयक में दांडिक न्याय प्रणाली में पीड़ित के अधिकारों को सुदृढ़ किया गया है।
7. विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक विपदा के संबंध में समान रीति से कार्रवाई की जाए।

सांप्रदायिकता से निपटने के सुझाव (*Suggestions for Dealing with Communalism*)

सांप्रदायिकता की जटिल समस्या से निपटने के लिए दो प्रकार के उपायों पर बल दिया जाना चाहिए। पहला अल्पकालिक, जो समस्या के लक्षणों पर चोट करे और दूसरा दीर्घकालिक, जो मूल समस्या (आर्थिक व सामाजिक) पर चोट करे। इनका विवरण इस प्रकार है-

अल्पकालिक

- किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में मीडिया का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह तनाव को भड़काने के स्थान पर तनाव में निहित अफवाह को साबित कर उसे कम करने का प्रयास करे। इसके साथ मीडिया का यह भी दायित्व बनता है कि वह आक्रामक नेताओं के बयान दिखाने के स्थान पर उन धार्मिक नेताओं के बयानों पर ध्यान दे जो सांप्रदायिक तनावों के विरुद्ध विचार व्यक्त करते हों।
- किसी भी तनाव की स्थिति में सबसे पहले यह प्रयास किया जाना चाहिए कि पुलिस कार्रवाई तथा धारा-44 व कर्फ्यू जैसे प्रयासों से हिंसा को व्यापक होने से रोका जाए। उसके बाद धार्मिक नेताओं को समझाकर उनकी सहमति एवं उन्हीं के माध्यम से तेजी से यह विचार लोगों को बताया जाए कि समस्या का हल हो चुका है। इसके लिए स्थानीय मीडिया तथा स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद ली जानी चाहिए। इसके बावजूद यदि कट्टरपंथी तत्त्व शांत न हों, तो उन्हें हिरासत में लेकर कठोर दाण्डिक कार्रवाई की जानी चाहिए।
- किसी भी सार्वजनिक सभा में ऐसे वक्तव्यों पर रोक लगाई जानी चाहिए जो एक संप्रदाय को दूसरे से अच्छा या बुरा साबित करते हों या किसी संप्रदाय के लोगों के मन में तुलनात्मक या आक्रामक भावना पैदा करते हों।
- किसी धार्मिक संस्था से संबंधित ऐसे वक्तव्यों पर कठोर रोक होनी चाहिए जो धार्मिक सभा में समाज या राजनीति से संबंधित विद्वेषपूर्ण विचारों को व्यक्त करें। इसे एक गंभीर अपराध माना जाना चाहिए।
- किसी सांप्रदायिक तनाव के समय जिला प्रशासन में सभी प्रमुख अधिकारी ऐसे होने चाहिए जो सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त न हों।

दीर्घकालिक

- सांप्रदायिक तनाव को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है सांप्रदायिक सद्भावना में वृद्धि। इसके लिए आवश्यक है कि दोनों समुदायों में आपसी संवाद हो। विद्यार्थियों के माध्यम से तथा स्वयं सेवी संगठनों की पहल पर धीरे-धीरे यह संवाद विकसित किया जा सकता है। एक दूसरे के धर्म का आदर करना, उनके उत्सवों को अपना उत्सव मानना आदि कदम इस दिशा में

Copyright - Drishti The Vision Foundation

उठाए जा सकते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्तियों को यदि मीडिया प्रकाश में लाये तो सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति बन सकती है।

- प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि देश की भावी पीढ़ी धर्म निरपेक्ष मूल्यों से युक्त हो। सबसे पहले उन्हें यह सिखाया जाना चाहिए कि सर्वधर्म समभाव या सभी धर्मों का आदर करना स्वस्थ व्यक्ति और स्वस्थ समाज की पहली शर्त है। इसके बाद उन्हें यह भी महसूस कराया जाना चाहिए कि धर्म एक सीमा तक अवश्य महत्त्वपूर्ण होते हैं, परन्तु व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसका वास्तविक जीवन इन्हीं स्थितियों से तय होता है। ऐसे मूल्यों के विकास से व्यक्ति का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी सुधरता है।
- सांप्रदायिकता जैसी भावनाएँ उसी स्थिति में पैदा होती हैं जब व्यक्तियों का बौद्धिक एवं तार्किक स्तर निम्न हो तथा वह जीवन के विभिन्न संदर्भों में तार्किक-वैज्ञानिक चिंतन न करता हो। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के साथ-साथ वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास पर यदि बल दिया जाए तो व्यक्ति स्वयं सांप्रदायिकता जैसे विचारों की पहुँच से बाहर हो जाएगा।
- आर्थिक विकास का अभाव जो बेचैनी पैदा करता है प्रायः वही सांप्रदायिकता का रूप लेता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को समुचित आर्थिक, सामाजिक विकास के अवसर दिये जा सकें तो न तो सांप्रदायिकता के विचार पैदा होंगे और न ही उनके पास सांप्रदायिक घटनाओं में भाग लेने के लिए समय होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने तथा समाज के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में संलग्न हों, यह हमारी मूलभूत प्राथमिकता होनी चाहिए। साम्प्रदायिकता के निवारण हेतु गरीबी और बेरोजगारी का यथाशीघ्र निवारण होना चाहिए।
- समान नागरिक संहिता किसी भी देश की एक वांछनीय स्थिति है। एक देश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए और संरक्षणात्मक भेदभाव केवल उनके प्रति होना चाहिए जो कि न्हीं सामाजिक कारणों से अन्यायपूर्ण स्थिति में रहने को अभिशप्त रहे हैं। समान नागरिक संहिता के अभाव में सांप्रदायिकता बढ़ती है।
- राजनीति से सांप्रदायिकता के तत्त्वों को दूर किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि ऐसा न होने से संप्रदाय दबाव समूह (Pressure Group) बन जाता है और लोकतांत्रिक राज्य इस दबाव का सामना न कर पाने के कारण नरम राज्य बनने लगता है।
- इस समस्या से निपटने में पुलिस एवं प्रशासन को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिये और भेदभाव करने वाले पुलिस कर्मियों एवं प्रशासन के लोगों को चिह्नित करके उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

इकाई-9

क्षेत्रवाद
(Regionalism)

****(इस टॉपिक का संबंध मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-I के विषय संख्या 9 से है। 'दृष्टि' द्वारा वर्गीकृत पाठ्यक्रम के 15 खंडों में इसका संबंध भाग-3 से है।)*

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह में रहता है और उसका समूह के साथ भावनात्मक संबंध और इसके कारण उसमें समूह के प्रति लगाव का भाव भी उत्पन्न होता है। यह भाव उसमें सुरक्षा की भावना का विकास भी करता है। इसी तरह उसकी उन भौगोलिक परिस्थितियों के प्रति भी आस्था उत्पन्न हो जाती है जिसमें वह रहता है और उसके सांस्कृतिक समानता के तत्त्वों को महसूस करता है। इसके जरिए ही उसके विविध सामाजिक हितों की पूर्ति भी होती है। इस प्रकार, भौगोलिक रूप से किसी स्थान पर कुछ प्रक्रियाएँ तथा धारणाएँ समाज के अन्य भागों से भिन्न हों और वे लंबे समय से चली आ रही हों तो उस भाग को एक क्षेत्र कहा जा सकता है। ये प्रक्रियाएँ भौगोलिक, धार्मिक, भाषायी, रीति-रिवाज संबंधी, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि पर आधारित हो सकती हैं। लेकिन किसी भी क्षेत्र के पृथक स्वरूप के लिए सबसे प्रमुख बात वहां के लोगों में आपसी समानता और समरूपता तथा दूसरे क्षेत्रों से अलगाव की भावना है। जैसे यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वह तेलंगाना का निवासी है तो इसका आशय यह हुआ कि वह स्वयं को आंध्रप्रदेश के अन्य लोगों से स्वयं को भिन्न समझता है। यह संभव है कि समूचे आंध्रप्रदेश के लोग अन्य राज्य के लोगों से स्वयं को भिन्न समझते हों। हालाँकि, इस तरह की भावनाएँ स्वाभाविक हैं क्योंकि मनुष्य जहाँ रहता है उसे वह अन्य क्षेत्र से भिन्न समझता है तथा अपनी अलग पहचान और अस्तित्व महसूस करता है। लेकिन जब ये भावनाएँ संकुचित एवं संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति को लेकर राष्ट्रीयता की भावना के विपरीत हो जाती है तो यह क्षेत्रवाद के रूप में सामने आता है जो अनेक विघटनकारी प्रवृत्तियों, आंदोलनों तथा अभियानों को जन्म देकर राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए खतरनाक साबित होता है।

क्षेत्रवाद से आशय *(Meaning of Regionalism)*

परिभाषा के तौर पर देखें तो कहा जा सकता है कि क्षेत्रवाद से आशय एक देश या देश के किसी हिस्से में उस क्षेत्र से है जो सामाजिक, आर्थिक, भाषायी, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि कारणों से अपने अलग अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। दूसरे शब्दों में, क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र के लोगों में उस भावना और प्रयत्नों का प्रतिनिधित्व करता है जिसके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि करना चाहते हैं। यदि भारत के संदर्भ में देखें तो राष्ट्र अथवा राज्य की तुलना में किसी छोटे से क्षेत्र के प्रति लगाव, भक्ति या आकर्षण ही क्षेत्रवाद है। इसका उद्देश्य संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की परिपूर्ति है और इस दृष्टि से यह राष्ट्रीयता की भावना के विपरीत है।

भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है-

1. क्षेत्रवाद और पृथक राज्यों की मांग
2. क्षेत्रवाद और अंतर्राज्यीय तनाव
3. क्षेत्रवाद और केंद्र-राज्य संघर्ष
4. क्षेत्रवाद और संघ से पृथकता

इन बिंदुओं का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है-

क्षेत्रवाद और पृथक राज्यों की मांग

इसके तहत देश के ढाँचे के भीतर ही भाषा, पिछड़ापन, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि विशिष्टताओं के आधार पर एक पृथक राज्य के गठन की मांग की जाती रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पर आंदोलनों आदि के माध्यम से दबाव बनाया जाता है। ये आंदोलन कई बार हिंसक रूप तक धारण कर लेते हैं।

पोट्टी श्रीरामुलू की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मौत और रानीतिक दबाव ने पंडित नेहरू को अलग तेलुगू भाषी राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया था। 22 दिसंबर, 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 30 सितंबर, 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। सरकार ने इसकी संस्तुतियों को किंचित सुधार के साथ मंजूर कर लिया। इसके बाद 1956 में राज्य

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके बाद ही 1960 में बंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1962 में 13वें संविधान संशोधन के जरिए नागालैंड गठित हुआ। 1966 में 18वें संविधान संशोधन के जरिए पंजाब का पुनर्गठन हुआ और उसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में विभाजित कर दिया। वर्ष 2000 में 84वें संविधान संशोधन के जरिए तीन नए राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बने।

[मई, 2011 में उत्तर प्रदेश में 75 जिलों को चार भागों में बाँटने के प्रस्ताव की घोषणा राज्य सरकार ने की। उत्तर प्रदेश के जिन हिस्सों को अलग करने की बात की जा रही है, उनमें पूर्वांचल का नाम सबसे आगे है। बिहार की सीमा से सटे इस इलाके में 24 जिलों को लाने की मांग है। इनमें वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती जैसे जिले हैं। पूर्वांचल की तरह ही उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े समझे जाने वाले बुंदेलखंड इलाके को भी अलग राज्य बनाया जाना है। बुंदेलखंड में झाँसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और जालौन जिले शामिल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल अहम हैं। तीन हिस्से निकल जाने के बाद जो उत्तर प्रदेश बच जाएगा वह अवध प्रदेश कहलाएगा। इसमें देवीपाटन, फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर मंडल का नाम लिया जा सकता है।]

क्षेत्रवाद और अंतर्राज्यीय तनाव

देश के विभिन्न राज्यों के आपसी झगड़ों की वजह से भी क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है। इन झगड़ों की वजह भूमि, जल, बिजली आदि संसाधनों पर राज्यों के दावे और प्रतिदावे होते हैं। इन संसाधनों के वितरण को लेकर राज्यों में सहमति नहीं बनती है और एक राज्य को लगता है कि दूसरा राज्य उसके प्रति अन्याय कर रहा है। संसाधनों पर कब्जे को लेकर होने वाला तनाव कई बार इतना हिंसक हो उठता है कि उसमें कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ती है। राज्यों के बीच उत्पन्न हुए विवादों में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल के बँटवारे, राजस्थान और पंजाब के बीच भाखड़ा बांध के पानी के वितरण को लेकर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम जिले की सीमा को लेकर विवाद और पंजाब एवं हरियाणा के बीच राज्य सीमांकन को लेकर हुआ विवाद बहुत ज्यादा तनावपूर्ण रहे हैं। इस प्रकार के विवादों में देखा गया है कि अन्य मसलों पर एक-दूसरे के धुर विरोधी राजनीतिक दल इन मसलों पर एक सुर में बात करते हैं और वे संबंधित राज्य की मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं।

बेलगाम विवाद (Belgaum Dispute)- महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य 1956 से ही बेलगाम विवाद चल रहा है। 1947 में बेलगाम बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था। 1948 में बेलगाम की नगर पालिका ने बेलगाम को प्रस्तावित मराठीभाषी महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग की। 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो बेलगाम को कर्नाटक में, लेकिन उसके आसपास के बॉम्बे राज्य के इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल किया गया। इसके पीछे पुनर्गठन आयोग का तर्क यह था कि बेलगाम ऐतिहासिक तौर पर कन्नड़ क्षेत्र का हिस्सा रहा है। उस पर कई कन्नड़ राजवंशों का शासन रहा है। हालांकि पिछली कुछ सदियों से वहाँ मराठा पेशवाओं का शासन रहा है। इस कारण मराठी भाषियों का अनुपात बढ़ गया। आयोग के फैसले के विरोध के बाद 1960 में चार सदस्यीय समिति का गठन हुआ, पर कोई निर्णय नहीं निकला। बेलगाम को महाराष्ट्र में शामिल करने के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में लगातार आंदोलन होते रहे। जब सेनापति बापट ने इस मुद्दे को लेकर अनशन शुरू किया तो महाराष्ट्र सरकार के कहने पर केंद्र सरकार ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए महाजन समिति का गठन किया। इस समिति ने जिले के कई गाँवों के हस्तांतरण की सिफारिश करते हुए बेलगाम को कर्नाटक में होने की अनुशंसा की। महाराष्ट्र सरकार ने आयोग के इस फ़ैसले को मानने से इंकार कर दिया। उसका कहना था कि 1951 की जनगणना के अनुसार बेलगाम की बहुसंख्य आबादी मराठीभाषी है, लेकिन समिति की दलील थी कि बेलगाम तीन तरफ से कन्नड़भाषी गाँवों से घिरा हुआ है और वहाँ 70 फीसदी से ज्यादा जमीन कन्नड़भाषियों की है। गाँवों के सारे दस्तावेज कन्नड़ में हैं। 1948 में बेलगाम में महाराष्ट्र एकीकरण समिति बनी जिसका उद्देश्य बेलगाम को महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग रहा है। वर्ष 1986 में तो इस इलाके में तनाव इतना बढ़ गया कि वहाँ दंगे हो गये। सन् 2005 में जब समिति के वर्चस्व वाली बेलगाम नगर पालिका ने बेलगाम, खानपुर और निपाणी को महाराष्ट्र में विलीन करने का प्रस्ताव पारित किया तो एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। इसके जवाब में 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके एक बार फिर बेलगाम पर दावा जताया और केंद्र सरकार से अपील की कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, इस क्षेत्र को केंद्र सरकार के अधीन रखा जाए।

कावेरी जल विवाद (Cauvery Water Dispute)- कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। कर्नाटक और तमिलनाडु इस कावेरी घाटी में पड़नेवाले प्रमुख राज्य हैं। इस नदी घाटी का एक हिस्सा केरल में भी पड़ता है। समुद्र में मिलने से पहले यह नदी कराइकल से होकर गुजरती है जो पांडिचेरी का हिस्सा है। इस नदी के जल के बँटवारे को लेकर इन चारों राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में विवाद का एक लम्बा इतिहास है। कावेरी नदी के बँटवारे को लेकर चल रहा विवाद 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। उस समय ये विवाद तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच था लेकिन बाद में केरल और पांडिचेरी भी इसमें शामिल हो गए। केंद्र की 1972 में बनी एक समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप अगस्त, 1976 में कावेरी जल विवाद के चारों दावेदारों के बीच एक समझौता हुआ। लेकिन इसका व्यावहारिक पालन नहीं हुआ और यह विवाद चलता रहा। जुलाई, 1986 में तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से एक न्यायाधिकरण के गठन की मांग की और तमिलनाडु के कुछ किसानों की याचिका की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने 2 जून, 1990 को न्यायाधिकरण का गठन किया। सन् 1991 में न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि कर्नाटक कावेरी जल का एक तय हिस्सा हर महीने तमिलनाडु को देगा। लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो सका। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय चला गया। कर्नाटक का तर्क है कि अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान वह एक रियासत था जबकि तमिलनाडु सीधे ब्रिटिश राज के अधीन था, इसलिए 1924 में कावेरी जल विवाद पर हुए समझौते में उसके साथ न्याय नहीं हुआ। कर्नाटक का यह भी तर्क है कि वहाँ कृषि का विकास तमिलनाडु की तुलना में देर से हुआ। कर्नाटक का तीसरा तर्क यह है कि वह नदी के बहाव के रास्ते में पहले पड़ता है, इसलिए उसका उस जल पर पूरा अधिकार बनता है। दूसरी ओर तमिलनाडु का तर्क है कि 1924 के समझौते के तहत तय किया गया कावेरी जल का हिस्सा उसे मिलना चाहिये और इस मामले में हुए सभी पुराने समझौतों का स्वागत किया जाना चाहिए। 20 फरवरी, 2013 को केंद्र ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का अंतिम आदेश अधिसूचित कर दिया। न्यायमूर्ति एन.पी. सिंह की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने फरवरी 2007 में सर्वसम्मति से निर्णय किया था। इस न्यायाधिकरण के सदस्यों में एन.एस. राव और सुधीर नारायण शामिल थे। न्यायाधिकरण ने तमिलनाडु को 419 टीएमसी, कर्नाटक को 270 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 7 टीएमसी पानी देने का निर्णय दिया। हालाँकि तमिलनाडु की मांग 562 टीएमसी की और कर्नाटक की 465 टीएमसी की थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए 10 टीएमसी पानी सुरक्षित रख लिया गया था।

नोट: टीएमसी से आशय एक हज़ार मिलियन क्यूबिक फीट (One Thousand Million Cubic Feet) से है। पानी के आयतन से संबंधित इस यूनिट को बांध में जल की मात्रा या नदी के बहाव को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह पानी के बहाव की इकाई एमजीडी (MGD) है। इसका आशय मिलियन गैलन प्रतिदिन (Million Gallons Per day) से है।

मुल्लापेरियार बांध विवाद (Mullaperiyar Dam Dispute): केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्लापेरियार बांध को लेकर लम्बे समय से गतिरोध बना हुआ है। यह बांध त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा और ब्रिटिश राज के बीच 1886 में हुए समझौते के तहत इडुक्की जिले में निर्मित हुआ था। यह बांध केरल में है, लेकिन इसका पानी तमिलनाडु में जाता है। तमिलनाडु चाहता है कि बांध की ऊँचाई 136 फुट से बढ़ाकर 142 फुट कर दी जाए और इस तरह बांध की जलग्रहण क्षमता बढ़ाकर राज्य की सिंचाई की बढ़ी जरूरतों को पूरा किया जाए। लेकिन केरल इस बात को लेकर चिंतित है कि यदि कोई तीव्र भूकम्प आया तो बांध टूट जाएगा और इससे भारी तबाही होगी। इसलिए केरल ने अपने खर्च से एक नए बांध के निर्माण का प्रस्ताव दिया है लेकिन तमिलनाडु इस पर राज़ी नहीं है।

रेणुका बांध विवाद (Renuka Dam Dispute): हिमाचल प्रदेश में यमुना की सहायक नदी पर रेणुका बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। यमुना के पानी के बँटवारे को लेकर 12 मई, 1994 को पाँच राज्यों के बीच हुए करार पर राजस्थान को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली ने हस्ताक्षर कर दिए थे। राजस्थान ने बांध से बिजली न मिलने के कारण सहमति प्रकट नहीं की। इस बांध से पूरी बिजली हिमाचल प्रदेश को और पानी दिल्ली को मिलना तय हुआ था। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक 2021 तक दिल्ली की जनसंख्या 2.2 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इतनी आबादी को पानी मुहैया कराने के लिए करीब 1350 एमजीडी पानी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में रेणुका बांध से मिलने वाले पानी पर ही पूरा दारोमदार टिका हुआ है। इससे दिल्ली को 275 एमजीडी पानी मिलना है। इस पानी से करीब 60 लाख लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। बांध के निर्माण की पूरी लागत दिल्ली जल बोर्ड को देनी है। बांध के निर्माण के लिए जल बोर्ड अभी तक करीब 11 करोड़ रुपये की राशि हिमाचल प्रदेश को दे चुका है। बांध के निर्माण के लिए केवल केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलनी बाकी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश अब इस योजना पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं।

क्षेत्रवाद और केंद्र-राज्य संघर्ष

आधुनिक भारतीय इतिहास में ऐसे अनेक अवसर देखने को मिले हैं जब राज्य या राज्यों ने केंद्र के आदेश को मानने से इंकार करके केंद्र के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की। कुछ राज्यों ने केंद्र के आदेश, सुझावों और निर्देशों को नकारते हुए केंद्रीय सत्ता के समक्ष एक नए प्रकार का संकट उत्पन्न किया। उदाहरण के तौर पर जब 1968 में केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ दिशा-निर्देश जारी किये। उस समय केरल में सत्तारूढ़ राज्य सरकार ने केंद्रीय अध्यादेश को यह कहते हुये मानने से इनकार कर दिया कि ये आदेश कर्मचारियों के हित में नहीं हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल के पर्वतीय इलाकों में 1968 में केंद्र सरकार ने वहाँ व्याप्त हिंसा के मद्देनजर हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया, इसे राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य सरकार की बर्खास्तगी, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती, राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव के आरोप, केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए भेदभाव की शिकायत, योजना आयोग की भूमिका, अखिल भारतीय सेवाओं के तहत आने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आदि को लेकर केंद्र और राज्यों में तनाव देखने को मिलता है। हाल में केंद्र और राज्यों के रिश्तों में संघर्ष की स्थिति राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र या एनसीटीसी की स्थापना के प्रस्ताव पर देखने को मिला है।

Copyright - Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (National Cauter Terrorism Center – NCTC)- राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र यानी एनसीटीसी गृह मंत्रालय की एक महात्वाकांक्षी परियोजना है। आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए यह केंद्र, इंटेलीजेंस ब्यूरो (IB), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), ज्वायंट इंटेलिजेंस कमेटी और राज्यों की खुफिया एजेंसियों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। ये सारी एजेंसियाँ आतंकवाद से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र को रिपोर्ट करेंगी। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र खुफिया एजेंसियों और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के सहयोग से काम करते हुए आतंकवाद से जुड़े मामलों की जाँच करेगा। जाँच के दौरान जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए इसे दूसरी एजेंसियों पर निर्भर रहना होगा क्योंकि इस केंद्र के पास कोई स्टाफ नहीं होगा। एडीजी स्तर का पुलिस अधिकारी इस केंद्र का प्रमुख होगा जो सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा। कुछ राज्य जैसे बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा आदि इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि यह देश के संघीय ढाँचे के विरुद्ध है। केंद्र सरकार का मानना है कि एनसीटीसी बेहद जरूरी है और यह संघीय ढाँचे पर हमला नहीं है। कुछ राज्य एनसीटीसी के कुछ प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं लेकिन वे इसके गठन का समर्थन करते हैं। इसके बनने पर पहली बार भारत में ऐसी व्यवस्था होगी जो केंद्र के स्तर पर चरमपंथ, संगठित अपराध और माओवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सहायक होगी।

इस संबंध में स्वायत्तता की मांग रखने वाले राज्य चाहते हैं कि केंद्र केवल विदेश, संचार, रक्षा जैसे मामलों को ही देखे और बाकी मामलों में राज्यों को निर्णय लेने की छूट दी जाये।

क्षेत्रवाद और संघ से पृथकता

यह क्षेत्रवाद की भावना की उग्र और चरम अभिव्यक्ति है। संघ से अलग होने की भावना कई कारणों से हो सकती है और इसमें देश के भीतर या देश की सीमाओं से बाहर रहकर इसे बढ़ावा देने वालों के कुछ स्वार्थ भी हो सकते हैं। इस भावना के सिर उठाने के भीतरी कारणों में सर्वप्रमुख कारक यह हो सकता है कि क्षेत्र विशेष के लोग यह समझते हों कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है और उनके क्षेत्र के संसाधनों की कीमत पर दूसरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। विकास की धारा नहीं बहने के कारण बेरोजगारी और अन्य आर्थिक समस्याएं जन्म ले रही हैं। पृथकतावादी आंदोलन चलने की एक वजह धर्म भी हो सकता है। किसी देश का अल्पसंख्यक समुदाय यह समझ सकता है कि बहुसंख्यक धर्म की उन्नति हो रही है और उनके धर्म की अवनति जिसका चरम यह होगा कि उनका धर्म और उससे जुड़ी संस्कृति एक दिन विनष्ट हो जायेगी, साथ ही इससे जुड़ी उनकी पहचान का संकट उत्पन्न हो जायेगा। इसी प्रकार की भावना का विकास भाषाई अल्पसंख्यकों में हो सकता है कि उन्हें यह लगे कि उनकी मातृभाषा पर संकट आ गया है और इसका बचाव तभी संभव है जबकि संघ से पृथक हुआ जाए। इन कारणों को सीमा पार से भी दो तरह से बढ़ावा मिल सकता है। पहला ऐसे पृथकतावादी विचारों को प्रोत्साहित करके एवं समर्थन का विश्वव्यापी ढाँचा खड़ा करके और दूसरा उनके लिए आर्थिक मदद करके। जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्या पृथकतावादी क्षेत्रवाद की भावना से ग्रस्त है।

जम्मू कश्मीर की समस्या *(Problem of Jammu Kashmir)*

जम्मू कश्मीर की समस्या को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन पहलुओं में बाँट कर देखा जा सकता है। इसमें से एक पहलू है- केंद्र और राज्य के बीच संबंध, दूसरा पहलू राज्य के आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है तथा तीसरा पहलू पाक अधिकृत कश्मीर है।

केंद्र-राज्य के बीच संबध की बात देखें तो इतिहास के अनुसार राज्य के विलय-पत्र पर तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान के अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को विशेष रियायतें दी गईं। इसने जम्मू कश्मीर को एक अलग पहचान दी। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान के दुष्प्रचार और भ्रामक बयानों के कारण कश्मीर घाटी के लोगों ने बढ़ती संवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति ज्यादा प्रसन्नता जाहिर नहीं की। हालाँकि लद्दाख और जम्मू के बहुत सारे लोग खुश हुए, क्योंकि वे लोग भारत के साथ अधिक से अधिक जुड़ना चाहते थे। इस तरह से जम्मू कश्मीर की समस्या का एक पहलू केवल घाटी के लोगों की केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी है जिसके तत्त्व बहुआयामी और प्रेरक हैं।

जम्मू कश्मीर की समस्या का दूसरा पहलू राज्य के आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है। लद्दाख और जम्मू के लोगों को लगता है कि घाटी के लोगों की तुलना में उनके प्रति कम ध्यान दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि एक लाख लोग मिलकर एक विधायक को चुनते हैं तो घाटी में 83 हजार लोग ही एक विधायक को चुनते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि समान आबादी के बावजूद घाटी के राजनेताओं को हमेशा सात सीटें अधिक मिलती हैं। उनका दूसरा आरोप है कि लोक सेवकों के नियोजन में घाटी के लोग ज्यादा हैं और लद्दाख एवं जम्मू क्षेत्र के लोग कम। इतना ही नहीं, विकास निधि और बजट का अधिकतर हिस्सा घाटी के लिए जाता है। लद्दाख और जम्मू के हिस्से में तो इस बजट का नाम-मात्र ही आता है।

Copyright- Drishti The Vision Foundation

जम्मू कश्मीर की समस्या का तीसरा पहलू पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ा है। नियंत्रण रेखा ने बहुत सारे समुदायों और उनके परिवारों को बाँट दिया है। इसमें भावनात्मक पहलू ज्यादा हैं। संसद ने 22 फरवरी, 1994 को एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि पाकिस्तान को वे सारे हिस्से खाली कर देने चाहिये जो उसने हमला करके हासिल किये थे।

इन समस्याओं की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान ही है। वह जम्मू-कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए उसने तीन बार युद्ध भी किए। पिछले करीब 20 सालों से आतंकवादियों को शरण एवं प्रशिक्षण देने का कार्य वहाँ निर्बाध चलता रहा है। यह कश्मीर समस्या का एक महत्त्वपूर्ण पहलू इसलिए भी है कि पाकिस्तान ने इसे अपने अस्तित्व के साथ जोड़ कर भावनात्मक स्वरूप दे दिया है।

पंजाब की समस्या *(Problem of Punjab)*

पंजाब की समस्या की शुरुआत 1970 के दशक के अंत में अकाली राजनीति में खींचतान और पंजाब संबंधित मांगों को लेकर शुरु हुई थी। सन् 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित करके कहा कि भारत की केंद्र सरकार का केवल रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो जबकि अन्य सब विषयों पर राज्यों को पूर्ण अधिकार हो। कालांतर में पंजाब की अन्य मांगों, जैसे चंडीगढ़ पंजाब की ही राजधानी हो, पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब में शामिल हों, नदियों के पानी के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय की राय ली जाए, 'नहरों के हेडवर्क्स' और पन बिजली बनाने के मूलभूत ढाँचे का प्रबंधन पंजाब के पास हो, फौज संबंधी सुधार हों और अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनाया जाए, को भी सामने लाया गया। इन मसलों पर एक धार्मिक रूझान वाले व्यक्ति जनरल सिंह भिंडरावाले ने रूख कठोर कर लिया और पंजाब में हथियार की संस्कृति ने पैर जमा लिये। इस समस्या का तीसरा बिंदु यह था कि इन मांगों के लिए लामबंद कुछ लोगों की निरंकारी सम्प्रदाय से गहरी अनबन हो गई। पंजाब में आतंकी गतिविधियाँ बढ़ने लगीं और सरकार को विवशतावश कड़ी कार्रवाई के लिए ऑपरेशन ब्लूस्टार जैसे कदम उठाने पड़े। इससे सिख समुदाय बहुत आहत हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। बाद में पंजाब में पुलिस ने कठोरतापूर्वक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया और इसके साथ ही वहाँ चुनाव करवाये गये जिससे कई वर्षों से ठहरी राजनीतिक प्रक्रिया दोबारा शुरु हो गई। इन कदमों के बाद पंजाब समस्या पर एक सीमा तक काबू पा लिया गया है।

पूर्वोत्तर की समस्या *(Problem of Northeast)*

पूर्वोत्तर में 200 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं और 100 के करीब बोलियाँ हैं। सभी जनजातियाँ अपनी पहचान, संस्कृति और बोली को बचाए रखने के लिए एक-दूसरे के साथ तनाव भरा या हिंसात्मक संघर्ष तक करती हैं। पूर्वोत्तर के राज्य तथा उनके शहरों का बाकी नगरों से संपर्क नहीं के बराबर है जिसकी वजह इस प्रदेश का भौगोलिक रूप और आवागमन के साधनों की अनुपलब्धता है। इस कारण विकास और आधुनिकता की किरणें वहाँ तक देर से पहुँच पाती हैं। आजादी के पचास वर्षों तक इस दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इससे वहाँ उग्रवाद को पनपने का मौका मिला। पिछले कई वर्षों से अपेक्षाकृत विशेष ध्यान पूर्वोत्तर के राज्यों पर दिया जाने लगा है और केंद्र में अलग से पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की स्थापना भी की गई है।

प्राकृतिक संसाधनों तथा जैव विविधता के मामले में पूर्वोत्तर अत्यंत समृद्ध है। इन संसाधनों का सही तरह से इस्तेमाल किया जाता तो यह क्षेत्र इतना पीछे नहीं रहता। साक्षरता के मामले में पूर्वोत्तर के राज्य राष्ट्रीय औसत से आगे हैं। मिजोरम तो केरल के बाद शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने वाला दूसरा राज्य है। इसके बावजूद आर्थिक विकास के मामले में यह क्षेत्र काफी पिछड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ विकास के लिए आवश्यक ढाँचागत सुविधाओं

> ### भूमिपुत्र की अवधारणा *(Concept of Son of Soil)*
>
> *क्षेत्रवाद की अवधारणा का संबंध भूमिपुत्र से जोड़ा जाता है। इसका आशय यह है कि किसी राज्य या क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार हासिल करने आदि के संबंध में विशेष संरक्षण की मांग इस आधार पर की जाए कि वे और उनके पूर्वज वहाँ रहते आये हैं। इसकी अतिवादिता यह होती है कि जब तक राज्य के सभी बेरोजगारों को उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं मिल जाता तबतक बाहरी लोगों को रोजगार की सुविधा नहीं दी जानी चाहिये।*
>
> *इस अवधारणा का उदय बीसवीं सदी के छठे दशक में तब हुआ माना जाता है जब महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया। हालाँकि आजकल इसका विकास तेजी से हुआ है। पूर्वोत्तर के असम राज्य में जो व्यापक हिंसक आंदोलन शुरू हुआ है उसकी जड़ में भी यही आंदोलन माना जाता है। इसके अलावा कई राज्यों में सक्रिय संगठन अक्सर यह मांग करते हैं कि बाहरी राज्यों के लोग उनके निवास के राज्य को छोड़ कर चले जाएँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद-16(3) में कहा गया है कि संसद को यह शक्ति है कि वह नौकरी के संबंध में राज्य क्षेत्र के भीतर निवास से संबंधित अर्हताएँ निश्चित कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप अनेक राज्यों में ऐसे कानून बने जिनके अनुसार नौकरियाँ केवल उन्हीं लोगों को दी जाती हैं जो उस राज्य के निवासी हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र आदि राज्यों में अनेक ऐसे उपबंध हैं जिनके राज्य के स्थानीय निवासियों को ही नौकरी में वरीयता मिलती है।*

Copyright– Drishti The Vision Foundation

का सख्त अभाव है। परिवहन, दूरसंचार, बिजली और आर्थिक संसाधन की समुचित व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से अपना कारोबार करने वाली जनजातियों को व्यापार में कर-व्यवस्था लागू हो जाने के बाद काफी परेशानी उठानी पड़ी। पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या का एक पहलू व्यापार-तंत्र पर नियंत्रण का भी है। यहाँ के व्यापारिक कामकाज पर उन लोगों का आधिपत्य रहा है जो यहाँ दूसरे राज्यों से आकर बस गए हैं। स्थानीय मूल आबादी में इस स्थिति के खिलाफ धीरे-धीरे असंतोष फैलना शुरू हुआ और इसलिए जब 1980 के दशक में कई उग्रवादी संगठन अलगाववाद का नारा देकर क्षेत्र में सक्रिय हुए तो उन्हें जनसमर्थन भी आसानी से मिल गया। लंबे समय से चल रही हिंसा और उग्रवादियों की जोर-जबरदस्ती के माहौल से पूर्वोत्तर की जनता अब तंग आ चुकी है और उसने उग्रवादी संगठनों के समर्थन से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। फलतः इन संगठनों की शक्ति अब क्षीण होने लगी है और वे मृतप्राय होने लगे हैं। इसी हताशा के चलते वे अपने आतंक और वजूद को कायम रखने की कोशिश में इधर कुछ समय से फिर निर्दोष बिहारी मजदूरों और हिन्दी भाषियों की हत्या जैसी कायरतापूर्ण कार्रवाइयों में सक्रिय हो रहे हैं।

क्षेत्रवाद के परिणाम *(Consequences of Regionalism)*

भारत में क्षेत्रवाद के दुष्परिणामों का अध्ययन हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं–

1. क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण (National Integration) की प्रक्रिया को बाधित करता है क्योंकि राष्ट्रीय एकता के अनिवार्य तत्व सहिष्णुता एवं बंधुत्व की भावना क्षेत्रवाद के चलते संकुचित हो जाती है, जैसे- महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के विरुद्ध हिंसक आंदोलन आदि।
2. क्षेत्रवाद के कारण जहाँ एक ओर विभिन्न प्रदेशों अथवा क्षेत्रों के लोगों के मध्य संघर्ष एवं तनाव के कारण कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, वहीं संविधान द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराई गई मौलिक स्वतंत्रताओं का भी हनन होता है।
3. क्षेत्रवादी संबंधी गतिविधियों के कारण विकसित हुए माहौल से आर्थिक विकास भी बाधित होता है क्योंकि एक तो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न अन्य क्षेत्र के लोगों के विरुद्ध उग्र एवं हिंसक विरोध के परिणामस्वरूप लोगों का पलायन हो जाता है, दूसरा यह है कि क्षेत्र विशेष के लोग भी क्षेत्रीय हितों से उलझे रहने की वजह से राष्ट्रीय विकास तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से कट जाते हैं। तीसरे; संघर्ष में धन, संपत्ति एवं मानव संसाधन का भी अपव्यय होता है।
4. क्षेत्रवाद के कारण उभरने वाले उग्र विरोधी संगठनों की गतिविधियों के परिणामस्वरूप आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है, जैसे- नक्सलवाद, पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय विभिन्न राज्य-स्तरीय पृथकतावादी संगठन आदि।

क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी कारक *(Causes of Regionalism)*

यदि क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों का अध्ययन किया जाय तो निम्नलिखित बातें उभरकर सामने आती हैं-

(i) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा निहित स्वार्थों के चलते समय-समय पर वोट बैंक की राजनीति से प्रभावित होकर क्षेत्रवादी तत्त्वों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कभी-कभी कुछ समूहों द्वारा राज्य की नीतियों को अपनी सांस्कृतिक एवं नृजातीय पहचान के संरक्षण की दृष्टि से प्रतिकूल मानते हुए अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान के आधार पर उनका विरोध किया जाता है।

(ii) कुछ हद तक देश में व्याप्त क्षेत्रीय आर्थिक विषमता ने भी निर्धन एवं पिछड़े हुए राज्यों के लोगों में सापेक्षिक वंचन की भावना को उत्पन्न किया है और इसके फलस्वरूप क्षेत्रवाद के प्रसार के लिए अनुकूल दशाओं का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त भूमंडलीकरण के कारण उत्पन्न विकासीय प्रतिस्पर्द्धा ने नई पहचान के संकट को उत्पन्न किया है और इस वजह से पिछड़े एवं निर्धन राज्य अपनी नृजातीय विशिष्टता के आधार पर संगठित होने के लिए प्रेरित हुए हैं।

(iii) कभी-कभी विदेशी राष्ट्रों द्वारा भी अपने स्वार्थों की आपूर्ति हेतु किसी अन्य राष्ट्र में क्षेत्रवादी शक्तियों को उत्प्रेरित किया जाता है। जैसे- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रवाद की समस्या इसी प्रकार की शक्तियों का प्रतिफल है।

उपरोक्त कारणों के अलावा जब किसी देश अथवा राज्य के एक क्षेत्र में दूसरे की तुलना में गरीबी, बेरोजगारी, विकास, अशिक्षा की समस्याएँ अधिक जटिल रूप में व्याप्त होती हैं तो उक्त राज्य अथवा क्षेत्र विशेष में क्षेत्रवादी भावना को बल मिलता है।

हालाँकि क्षेत्रवाद तथा क्षेत्रीय विषमताओं से उत्पन्न असंतोष पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा चुका है लेकिन राज्य की सीमाओं, राज्यों के मध्य नदी जल के बँटवारे और भाषायी आधार पर पुनर्गठित राज्यों में प्रवासियों का मुद्दा समय-समय पर विवाद एवं समस्याएँ उत्पन्न करते रहे हैं।

Copyright-- Drishti The Vision Foundation

क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान हेतु उपाय *(Remedies for the problem of Regionalism)*

क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं–

<u>सरकार के प्रयास</u>

क्षेत्रवाद अपनी प्रकृति में एक बहुत ही जटिल और विस्तारित समस्या है। यदि क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी सभी कारकों की सूची बनाई जाए तो व्यावहारिक दृष्टि से यह एक जटिल कार्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत में क्षेत्रवाद की समस्या स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आने लगी। समय-समय पर उग्र रूप में सामने आने वाली इस समस्या के समधान के लिए सरकार द्वारा निरंतर बहुस्तरीय प्रयास किये गये, जैसे–

- ⇨ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही भाषायी आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग जोर पकड़ रही थी। परिस्थितियों की मांग के अनुरूप 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित करके भाषायी आधार पर राज्यों का गठन किया गया।
- ⇨ क्षेत्रवाद की समस्या की उत्पत्ति एवं विकास के लिए बहुत हद तक गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याएँ ज़िम्मेदार हैं। इनके लिए चलाई जाने वाली सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में निरंतरता एवं पारदर्शिता का अभाव भी ज़िम्मेदार होता है। अत: इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई।
- ⇨ केन्द्र-राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों की असमान व्यवस्था भी राज्यों के मध्य असंतोष की भावना उत्पन्न करती है, अत: भारतीय शासन व्यवस्था में राजकोषीय संघवाद की अवधारणा को स्वीकार किया गया है।
- ⇨ राज्यों का क्षेत्रीय विस्तार अधिक होने की दशा में विकासीय प्रक्रिया के सुचारू संचालन में कई प्रकार की व्यावहारिक बाधाएँ उत्पन्न होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2000 में तीन नये राज्यों- उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड का गठन किया गया।
- ⇨ सभी राज्यों में संसाधनों की उपलब्धता समान न होने की वजह से तुलनात्मक रूप से संसाधनों की कमी वाले राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। अत: केन्द्र सरकार ऐसे राज्यों को 'विशेष राज्य का दर्जा' देकर समय-समय पर अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराती है। वर्तमान में भारत में 11 राज्यों को 'विशेष राज्य का दर्जा' प्राप्त है।
- ⇨ देश में समय-समय पर उठने वाली नये राज्यों के निर्माण की मांग एवं अन्य क्षेत्रवादी भावनाओं से प्रभावित मुद्दों के समाधान हेतु केन्द्र सरकार विभिन्न आयोगों एवं समितियों का भी गठन करती है, जैसे–वर्तमान में भारत में क्षेत्रवाद का पर्याय बन चुके तेलगाना मुद्दे को सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2010 में श्री कृष्ण समिति का गठन किया गया।

<u>व्यावहारिक उपाय</u>

क्षेत्रवाद की समस्या केवल विकासीय कारकों का ही परिणाम नहीं होती है, बल्कि इसके पीछे विभिन्न प्रकार के राजनीतिक हित भी होते हैं। वर्तमान समय की परिस्थितियों के मद्देनजर क्षेत्रवाद की समस्या कई कारकों का सम्मिलित परिणाम है। अत: इसके लिए कुछ व्यावहारिक उपाय भी सुझाए जा सकते हैं–

- ⇨ समतापूर्ण राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देते हुए विकास की दृष्टि से उपेक्षित क्षेत्रों को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे क्षेत्र स्वयं को राष्ट्र की मुख्यधारा का अंग महसूस कर सकें।
- ⇨ जब तक राष्ट्रीय हित में अपरिहार्य न हो, केन्द्र सरकार को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए।
- ⇨ निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु क्षेत्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन देने वाले राजनेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त प्रभावशाली कानून बनाया जाना चाहिए।
- ⇨ पिछड़े एवं समस्याग्रस्त क्षेत्र के लोगों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। साथ ही राजनेताओं को क्षेत्रवादी मांगों से संबंधित मुद्दों को बढ़ावा देने से रोका जाना चाहिए।
- ⇨ केन्द्र सरकार के स्तर पर विभिन्न राज्यों से संबंधित स्वतंत्र विभागों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि उक्त विभाग संबंधित राज्यों के विकासीय मुद्दों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करके उसके संबंध में सरकार को उपयुक्त सुझाव दे सकें।
- ⇨ विकास की दृष्टि से पिछड़े एवं उपेक्षित राज्यों के राजनेताओं को केन्द्र सरकार में सहभागिता के लिए आगे आना चाहिए ताकि अपने राज्यों में क्षेत्रवादी तत्त्वों को बढ़ावा देकर एवं नये राज्य की मांग करने के बजाय केन्द्र में उक्त राज्यों से संबंधित मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाया जा सके।
- ⇨ निर्वाचन आयोग को, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रीय दलों के विरुद्ध प्रभावी नियम बनाने चाहिए तथा आयोग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी दल क्षेत्रवादी तत्त्वों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बढ़ावा देगा उसे प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
- ⇨ जहाँ तक संभव हो सके, राज्यों के स्तर पर राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित नीतियों को लागू किया जाना चाहिए तथा राज्यों हेतु बनाई गई नीतियों में समरूपता के दृष्टिकोण का अनुसरण करना चाहिए।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-27604128, 47532596, (+91)8130392358-59-60
ई-मेल: drishtiacademy@gmail.com,
वेबसाइट: www.drishtithevisionfoundation.com
फेसबुक: https://www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
Copyright– Drishti The Vision Foundation

➪ गैर-सरकारी संगठनों को देशवासियों के मध्य राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार-प्रसार हेतु आगे आना चाहिए तथा लोगों में विविधता में एकता के साथ रहने की भावना का संचार करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार तथा विकासीय गतिविधियों के विरुद्ध जनमत को संगठित करने तथा इन कार्यों के लिए विदेशी धन का प्रयोग करने वाले संगठनों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी उपायों को अपनाना चाहिए।

सरकार को अपेक्षाकृत पिछड़े एवं उपेक्षित क्षेत्रों अथवा राज्यों में आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, कृषि सुधार, संस्थागत वित्तीय सुलभता एवं अन्य उपायों का सहारा लेना चाहिए। मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों तथा विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों को क्षेत्रवादी तत्त्वों को हतोत्साहित करके राष्ट्रवादी विचारों के प्रोत्साहन संबंधी कार्यक्रमों एवं जन अभियानों को संचालित करना चाहिए।

नए राज्यों के गठन की मांग *(Demand of Creation of New States)*

भारतीय राजव्यवस्था में नए राज्यों के गठन की मांग निरंतर उठती रही है। ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण मांगों को यहाँ उल्लिखित किया गया है।

- **बोडोलैंड** : बोडोलैंड की मांग को लेकर भारत सरकार, असम की राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्स के मध्य 10 फरवरी 2003 को हुई सहमति के आधार पर असम सरकार के अधीन राज्य के चार जिलों के 3082 बोडो बहुल गाँवों के शासन के लिए बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है।
- **दिल्ली** : दिल्ली को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। कानून व्यवस्था सहित अन्य मामले दिल्ली सरकार को सौंपने की मांग को लेकर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग होती है।
- **गोरखालैंड** : गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट द्वारा 1980 के दशक में स्वतंत्र गोरखा राज्य की मांग को लेकर चलाये गये आंदोलन के परिणामस्वरूप 1988 में एक पर्वतीय काउंसिल का गठन किया गया। इस मांग को 2007 में पुनः उठाया गया।
- **हरित प्रदेश** : पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नये राज्य हरित प्रदेश के निर्माण की मांग भी विगत कुछ वर्षों से उठायी जा रही है, इसके अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडलों – मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा और अलीगढ़ के 22 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में पायी जाने वाली सांस्कृतिक भिन्नता भी अलग राज्य की मांग का एक प्रमुख कारण है, इसके तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा हरियाणा एवं राजस्थान से अधिक साम्यता रखता है।
- **कोसल** : वर्तमान ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के क्षेत्र का प्राचीन नाम कोसल है। ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्त्व का रहा है। प्राचीन काल में कोसल एक महाजनपद भी था। कोसल क्षेत्र वर्तमान में ओडिशा राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के कुछ जिलों जैसे- सुंदरगढ़, बेलानगिर, कालाहारी तथा अन्य उत्तर में झारखण्ड राज्य और पश्चिम में छत्तीसगढ़ राज्य के भागों को सम्मिलित करता है।
- **मिथिला** : पृथक मिथिला राज्य की मांग अधिकांशतः मिथिला भाषी क्षेत्र की सीमाओं से लगे अल्पविकास वाले क्षेत्र में उठती रही है। 1904-28 के भाषायी सर्वेक्षण के अनुसार, इस क्षेत्र में तत्कालीन मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, संथाल परगना के दस जिले शामिल थे, जो अब कई जिलों में विभाजित हो चुके हैं, जैसे दरभंगा- दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में, भागलपुर- सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर में और इसी तरह मुंगेर, पूर्णिया एवं अन्य जिले भी वर्तमान में कई जिलों में बँट चुके हैं।
- **पूर्वांचल** : पूर्वांचल उत्तर-मध्य भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से मिलकर बनता है। पूर्वांचल में तीन विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हैं- पश्चिम में अवधी क्षेत्र, पूर्व में भोजपुरी क्षेत्र और दक्षिण में बघेलखण्ड क्षेत्र। भोजपुरी इस क्षेत्र में बोली जाने वाली सबसे सामान्य भाषा है। पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, संतकबीर नगर, संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर और वाराणसी जिले आते हैं।
- **तुलुनाडु** : पृथक तुलुनाडु राज्य की मांग, कर्नाटक और केरल राज्यों के मध्य एक समृद्ध क्षेत्र में, एक भिन्न भाषा (तुलु) के आधार पर उठाई जा रही हैं। तुलुव लोग शेष कर्नाटक से सांस्कृतिक रूप से भिन्न हैं। कर्नाटक तथा केरल, दोनों राज्य सरकारों ने तुलुव संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करने तथा पृथक राज्य की मांग को देखते हुए तुलुव साहित्य अकादमी का निर्माण किया है।
- **विंध्य प्रदेश** : यह क्षेत्र उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम में मध्य भारत के राज्यों द्वारा घिरा हुआ है। विंध्य एकता परिषद और विंध्य पुनरोदय समिति जैसे कई संगठन पृथक विंध्य प्रदेश के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।
- **तेलंगाना**- तेलंगाना आंध्र प्रदेश के तीन विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र में से एक है। इसकी सीमाएँ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक से लगती हैं। इसमें दस जिले आते हैं जिनमें हैदराबाद, खम्मम, महबूब नगर आदि प्रमुख हैं। इस राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन चल रहा है।

Copyright - Drishti The Vision Foundation